लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

18-8-92

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 43, शुक्रवार, 12 मई, 1972/22 वैशाख, 1894 (शक)
No. 43, Friday, April 12, 1972/Vaisakha 22, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—19
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
801. दिल्ली हवाई अड्डे पर वाई-काउन्ट डाक हैंगर के लिये द्वार	Gate for the Viscount Dock Hangar at Delhi Airport ...	1—3
803. ग्राम्य क्षेत्रों में छोटे किसानों तथा लघु उद्योगपतियों को बैंकों द्वारा ऋण देना	Granting of Loans by Banks to Small Farmers and Small Scale Industrialists in Rural Areas ...	3—6
804. मुद्रणालय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान	Payment of House Rent Allowance to Press Employees ...	6—8
806. इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इण्डिया में भर्ती	Recruitment in the International Air Port Authority of India ...	8—12
807. इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के कर्मचारियों का समयोपरि भत्ते का बिल	Overtime Bill of the Employees of Indian Airlines and Air India ...	12—14
808. सेना के लिये योग्य युवकों को आकर्षित करने की योजना	Scheme to Attract Capable Youngmen for Army ...	14—15
809. बाढ़ से बरौनी उद्योग समूह के बचाव के बारे में विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Protection of Barauni Industrial Complex from Floods ...	15—17
810. सल्फा औषधियों और एण्टी-बायोटिक्स के मूल्यों में वृद्धि	Rise in the prices of Sulpha Drugs and Anti-Biotics ...	17—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		19—98
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
802. दिल्ली में वित्त पोषक कम्पनियों का कार्यकरण	Functioning of Finance Companies in Delhi ...	19—21

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
805. नेशनल डिफेन्स एकेडमी में भर्ती की आयु में परिवर्तन	Change in Age for Admission to National Defence Academy ...	21
811. भारतीय तेल निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by Indian Oil Corporation ...	21
812. जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसियों पर अधिक बोनस दिया जाना	Payment of higher Bonus by LIC on its policies ...	22
813. अनिवार्य सैनिक शिक्षा चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Compulsory Military Training ...	22
814. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूलों का खोला जाना	Opening of Sainik Schools in Madhya Pradesh in Fourth Five Year Plan ...	22
815. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना	Payment of Bonus to Employees of Nationalised Banks ...	22—23
816. "एयरपोर्ट द पेरिस" की अध्ययन रिपोर्ट	Study Report of "Airport De Paris" ...	23—24
817. सामान्य बीमा कर्मचारियों को परेशान किया जाना	Harassment to the Employees of General Insurance ...	24
818. भारत में नई किस्मों के विमानों का विकास करने के लिये मिराज जैट विमानों के फ्रांसीसी निर्माताओं से सहायता	Assistance from French Manufacturers of Mirage Jets for development of new types of aircraft in India ...	24
819. आसाम और गुजरात में ताप बिजलीघरों को ईंधन की सप्लाई	Supply of Fuel to Thermal Power Stations in Assam and Gujarat ...	24—26
820. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Nationalised Banks ...	26
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.		
5861. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में शक्तिचालित करघों को ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks to Powerlooms Functioning in Madhya Pradesh ...	26

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5862. मंगलौर के निकट पेनाम्बूर में उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना के लिये ब्रिटेन की सरकार से ऋण	Loan from U. K. Government for Fertilizer Complex at Panambur near Mangalore ...	26—27
5863. केरल में नर्सों के लिये भर्ती कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open recruiting office and training centre for Nurses in Kerala...	27
5864. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्म्यूसिटिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध में परिवर्तन करने का प्रस्ताव	Proposal to change the Management of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. ...	27
5865. जलसेना की दक्षिणी कमान के गठन का प्रस्ताव	Proposal to set up a separate Southern Naval Command ...	28
5866. सी० एस० डी० (प्रथम) में पदोन्नतियां	Promotions in CSD (I)	28
5867. कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट और आर्मी सर्विस कोर यूनिटों को घटिया किस्म की शराब की सप्लाई	Supply of Inferior Quality Liquors to Canteen Stores Department and Army Service Corps Units ...	29
5868. आयकर अधिकारियों द्वारा आंध्र प्रदेश में छापे	Raids in Andhra Pradesh by Income-Tax Authorities ...	29
5869. कडप्पा (आंध्र प्रदेश) के हवाई अड्डे को वाणिज्यिक प्रयोग में लाने के प्रयत्न	Efforts made to put Aerodrome at Cuddapah (Andhra Pradesh) to Commercial Use ...	30
5870. कडप्पा हवाई अड्डे को हैदराबाद और तिरुपति से मिलाने का प्रस्ताव	Proposal to Link Cuddapah Aerodrome with Hyderabad and Tirupathi ...	30
5871. आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक से ऋण	World Bank Credit to Andhra Pradesh ...	30—32
5872. श्रीराम सेन्टर आफ इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम को भेजे गये सेवा नियमों के प्रारूप की जांच	Examination of Draft Service Rules submitted by Shri Ram Centre for Industrial Relations to India Tourism Development Corporation ...	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5873. भारतीय टैंकरों की अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग के बारे में प्रस्ताव	Proposal to Utilise Idle Capacity of Indian Tankers ...	33—34
5874. भटिंडा सरहिंद में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Fertilizer Factory at Bhatinda/Sirhind ...	34
5875. चण्डीगढ़ के निकट छावनी का बनाया जाना	Construction of Cantonment near Chandigarh ...	34—35
5876. सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी	Officers and Staff working in Public Undertakings ...	35—36
5877. सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टोरेटों द्वारा शुल्क वापसी की दरों के बारे में सार्वजनिक सूचनाएं जारी करना	Issue of Public Notices regarding rates of drawback by Customs and Central Excise Collectorates ...	36
5878. फिरोजपुर छावनी में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित किया जाना	Implemcntation of National Industrial Tribunal Award in Ferozepur Cantt. ...	37
5879. इंजीनियरिंग उद्योग की निराशा	Disappointment of Engineering Industry...	37
5880. चीन पाकिस्तान सैनिक सहयोग	Sino Pak Military Co-operation ...	38
5881. एक एकक वाले एकाधिकारी उद्योगों की क्षमता	Capacity of Single Unit Monopoly Concern ...	38
5882. रिजर्व बैंक आफ इंडिया की हैदराबाद शाखा के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Employees of Reserve Bank of India, Hyderabad Branch ...	38
5883. अखिल भारतीय लागत सम्मेलन	All India Cost Conference ...	39
5884. भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट द्वारा अर्जित लाभ	Profit earned by the Trombay Unit of Fertilizer Corporation of India ...	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q.Nos.		
5885. एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	Persons travelling by Air India and Indian Airlines ...	39—40
5886. अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सर्वेक्षण करना	Survey for Development of Rural Areas under International Development Research Centre ...	40
5887. देश में कार्य कर रहे छोटे पैमाने के औषध कारखाने	Small Scale Drugs Units functioning in the country ...	40—41
5888. कृषि, पशुपालन डेरी और मत्स्य पालन के लिये प्राप्त विदेशी सहायता	Foreign Aid received for Agriculture, Animal Husbandry, Dairy and Fisheries...	41—43
5889. नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता	Foreign aid received by National Council of applied Economic Research New Delhi ...	43
5890. कोटा का हवाई यातायात के द्वारा जयपुर से मिलाने का प्रस्ताव	Proposal to link Kotah with Jaipur by Air ...	43—44
5891. विदेशों से भारतीय इंजीनियरों को स्वदेश लाने का प्रस्ताव	Proposal to bring back Indian Engineers from abroad ...	44
5892. विकासशील देशों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी मामलों के बारे में नीति पर अंकाटाड-III में चर्चा	Discussion on Strategy on International Monetary issues for developing countries at UNCTAG III ...	44—45
5893. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा धन का वितरण	Disbursement of Money by Industrial Development Bank of India ...	45—46
5894. श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर बनीहाल में सैनिक बैरकों में अग्निकांड	Fire in Military Barracks in Banihal on Srinagar Jammu Highway ...	46
5895. देश में कार्य कर रहे औद्योगिक संस्थान	Industrial Establishment, functioning in the country ...	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5896. पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of various District Headquarters of the State of West Bengal...	46—47
5897. श्रीलंका की सहायता	Aid to Ceylon	47
5898. सरकारी क्षेत्र में क्षेत्रीय निगमों के बीच सम्बन्धों में परिवर्तन	Change in relationship between Sectoral corporation in Public Sector ...	47—48
5899. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का निश्चय करना	Strike Notice by Workers of HAL ...	48—49
5900. अमरीका की सम्पत्तियों पर कब्जा करने वाले देशों को अमरीकी सहायता का बन्द किया जाना	Stoppage of US Aid to countries taking over US properties ...	49
5901. बुलेट प्रूफ बख्तरबन्द गाड़ियां	Bullet proof armoured vans ...	49
5902. मोगा को 'सी' श्रेणी के नगर का दर्जा दिया जाना	Classification of Moga as 'C' class town ...	49—50
5903. स्टेट बैंक आफ इंडिया, कांकेर बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) के अन्तर्गत कार्य कर रही सहकारी समितियों को दिया गया ऋण	Loans advanced to Co-operative Societies functioning under state Bank of India, Kankar, Bastar District (M.P.) ...	50
5904. भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही कैन्टीनें	Running of Canteens by Ex-Servicemen ...	50
5905. बिहार में भाण्डागार निगम के गोदाम में उर्वरक के भण्डार रखना	Storing of fertilizers in godowns run by Warehousing Corporation in Bihar ...	51
5906. पटना स्थित कुमहर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Kumrahar situated in Patna as a Tourist Centre ...	51
5907. स्टेट बैंक आफ इंडिया में काम करने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class III and IV Employees working in the State Bank of India ...	52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5909. ग्राम्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण के लिये नई योजना	New Scheme for distribution of Kerosene Oil in rural areas ...	52
5910. छोटे किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Advancing of loans by Nationalised Banks to Small Farmers for purchase of agricultural implements ...	52—53
5911. पटना (बिहार) में एक डिफेंस कालोनी बनाने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Defence Colony at Patna (Bihar) ...	53
5912. ग्लोब मोटर कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा जमाकर्त्ताओं को भुगतान	Payment to depositors of Globe Motor Co., New Delhi ...	53
5913. स्वर्णकारों के बालकों को उनके धंधे का प्रशिक्षण देने के लिये योजना	Scheme to Train Children of Gold-smiths in their profession ...	53—54
5914. कोनकोर्ड सुपर सैनिक विमानों के लिये भारतीय हवाई अड्डों की उपयुक्तता	Suitability of Indian Airports for Concorde Supersonic Aircraft ...	54
5915. सैंट्रल एक्साइज इन्टिगरेटेड डिवीजनल आफिस ग्वालियर में निलम्बित हुए कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता देना	Payment of subsistence allowance to employees under suspension in Central Excise Integrated Divisional Office, Gwalior ...	54—55
5916. बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to instal closed Circuit Television system at Bombay, Calcutta and Madras Airports ...	55
5917. इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विदेशों को उड़ान	Flights undertaken to foreign countries by Indian Airlines ...	55—56
5918. भारत वापस आने के इच्छुक अमरीका में बसे भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists in USA Willing to come back to India ...	56
5919. विदेशों को ऋणों का भुगतान	Repayment of loans to foreign countries...	56
5920. पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा राजस्थान के नहर सर्वेक्षण दल का लूटा जाना	Canal Survey parties of Rajasthan looted by Pakistani Soldiers ...	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5921. पर्यटक परिवहन चालकों की वाहनों के मानकीकरण की मांग	Tourist transport operators demand Standarisation of Vehicles ...	57
5922. जिला चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में तिरुपति और हौर्सले पहाड़ियों पर पर्यटक विश्राम-स्थल	Tourist lodges at Tirupathi and Horselay Hills in District Chittoor (Andhra Pradesh) ...	57
5923. मैनेजरों के वेतन की अधिकतम सीमा	Ceiling on Salaries of Managers	57—58
5924. कम्पनियों का पंजीकरण और परिसमापन	Registration and liquidation of companies ...	58
5925. इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विमानों और उड़ानों की संख्या	Aircraft owned and flights undertaken by Indian Airlines and Air India ...	58—59
5926. राज्यों को सप्लाई किये जाने वाले मिट्टी के तेल का मासिक कोटा	Monthly quota of kerosene supplied to States ...	59—60
5927. मध्य प्रदेश में विदेशी तथा आंतरिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये झीलों, गर्म पानी के स्रोतों, वनों और जल-प्रपातों का विकास	Development of lakes, hot water springs, forests and falls to promote foreign and home tourism in Madhya Pradesh ...	60
5930. सरकारी उपक्रमों में सरकार द्वारा पूंजी लगाया जाना	Investment by Government in Public Undertakings ...	60
5931. लाकर की सुविधा वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी गई हिदायतें	Instructions issued to Nationalised Banks carrying locker facilities ...	61
5932. कम्पनियों का पंजीयन	Registration of Companies ...	61—62
5933. एकाधिकार आयोग को सौंपे गये मामले	Cases referred to Monopolies Commission ...	62—63
5934. चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled gold	63—64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5935. मुजफ्फरपुर और पटना के बीच दैनिक विमान सेवा का चालू किया जाना	Introduction of daily service between Muzaffarpur and Patna ...	64
5936. विभिन्न राज्यों के जिलों के मुख्यालयों में पर्यटन केन्द्रों की स्थ पना की योजना	Scheme to set up tourist centres in District Headquarters in various states ...	64—65
5937. राज्य सरकारों द्वारा ओवर-ड्राफ्ट	Overdrafts by States ...	65
5938. तस्करी के सामान का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods ...	65—66
5939. उड़ीसा के पारादीप में नेपता पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for setting up Naphtha based Fertilizer Plant at Paradeep in Orissa ...	66
5940. मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of branches of Nationalised Banks in East Nimar District of Madhya Pradesh ...	66—67
5941. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश में बड़े मध्यम तथा लघु उद्योग कारखानों को दिया गया ऋण	Loans advanced by IFC to large medium and small industrial units in Madhya Pradesh ...	67
5942. शरणार्थी राहत कार्यक्रम के लिये राज्यों के अंशदान सम्बन्धी लक्ष्य	States' targets for contribution to refugee relief programme ...	67—68
5943. धनराशि निकालने सम्बन्धी विशेष अधिकारों के अन्तर्गत भारत को प्राप्त हुई राशि	Amount received by India under special Drawing Rights ...	68
5944. सामान्य बीमा कम्पनियों में समान मजूरी और वेतन	Uniform Wages and Salaries in General Insurance Companies ...	68
5945. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by LIC Employees	69
5946. भारतीय रिजर्व बैंक में स्टाफ आफिसरों की भर्ती	Recruitment of Staff Officers in Reserve Bank of India ...	69—70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5947. बम्बई में हैंगरों और कर्मशाला के निर्माण में विलम्ब	Delay in the construction of Hangar and Service Complex at Bombay ...	70
5948. भारत में विदेशी फर्में	Foreign Firms in India	70—71
5949. होटल उद्योग में शिक्षुत पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open Training Centres to Provide Apprentice Course in Hotel Industry ...	71
5950. इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा दिल्ली में सिटी बुकिंग कार्यालय से हवाई अड्डे तक यात्रियों के लिये ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदान करना	Transport facility provided for Passengers from City Booking Office to Aerodrome in Delhi by Indian Airlines ...	71—72
5952. मुरादनगर स्थित आयुध कारखाने का विस्तार	Expansion of Ordnance Factory, Muradnagar ...	72
5953. कृषि आय पर कर	Tax on Agricultural Income	72
5954. छोटे स्तर की वित्तीय एजेंसियों के निगम का गठन	Forming of Corporation of Small Financial Agencies ...	73
5955. भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों को उत्पादन में हुई हानि	Loss of Production suffered by the various Units of Fertilizer Corporation of India ...	73
5957. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अदा किया गया समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance paid to Central Government Employees ...	73
5958. सैनिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मुफ्त आवास	Rent free Accommodation to Class IV Employees at Sainik Schools ...	73—74
5959. अमेरिका और यूरोप में भारतीय रसायन इंजीनियरों और विशेषज्ञों की भर्ती	Recruitment of Indian Chemical Engineers and Experts in USA and Europe ...	75
5960. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes outstanding against All India Trade Union Congress ...	75
5961. रायपुर स्थित आयुध कारखाने से रिकार्ड की कथित चोरी	Alleged Theft of Records from Ordinance Factory, Raipur ...	75—76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5962. भारत में पाकिस्तानी तस्कर	Pakistani Smugglers in India ...	76
5963. विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन अपराधों पर जुर्माना	Penalty for Offences under Foreign Exchange Regulations ...	76—77
5964. बिजली की कमी के कारण भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों का बन्द होना और उत्पादन में कमी होना	Stoppages and loss of Production suffered by various Units of Fertilizer Corporation of India due to Power Shortages ...	77
5965. बिहार में कम्पनियों के नाम आय कर तथा अन्य करों की बकाया राशियां	Arrears of Income Tax and other Taxes against Companies in Bihar ...	77
5966. मुजफ्फरपुर जिले (बिहार) के बानिया गांव में बुद्ध विहार बनाने का प्रस्ताव	Proposal to build a Budha Vihara at Village Bania, District Muzaffarpur (Bihar) ...	77—78
5967. भारतीय उर्वरक निगम को शुद्ध लाभ	Net profit of Fertilizer Corporation of India ...	78
5968. विशाखापत्तनम के एक मजदूर नेता से काला धन बरामद करना	Seizure of Black Money from a Labour Leader in Visakhapatnam ...	78—79
5969. सैनिक स्कूलों में अभिभावक अध्यापक संगठनों का गठन करना	Formation of Parent Teachers Association in Sainik Schools ...	79
5970. सैनिक स्कूलों के लिये छात्र-वृत्ति की योजनाओं में एक-रूपता	Uniformity in Scholarship Schemes for Sainik Schools ...	79—80
5971. सैनिक स्कूलों के आन्तरिक प्रशासनिक बोर्डों में अभि-भावकों का प्रतिनिधि	Representative of Parents in Internal Boards of Administration of Sainik Schools ...	80
5972. वेतन आयोग के कार्यालय में विभिन्न वर्गों के कर्मचारी	Different Categories of Workers in the Pay Commission Office ...	80—81
5973. आनरेरी कैप्टनों के रूप में रिटायर होने वाले सूबेदार मेजरों को उपदान	Gratuity to Subedar Majors Retiring as Honorary Captains ...	81—82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5974. अल्पावधि कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये आई० ए० एस० की परीक्षा देने की सुविधाएं	Facilities for Short Service Commissioned Officers for taking up IAS Examination ...	82
5976. उड़ीसा में कोणार्क का मध्य प्रदेश में खजुराहो के समान विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Konarak in Orissa on the Pattern of Khajuraho in Madhya Pradesh ...	82—83
5977. समाचार-पत्रों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों में धन लगाया जाना	Investment of funds by Newspapers in Industrial ventures ...	83
5978. कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में जीवन बीमा निगम के कब्जे में फ्लैट, मकान, तथा अन्य इमारतें	Flats, Houses and other Buildings under LIC possession in Calcutta, Bombay, Delhi and Madras ...	84
4979. कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के मकान, फ्लैट तथा अन्य इमारतों पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on LIC houses flats and other buildings in Calcutta ...	84
5980. मनीआर्डर द्वारा पेन्शन का भुगतान	Payment of Pension through Money Order ...	85
5981. दिल्ली में सैनिक स्कूल के लिये मांग	Demand for a Sainik School in Delhi ...	85
5982. बम्बई में तस्करी के माल का बरामद किया जाना	Seizure of smuggled goods in Bombay ...	85—86
5983. आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से आय कर की वसूली	Recovery of Income tax from All India Trade Union Congress ...	86
5984. उर्वरक संयंत्र और उनकी क्षमता	Fertilizer Plants and their capacity ...	86—87
5985. कोयला खान कर्मचारियों के जीवन का बीमा करने के लिये प्रस्ताव	Proposals for Life Insurance on the Lives of Coal Mines Employees ...	87
5986. रबड़ बोर्ड के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for Rubber Board ...	87

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5987. केन्द्रीय सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा केरल में परियोजनाओं को ऋण दिया जाना	Loans given to projects in Kerala by Central Government and Financial Institutions ...	87–88
5988. केरल में वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्रों का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रद्द किया जाना	Applications for Financial Assistance rejected by Nationalised Banks in Kerala ...	89—89
5989. केरल में आयकर कार्यालयों के लिये स्थान की व्यवस्था	Accommodation for Income Tax Officers in Kerala ...	89
5990. युद्ध में मारे गये राजस्थान के झुंझुनु जिले के सैनिकों की संख्या	Number of military personnel belonging to Jhunjhunu District of Rajasthan killed in war ...	89
5992. सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों के भोजन पर व्यय	Expenditure on diet of students in Sainik Schools ...	90
5993. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का वसूल किया जाना	Recovery of Loans advanced by Nationalised Banks ...	90—91
5994. अखिल भारतीय इण्डियन आयल डीलर्स एसोसिएशन से ज्ञापन	Memorandum for All India Indian Oil Dealers Association ...	91—93
5995. उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क वसूली कक्ष, फरीदाबाद के मुख्यालय का स्थानांतरण	Shifting of Headquarters of Recovery Cell of Excise and Customs, Faridabad ...	93—94
5996. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क गुड़गांव के अधीक्षकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Superintendents Central Excise, Gurgaon ...	94
5997. कच्चे तेल के सम्बन्ध में बंगला देश से समझौता	Agreement with Bangladesh for Crude Oil ...	94—95
5998. बरौनी तेल शोधक कारखाने में तेल की कथित चोरी	Alleged Theft of Oil from Barauni Oil Refinery ...	95—96
5999. भारत के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में भारतीय और पाकिस्तानी मुद्रा का विनिमय	Exchange of Indian and Pakistani Currencies in Areas Under India's Control ...	96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6000. रक्षा संस्थानों में औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में अन्तर	Difference in Service Conditions of Industrial and Non-Industrial Employees in Defence Establishment ...	96
6001. बंगला देश में पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गये अत्याचार : जनरल नियाजी की स्वीकारोक्ति	Atrocities perpetuated by Pakistani Army in Bangladesh : Confession by General Niazi ...	97
6002. उड़ीसा में एक विस्फोटक कारखाना लगाने का प्रस्ताव	Proposal to set up an Explosive Factory in Orissa ...	97
अतारांकित प्रश्न संख्या 1907 दिनांक 26-11-1971 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2776 दिनांक 3-12-1971 के उत्तरों को शुद्ध करने वाले विवरण	Correcting statements to U.S.Q. No. 1907 dated 26.11.1971 and U.S.Q. No. 2776 dated 3.12 1971. ...	97—98
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	98—1 00
जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन करने के बारे में वक्तव्य	Statement on Recent Cease-Fire Violations by Pakistan in Jammu and Kashmir ...	100
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram ...	100—101
सभा का कार्य	Business of the House ...	101—105
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73 ...	105
विदेश व्यापार मंत्रालय	Ministry of Foreign Trade ...	105
श्री एम० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam ...	105—106
श्री सी० जनार्दनन्	Shri C. Janardhanan ...	106—108
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi ...	108—109
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	Shri Ziaur Rahman Ansari ...	109
श्री एम० एस० शिवस्वामी	Shri M. S. Sivaswamy ...	109—111
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami ...	111—112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal ...	112
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen ...	112—113
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ...	112—114
श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव	Shri Ankineedu Prasad Rao ...	115
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ...	115—117
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha ...	117
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia ...	117—118
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra ...	118—124
वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग आदि	Ministry of Finance, Ministry of Planning, Department of Atomic Energy, Department of Electronics, etc. ...	124—125
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1972	Appropriation (No. 3) Bill, 1972	126
पुरःस्थापित और पारित	Introduced and Passed ...	126—128
पुरःस्थापित किये गये विधेयक—	Bills Introduced— ...	128
(एक) श्री भोगेन्द्र झा का संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का सशोधन)	Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of Eighth Schedule) by Shri Bhogendra Jha ...	129
(दो) श्री भोगेन्द्र झा का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 168 का प्रतिस्थापन और अनुच्छेद 169 का लोप आदि)	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of article 168 and omission of article 169, etc.) by Shri Bhogendra Jha ...	129
(तीन) श्री आर० पी० उलगनम्बी का प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थान और अवशेष (संशोधन) विधेयक (नई धारा 20(क) का जोड़ा जाना)	Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill (Insertion of new section 20A) by Shri R. P. Ulaganambi ...	129—130
श्री एस० पी० सामंत का संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Shri S. C. Samanta ...	130—134

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	...	134
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	...	134—135
श्री एस० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ramgopal Reddy	...	135
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B K. Daschowdhury	...	135—136
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	...	136
श्री एस० सी० सामंत	Shri S. C. Samanta	...	136
श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक (नवीं अनुसूची का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Ninth Schedule) by Shri C. K. Chandrappan	...	137
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	...	137—139
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	...	139—140
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	...	140—142
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	...	142
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	...	142—143

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 12 मई, 1972/22 वैशाख, 1894 (शक)

Friday, May 12, 1972/ Vaisakha 22, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली हवाई अड्डे पर वाईकाउन्ट डाक हैंगर के लिये द्वार

*801. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 अप्रैल, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हवाई अड्डे के द्वार का अपूर्ण महाकाव्य" (अनफिनिश्ड एपिक आफ एन एयरपोर्ट डोर)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त मामले में कोई जांच की गई; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इन्डियन एयरलाइन्स के प्रबंधकवर्ग द्वारा की गई छानबीन के आधार पर एक विभागीय जाँच का आदेश दिया गया। जाँच अधिकारी के जांच-परिणाम प्राप्त हो चुके हैं तथा प्रबंधकवर्ग के विचाराधीन हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : यह मामला काफी समय से विचाराधीन है। वर्ष 1963 में वास्तुशिल्पी संघ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर हैंगर पर कुछ काम करने के लिये एक फर्म

को ठेका दिया गया था। ठेके में यह उल्लेख किया गया था कि उक्त कार्य मई, 1963 तक पूरा हो जायेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या यह सच है कि ठेके के पूरा हुए बिना ठेके की 1,25, 000 रुपये की कुल राशि में से एक बड़ी धनराशि अर्थात् 95, 953 रुपये ठेकेदार को दिये गये थे ? दूसरे, क्या इसके बाद यह पता लगा कि वास्तुशिल्पी संघ द्वारा प्रस्तुत सब डिज़ाइन दोषयुक्त पाये गये थे ? यदि हां, तो क्या इस बात की भी सिफारिश की गई थी कि वास्तुशिल्पियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये और यदि हां, तो वर्ष 1963 से अक्तूबर, 1971 तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह सच है कि यह सारा कार्य 1962 में आरम्भ हुआ। कार्य मई, 1963 में समाप्त किया जाना था। लेकिन किसी प्रकार स्थान साफ नहीं किया गया। कार्य वास्तव में सितम्बर, 1963 में आरम्भ हुआ। डिज़ाइन दोषपूर्ण पाया गया और इसके लिये ठेकेदार को दोषी पाया गया। इसी कारण काम रोक दिया गया। इसी बीच, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 66,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका था।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या यह 95,953 रुपये नहीं था ?

डा० सरोजिनी महिषी : 66,000 रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें से कुछ रुपयों का भुगतान उपकरणों के लिये भी किया गया था। कुल हानि 79,000 रुपये की हुई थी।

श्री बी० के० दासचौधरी : आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1970 में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बारे में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से एक पंक्ति का उल्लेख करूंगा। वह कहते हैं : "मई, 1964 में जब काम चल रहा था, ठेकेदार को 95,953 रुपये का आंशिक भुगतान किया जा चुका था।" मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों में अन्तर का क्या कारण है ?

डा० सरोजिनी महिषी : इसमें से कुछ धनराशि का भुगतान उपकरणों के लिये किया गया था। कुल भुगतान* 96,000 रुपये का किया गया था।

श्री बी० के० दासचौधरी : किसके विरुद्ध जांच की गई है—वास्तुशिल्पी, ठेकेदार अथवा निगम के अधिकारियों के विरुद्ध ?

डा० सरोजिनी महिषी : इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है। वर्ष 1964 में जब इन्जीनियरिंग मैनेजर को यह पता लगा कि काम अनुमान तथा शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है तो उन्हें पता लगा कि सब काम बिगड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र काम को रोकने का आदेश दिया। इस बात का निर्णय नहीं किया गया कि क्या वास्तुशिल्पी दोषी था अथवा ठेकेदार दोषी था। वास्तुशिल्पी का कथन था कि ठेकेदार दोषी था क्योंकि उसे ग्राउन्ड पर बल्लियां इकट्ठी करनी थीं। ठेकेदार का कथन था कि वास्तुशिल्पी ने अपनी शर्त में इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि उन्हें ग्राउन्ड पर जमा करना पड़ेगा। वास्तुशिल्पी का कथन था कि उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं थी। सब बल्लियों को ग्राउन्ड पर जमा

*कृपया पृष्ठ संख्या 20, 779 भी देखिये।

करना था। अतः मामला अभी भी लटका हुआ है। इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ कि क्या वह त्रुटि निर्माण में थी अथवा डिजाइन में। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है और वह विचाराधीन है।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस बात की विशेषतौर पर शिकायत की गई थी कि इन्जीनियर के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

डा० सरोजिनी महिषी : सब बात को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में असाधारण विलम्ब हुआ है। मुझे स्वयं इसके लिये खेद है। इस बात का पता लगाना है कि क्या इस मामले में वास्तुशिल्पी दोषी था अथवा ठेकेदार अथवा पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में प्रबन्ध भी दोषी था।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये 8 वर्ष हो गये हैं। सरकार इस मामले में निर्णय लेने के लिये कितना समय और लेगी ?

श्रीमती सरोजिनी महिषी : विभागीय जांच पूरी हो गई है और आशा है कुछ कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम्य क्षेत्रों में छोटे किसानों तथा लघु उद्योगपतियों को बैंकों द्वारा ऋण देना

*803. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्राम्य क्षेत्रों में स्थित बैंक छोटे किसानों और लघु उद्योगपतियों को ऋण नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो जरूरतमंदों को ऋण आसानी से उपलब्ध कराने तथा इस सम्बन्ध में प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं के सरलीकरण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) छोटे ऋण-कर्ताओं को, जिनमें छोटे किसान तथा छोटे पैमाने के उद्योगपति शामिल हैं, ऋण देने के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों की उदार नीति होने के बावजूद समय-समय पर ऐसी शिकायतें निस्संदेह आती हैं जिनमें यह आरोप लगाया होता है कि छोटे ऋण-कर्ताओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(ख) बैंक अपने संगठन तंत्र को सुदृढ़ बना कर तथा अपनी प्रक्रियाओं को सरल बना कर जैसे फार्मों को सरल बना कर, ऋण के आवेदन-पत्रों का मूल्यांकन करने के लिए ऋण-कर्ताओं के पास जाने की व्यवस्था करके, बैंक अभिकर्ताओं आदि के पक्ष में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करके इस स्थिति में सुधार करने के लिए कई उपाय करते रहे हैं। सरकार ने राज्य-सरकारों से भी

मामला उठाया है और उनमें से कई राज्यों ने स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण-शुल्क में रियायतें देना और कानूनी कागजात तैयार करने आदि के संबन्ध में प्रक्रियाएं सरल बनाना स्वीकार कर लिया है ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या लघु उद्योगों और किसानों को उक्त ऋण देने के विशिष्ट निदेश हैं, विशेषकर अब, जबकि उन्होंने नीति में उदारता बरतने का वचन दिया है ? प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है । क्या उस व्यक्ति को, जिसे ऋण की आवश्यकता होती है, यह बताना पड़ता है कि उसके पास सम्पदा अथवा सम्पत्ति है और यदि हां, तो क्या यह उदार नीति के बारे में बाधक नहीं है और क्या इससे विशेषकर उन किसानों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होंगी, जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ऐसी बात नहीं है कि हमने नीति उदार बनाने का वचन दिया है । वास्तव में उपाय किये गये हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है । जहां तक जमानत का सम्बन्ध है, हमें बैंकिंग उद्योग में हुए मूल परिवर्तनों को समझना होगा । पहले बैंकिंग उद्योग का कार्य संचालन तब हुआ था जबकि लोगों को कुछ बातों के बारे में संतुष्ट करना होता था और जमानत पर निर्भर रहना पड़ता था । अब परियोजना की निर्दोषता, उद्देश्य और व्यवहार्यता और ऋण लेने वाले की सत्यनिष्ठता पर यह बात निर्भर करती है । अब उद्योग और जमानत की अपेक्षा ये बातें महत्त्व रखती हैं ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : ऋण लेने वाले की सत्यनिष्ठता और परियोजना की निर्दोषता से क्या अभिप्राय है ? इसका निर्णय कौन करता है और इसके लिये क्या कसौटी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अनेक परियोजनाओं में अनेक जोखिम होते हैं । कई ऐसी नई परियोजनाएं होती हैं जिन पर उद्यमकर्ता ने काम नहीं किया होता । अनेक ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिन्हें बैंकों द्वारा लाभ में नहीं चलाया जा सकता । ऐसी स्थिति में जमानत आवश्यक होती है, चाहे वह सुरक्षा के रूप में हो अथवा बन्धीकरण के रूप में हो । जीवन बीमा पालिसी के बारे में भी कुछ मामलों में जमानत आवश्यक होती है । अन्यथा जैसे फसल ऋण के बारे में कोई जमानत की आवश्यकता नहीं होती ।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know whether arrangements exist for giving loans upto Rs. 5000 to the small farmers, Harijans and Adivasis against personal, security if not, the difficulty if any in its way ?

Shrimati Sushila Rohatgi : In the first part of my answer to the main question I have already stated that there is a provision for giving loan up to Rs. 5000. This is not a new Scheme. Under this Scheme a loan to the tune of Rs. 5000 can be given to small farmers and Harijans. There is no security required for it.

Shri B. P. Maurya : The population of the cities is increasing due to the decline of Small Scale industries in the villages. In view of this may I know when the policy regarding these Small Scale industries will be made clear ?

Mr. Speaker : If you want some more information please give a separate notice.

If you want more details in this regard please give separate notice.

Shrimati Sushila Rohatgi : This is too general a question. If you permit me I am prepared to answer. The hon. Member's interest in small farmers is worth appreciating. The Government's entire policy is based on helping the small farmers to the maximum extent. 65% of the new branches have been opened for them in the villages. Some more steps have been taken in this direction under the new schemes like the credit guarantee corporation. It is meant to give loans to small farmers and in case there is some loss, 75 per cent of it is reimbursed. Similarly there is a village adoption scheme. This is also for the benefit of the small farmers. I do not know whether the hon. Member has interest in that scheme or not but the Government have taken steps in this direction.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों को 22.7 प्रतिशत ऋण दिया गया जबकि इससे पहले वर्ष में यह प्रतिशतता 23.6 थी। अत: ऋण देने में यह 0.9 प्रतिशत कम हुई है। वर्ष 1971 में प्राथमिकता क्षेत्रों को दिये गये ऋण में केवल 76.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण में 497.4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक विकास की दर में कमी का सम्बन्ध है, मैं यह स्वीकार करती हूं कि इसमें कुछ कमी हुई है। जहां तक बकाया धनराशि और खाते खोलने का सम्बन्ध है, इसमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। मैं उनकी जानकारी के लिये यह सूचित करना चाहूंगी कि जून, 1969 में खातों की संख्या 1,71,880 थी, जो 1971 में बढ़कर 8,05,639 और दिसम्बर, 1971 में बढ़कर 8, 90, 580 हो गई थी। यही बात बकाया धनराशि के बारे में भी है। जून, 1969 में यह धनराशि 38 करोड़ रुपये थी जो जून, 1971 में बढ़कर 197.4 करोड़ रुपये हो गई और दिसम्बर, 1971 में यह 218.26 करोड़ रुपये थी। निश्चित रूप से इसमें कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन विकासदर में कुछ कमी हुई है।

Shri S. C. Besra : The farmers have not been given any loan for the non-cultivable land of Santhal and Pargana. May I know steps being taken by the Government for arranging loan for them ?

Mr. Speaker : Your Question is too general. If you want to ask about some particular area please give separate notice.

Kumari Kamla Kumari : There are atleast 200 or 300 Riksha-pullers in every District. I want to know whether a loan of Rs. 500 will be given to them so that they can purchase their own Rikhshas. Now-a-days they drive Rikhsha on hire. I want to know the steps being taken in this direction ?

Shrimati Sushila Rohatgi : We will consider this suggestion.

Shri Srikrishan Agrawal : The hon. Minister has just stated that the loans are being advanced to small farmers. The villagers, the small farmers and the industrialists are not getting loans. They are being harassed. What steps are being taken in this

regard ? I am of the view that the farmers are not getting loans from the branches opened in the villages.

Mr. Speaker : She has been replying the same question for such a long time.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just stated in reply to a question that improvement is being made in the procedures. I want to know the specific improvements made. I want to know, whether the affiliation of the person to a political party is taken into consideration before granting loans. Moreover, long time is taken in granting loans. The agents charge commission from the people and the loan is sanctioned after the commission has been realised. I want to know how far it is correct ?

Shrimati Sushila Rohatgi : So far as the first question is concerned Shri Kachwai should rise above party politics. So far as the second question is concerned there has been some delay. There are two reasons for it. Firstly, at the time of nationalisation steps were taken to give as much loan to the farmers as possible. It was also felt necessary to see whether that loan was being utilised or not. So all these things have to be taken into consideration before the loan is sanctioned. It takes some time. There is no other reason for delay.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the amendment Government propose to make in the law.

Mr. Speaker : This you can see in the statement given by the hon. Minister.

Shri Ramavatar Shastri : May I know the percentage of the total loans given during 1971-72 to small farmers and industries and businessmen ?

Shrimati Sushila Rohatgi : If by the small farmers and small industry the hon. Member means the neglected sector, the percentage of the neglected sector comes to 23.

Mr. Speaker : I am allowing 8-9 Members instead of 3-4 Members. But still many Members are standing for supplementaries. It would be better if you have a debate on half an hour discussion on this matter. I will allow that.

Payment of House Rent Allowance to Press Employees

***804. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Government of India Press Employees' Union, Faridabad has submitted an appeal to the Prime Minister for the payment of House Rent Allowance like other Central Government employees working in Delhi ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) : जी, हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

Shri Ramavatar Shastri : What are the details of the letter or memorandum or appeal sent by the Government of India Press Employees Union to the Prime Minister ? What are the demands contained therein ?

श्री के० आर० गणेश : उक्त संगठन ने जो पत्र, फरीदाबाद के कर्मचारियों को दिल्ली के आधार पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते तथा मकान किराया भत्ता दिलाने के लिये लिखा है उसके निम्न आधार थे : फरीदाबाद का निर्वाह-व्यय दिल्ली के निर्वाह-व्यय से कम नहीं है । फरीदाबाद की स्थिति गुड़गांव से अलग है । स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को यह लाभ दे दिये गये हैं । आवश्यक सामग्री की पूर्ति के लिये फरीदाबाद दिल्ली पर निर्भर है । फरीदाबाद दिल्ली के साथ संलग्न है ।

इन कारणों से उन्होंने इन भत्तों की मांग की है ।

Shri Ramavatar Shastri : He has stated that the matter is under consideration. May I know at what stage it is at present. How much time be will take to arrive at a final decision ?

श्री के० आर० गणेश : इस पर विचार करने में कितना समय लगेगा मेरे लिये यह बता सकना सम्भव नहीं क्योंकि यह मामला इस बात पर निर्भर करता है कि फरीदाबाद में इस समय दिल्ली के नगर प्रतिपूर्ति भत्ते तथा किराया मकान भत्ते उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि दिल्ली प्रथम श्रेणी का नगर है और फरीदाबाद तृतीय श्रेणी का । माननीय सदस्य को विदित ही है कि उक्त भत्तों का आधार जनसंख्या है जैसा कि दूसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी । यदि तीसरा वेतन आयोग फैलते हुए नगरों तथा ऐसे विभिन्न मामलों में कोई और निर्णय लेता है तो उन सभी मामलों पर विचार किया जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक इस विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है इस पर निर्णय लेने में पर्याप्त समय लगेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Hon. Minister has just stated that the matter of categorisation of cities is linked up with their population. Prior to that the hon. Minister had stated that the cities would be upgraded on receipt of latest figures of their population. These figures were received long ago and when does the Government prepare to consider the categorisation of cities ? How long this matter would be kept in abeyance ?

श्री के० आर० गणेश : हमारे पास अस्थायी आंकड़े उपलब्ध हैं । जैसे ही वास्तविक आंकड़े, जो कि अब तैयार किये जा रहे हैं, प्राप्त हो जायेंगे, ग्वालियर समेत नगरों के पुन: वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि भले ही सरकार नगर प्रतिपूर्ति भत्ता जनसंख्या के आधार पर मंजूर करती है, परन्तु वास्तव में यह देखा गया है कि बड़े नगरों के उपनगरों में निर्वाह-व्यय लगभग बड़े नगरों के समान ही है । यदि हां, तो यह भेदभाव कैसे दूर किया जायेगा और क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी अथवा नहीं ?

श्री के० आर० गणेश : अपने पहले दिये गये उत्तर में मैंने बताया था कि फैलते हुए

नागरीकरण तथा नगरों के निकट उप-नगरों के विकास को ध्यान में रख कर इस पर विचार किया जायेगा। जब तक वेतन आयोग कोई कसौटी निर्धारित नहीं करता इन समस्याओं पर विचार करना होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had sent a letter to the hon. Minister wherein I had stated that the unions there have stated that Faridabad town has all the merits and the employees there have a right to claim C. C. A. and H. R. A. etc. Has the Government considered that matter and if so what decision has been taken in this regard ?

Shri K. R. Ganesh : The main question has since been replaced to and that covered this supplementary.

डा० सरोजिनी महिषी : आपकी अनुमति से मैं प्रश्न के पहले दिये गये उत्तर में एक छोटी सी शुद्धि करना चाहती हूं। वास्तुशिल्पी को 1833 रुपये तथा ठेकेदार को 96,000 रुपये दिये गये थे।

इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इण्डिया में भर्ती

*806. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इण्डिया के लिये प्रबन्धकों की भर्ती उनके अपने-अपने क्षेत्रों से हुई है, परन्तु कलकत्ता के मामले में ऐसा नहीं हुआ है;

(ख) कलकत्ता हवाई अड्डा के लिये कितने कर्मचारी भर्ती किये जायेंगे; और

(ग) क्या इस क्षेत्र के स्थानीय आवेदनकर्ताओं को नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निदेशक, नागर विमानन विभाग के विमान मार्ग एवं विमान क्षेत्र, संचार एवं वैमानिक निरीक्षण निदेशालयों से लिए गए हैं। इन का चयन प्राधिकरण की आवश्यकताओं एवं अधिकारियों की आपेक्षित वरिष्ठता को दृष्टि में रखते हुए किया गया है, क्षेत्रीय आधार पर नहीं।

(ख) एक निदेशक, एक उपनिदेशक और दो विमान क्षेत्र अधिकारियों को छोड़ कर कलकत्ता विमान क्षेत्र में 537 अन्य पद नागर विमानन विभाग से भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। यदि इनसे अतिरिक्त कोई अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता हुई तो उसकी प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ऐसे पदों की भर्ती, जिनका वेतन 500 रुपये प्रतिमास के कम हो, रोजगार दफ्तर के माध्यम से की जानी आवश्यक है।

श्री समर गुह : श्रीमान, मंत्री महोदय ने बताया है कि निदेशक की नियुक्ति में स्थानीय बातों को महत्त्व नहीं दिया गया और सम्बद्ध वरीयता का ध्यान रखा गया है। इन तथ्यों को

देखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह संयोग ही है कि कलकत्ता को छोड़ कर दिल्ली, बम्बई और मद्रास के निदेशक वहां के स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हवाई अड्डों के नियंत्रकों, संचार और एरोनाटीकल निरीक्षण निदेशालय की संबद्ध साझी वरीयता के होते हुए कलकत्ता एयरपोर्ट के निदेशक को 11 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकारों की उपेक्षा करके कार्य सौंपा गया है। यदि मंत्री महोदय चाहें तो मैं उन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप नाम न बताएं अपितु प्रश्न पूछें।

श्री समर गुह : यदि ऐसी बात है तो इसका क्या कारण है ?

क्या यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे तथा बम्बई हवाई अड्डे के निदेशकों को प्रथम ग्रेड की श्रेणी दी गई है जबकि मद्रास हवाई अड्डे तथा कलकत्ता हवाई अड्डे के निदेशकों को द्वितीय ग्रेड की श्रेणी दी गई है, और यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं। क्या इस भेदभाव का यह अर्थ है कि कलकत्ता हवाई अड्डा तथा मद्रास हवाई अड्डा दिल्ली और बम्बई के हवाई अड्डों से कम महत्त्व के हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकारी अधिनियम के लागू करने का उद्देश्य यही था कि इन चार हवाई अड्डों का विकास किया जा सके और उसका ध्यान रखते हुए एयरपोर्ट प्राधिकारी संबन्धी अधिकारियों को उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लेता रहा है, जिनके लिये अधिनियम चालू किया गया था।

इस संबन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह संयोग ही था कि मद्रास, बंबई और दिल्ली के निदेशक उन्हीं क्षेत्रों के हैं। मैंने अपने उत्तर में पहले ही कहा है कि उनका चयन क्षेत्रीय आधार पर नहीं हुआ। यह एक संयोग ही था।

श्री जोगेन्द्रसिंह को दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया था। वह मद्रास से बुलाये गये थे। वह नागर विमानन विभाग में चले गये हैं। स्थान रिक्त पड़ा है। यह सदस्य महोदय की जानकारी के लिये है। मद्रास में श्री राजगोपालन निदेशक हैं। यह केवल संयोग की ही बात है। वह नागर विमानन विभाग के रेडियो स्टोरज के नियंत्रक थे। वह मद्रास के निदेशक हैं। श्री कपूर कलकत्ता में हैं। यह बात किन्हीं क्षेत्रीय आधारों पर निर्भर नहीं करती और न इसका संबन्ध संबन्धित व्यक्तियों के जन्मस्थान अथवा ऐसी ही अन्य बातों से है। यह वरीयता पर तो निर्भर करता है। परन्तु, जैसा कि आपको विदित है, प्राधिकारी को अधिकारियों को लेने का अधिकार है और कभी-कभी इसके लिये केवल वरीयता को ही महत्त्व नहीं दिया जाता। वरीयता को महत्त्व तो दिया जाता है परन्तु प्राधिकारी, निगम तथा इस प्रकार की अन्य संस्थाओं को गुणों के आधार पर व्यक्तियों को चुनने का अधिकार है। यह माननीय सदस्य की जानकारी के लिये है।

श्री जी० विश्वनाथन् : दूसरे प्रश्न के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री समर गुह : एक और बात है। कलकत्ता और मद्रास के निदेशकों को दूसरी श्रेणी क्यों दी गई है जबकि बंबई और दिल्ली में प्रथम श्रेणी दी गई है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया।

डा० सरोजिनी महिषी : इसका कारण दिल्ली और बंबई के हवाई अड्डों का यातायात तथा विकास बहुत अधिक है और समय आने पर यह उन पर भी लागू किया जायेगा।

श्री समर गुह : मंत्री महोदया ने बताया कि निदेशक का पद वरिष्ठता के आधार पर भरा गया है। मैंने नाम का उल्लेख नहीं किया था। परन्तु मंत्री महोदय ने स्वयं एक निदेशक का नाम लिया है। मैं सदन के समक्ष अनेक ऐसे अधिकारिओं के नामों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनकी वरिष्ठता की उपेक्षा करके श्री कपूर को निदेशक नियुक्त किया गया है **(व्यवधान)** मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता था, भले ही मेरे पास सभी नाम हैं। क्या यह सच है कि कई वरिष्ठ अधिकारियों यथा श्री एस० के० गोडबोले, श्री पी० के० रामचन्द्रन, श्री जी० ए० गुप्ता, श्री एस० एस० चौधरी, श्री आर० के० रक्षित, श्री आर० जी० बार्डे, श्री एम० डी० नायक, श्री टी० वी० शंकरण, श्री के० एम० एस० राव, श्री के० वी शिन्दु और श्री एन० भारदो देजन की वरिष्ठता की उपेक्षा की गई है और श्री कपूर को कलकत्ता एयरपोर्ट का निदेशक नियुक्त किया गया। उसका क्या कारण है ?

क्या यह भी सच है कि उन तीन जन-सम्पर्क अधिकारियों की, जिन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों एवं यात्रियों की भली प्रकार सेवा की है तथा जिनके कार्य की अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा की गई है, उनके पदों से अवनति कर दी गई अथवा उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया। क्या सरकार उनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है ?

डा० सरोजिनी महिषी : मैं माननीय सदस्य तथा सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहती हूं कि वे सभी अधिकारी, जिनके नामों का उल्लेख किया गया है, श्री कपूर से अवर हैं, जिन्हें कलकत्ता एयरपोर्ट का निदेशक नियुक्त किया गया है।

दूसरे ग्रेडों के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने श्री समर गुह को गलत जानकारी क्यों दी है ?

डा० सरोजिनी महिषी : मुझे ज्ञात नहीं है कि किसने जानकारी दी है।

श्री समर गुह : दमदम के सभी जन-सम्पर्क अधिकारियों को अपने पदों में अवनति का भय बना हुआ है। ऐसा क्यों है ?

श्री डी० बसुमतारी : अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 500 रुपये से कम वेतनमान के पदों के लिये नियुक्ति जो रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में परिपत्र सम्बद्ध व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है ? अधिकारी द्वारा बताया गया है कि ऐसा कोई परिपत्र नहीं था। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या स्थानीय अधिकारियों को कोई ऐसा परिपत्र जारी किया गया था ?

डा० सरोजिनी महिषी : ऐसा किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकारी अधिनियम में ही उसे सम्मिलित किया गया है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि इन अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर जन-सम्पर्क अधिकारियों समेत कितने स्थानीय अधिकारियों को लिया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कलकत्ता के उन जन-सम्पर्क अधिकारियों समेत स्थानीय अधिकारियों जिन्होंने पहले नागर विमानन में कार्य किया था, को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकार में लिया गया है।

डा० सरोजिनी महिषी : नागर विमानन विभाग के 637 अधिकारियों में से 537 को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकार में नियुक्त किया गया है।

श्री बी० के० दासचौधरी : जन-सम्पर्क अधिकारियों की क्या स्थिति है ?

डा० सरोजिनी महिषी : उनमें से कुछ पहले ही लिये जा चुके हैं और प्राधिकार अभी भी नियुक्तियां कर रहा है। उन अधिकारियों का लिया जाना प्राधिकार पर ही निर्भर करता है। बहुत सी प्रतिनियुक्तियां नागर विमानन विभाग में से की गई हैं। कुछ मामलों में सीधे नियुक्तियां की गई हैं क्योंकि एयरपोर्ट प्राधिकार में सक्षम कर्मचारियों की आवश्यकता है, अतएव ऐसा करना पड़ता है। पहले नागर विमानन विभाग के अधीन देश में 92 हवाई अड्डे थे। अब हवाई अड्डों को पृथक किया गया है और उनका अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकार के रूप में विकास किया गया है। इसलिए बेहतर सुविधाएं और अधिक सक्षम सेवाएं दी जानी आवश्यक हैं। इसलिए अधिक सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए कुछ उच्च वेतनमान भी दिये गये हैं। जो व्यक्ति नागर विमानन विभाग में कार्य करते थे, जिन्हें वे वेतनमान नहीं मिल रहे थे, उन्हें भी उच्च वेतनमान मिल रहे हैं।

श्री समर गुह : उन अधिकारियों को हानि उठानी पड़ी है। सभी अति विशिष्ट व्यक्तियों ने उनके बारे में सिफारिश की थी। अन्तर्विभागीय शत्रुता के कारण उन्हें बरखास्त किया गया है। हम लोग यहां पर किसलिये हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : वे लोग अति विशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिशों पर निर्भर नहीं करते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि कलकत्ता डिवीजन में प्रतिवर्ष वर्ग 3 और 4 के कई स्थान रिक्त होते हैं परन्तु एक भी मामला रोजगार के दफ्तर को नहीं भेजा जाता ?

अध्यक्ष महोदय : यह इण्डियन एयरलाइन्स नहीं बल्कि हवाई अड्डा प्राधिकरण है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जी हां। यह भी तो इण्डियन एयरलाइन्स के अधीन है

अध्यक्ष महोदय : फिर भी यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अर्थात् 500 रु० से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी स्थानीय क्षेत्र के हैं। मेरा प्रश्न यह है कि तृतीय तथा चतुर्थ संवर्ग में अनेक स्थान रिक्त हैं; फिर भी इन रिक्त स्थानों के लिये रोजगार कार्यालय को अधिसूचित नहीं किया गया।

डा० सरोजिनी महिषी : पहले नागर विमानन विभाग कलकत्ता हवाई अड्डे की देख-भाल करता था कुछ समय पूर्व कलकत्ता हवाई अड्डे से सम्बन्धित कतिपय अप्रिय घटना हो जाने के फलस्वरूप कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की गई। रोजगार कार्यालय को सूचना भी दी गई थी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या एयरवेज के छटनी हुए कुछ कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि इन स्थानों को पूरा करते समय उनके मामलों पर विचार किया जायेगा ? मुझे पता चला है कि 52 तकनीकी कर्मचारी अभी तक खपाये नहीं गये हैं और वे बेकार हैं। क्या भर्ती के समय उनके मामलों पर विचार किया जायेगा ?

डा० सरोजिनी महिषी : उन्होंने अधिकांश को खपा लिया है, यह सब जानते हैं। माननीय सदस्य भी इस तथ्य को जानते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : अभी 52 शेष हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को घसीट रहे हैं। आपने स्वयं ही स्वीकार किया है। अगला प्रश्न।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के कर्मचारियों का समयोपरि भत्ते का बिल

*807. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
+**श्री हरि किशोर सिंह :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के समयोपरि भत्ते के बिल में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सम्बन्धित कर्मचारियों के कुल-वेतन बिल की तुलना में यह कितने प्रतिशत है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखती हूं।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया द्वारा समयोपरि भत्ते के भुगतान पर नियंत्रण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिये कुल वेतन बिल की तुलना में समयोपरि बिल की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

इण्डियन एयरलाइन्स

अवधि	समयोपरि बिल	कुल वेतन बिल	प्रतिशतता
	(लाख रुपयों में)		
1969-70	202.06	1442.23	14.0
1970-71	237.88	1573.80	15.1
1971-72 (अनंतिम)	251.22	1885.55	13.3
एयर इण्डिया			
1968-69	64.25	1211.33	5.3
1969-70	74.84	1380.76	5.4
1970-71	91.13	1623.53	5.6

श्री हरि किशोर सिंह : विवरण से स्पष्ट है कि एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के समयोपरि भत्ते के बिल में निरन्तर वृद्धि हो रही है। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों ने "नियमानुसार" कार्य करने की वृत्ति अपनाई हुई है ? किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को इस समयोपरि बिल से लाभ होता है ? तीसरे, क्या सरकार बेकार तकनीशियनों तथा अन्य लोगों को रोज़गार देकर समयोपरि अदायगी को रोकने पर विचार करेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : समयोपरि भत्ते में वर्ष 1969-70 से 1970-71 तक वृद्धि हुई है। वर्ष 1969 में यह एयर इण्डिया के कुल कर्मचारियों को दिये गए वेतन का 14 प्रतिशत था; वर्ष 1970 में यह 15·1 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 1971-72 में यह 13·3 प्रतिशत रह गया। एयर इण्डिया द्विपक्षीय क़रारों में उत्पादकता संबन्धी खण्ड जोड़कर समयोपरि भत्ते को कम करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है। निश्चय ही यह खण्ड एयर इण्डिया के नियमों तथा विनियमनों में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त रख-रखाव कर्मचारी वृन्द, इन्जीनियरी कर्मचारी वृन्द तथा हंगारों में कार्य कर रहे कर्मचारी वृन्द के साथ किये गए द्विपक्षीय क़रारों में, और एयर इण्डिया तकनीशियन संगठन तथा एयर कार्पोरेशन एमप्लाईज़ यूनियन के कर्मचारी वृन्द के साथ किए गये क़रारों में यह खण्ड शामिल किया गया है। इसके फलस्वरूप समयोपरि भत्ते में कमी की जा रही है।

श्री दशरथ देव : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि इण्डियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों की कमी है और इसी कारण समयोपरि कार्य बढ़ रहा है। क्या सरकार वर्तमान कर्मचारी वृन्द को समयोपरि कार्य पर लगाने की बजाय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का

विचार कर रही है ? यदि यह सुझाव मान लिया जाये तो अन्य लोगों को भी रोज़गार मिल जायेगा ।

डा० सरोजिनी महिषी : यद्यपि माननीय सदस्य ने एक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला है परन्तु वस्तुत: ऐसी बात नहीं है । कभी-कभी कर्मचारियों को एक घण्टा, दो घण्टे या तीन घण्टे समयोपरि कार्य करना पड़ता है । कर्मचारी शिफ़्ट अधिकारी उसी समय निश्चय करता है कि समयोपरि कार्य करने की आवश्यकता है अथवा नहीं । कभी-कभी वह निर्णय करता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है । इसलिये उक्त कार्य पूरे दिन का कार्य नहीं होता, जो कि ऐसे व्यक्ति को दिया जाये जो कि पहले ही आठ घण्टे कार्य कर चुका है । अत: अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करना न्यायसंगत नहीं होता ।

Scheme to attract capable youngmen for Army

***808. Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the number of Officers in the various Regiments of the Indian Army is declining ;

(b) if so, the reasons therefor : and

(c) whether any scheme is under consideration to attract capable youngmen to the Army and if so, the salient features thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No new schemes are under consideration. However, over the last few years, several steps have been taken to attract youngmen of requisite calibre and quality to join the Army with a view to reducing the shortages in the Officers' cadre.

Shri G. P. Yadav : The hon. Minister has stated in part (a) of the reply that there is no shortage but in part (c) itself he says that certain steps have been taken to meet that shortage. It is a contradiction and it appears that something is being concealed. Secondly, in part (b) of the question I have clearly asked what schemes are being introduced to attract more and more youngmen in the army ?

Shri Vidya Charan Shukla : No attempt has been made to conceal anything. The hon. Member had asked whether there had been a decline in the number ; and that is not there. But certainly we have taken some steps to fill up the gap between our authorised strength and the actual strength ; and the details of those actions I can give just now. Firstly, we have revised the age limit for recruitment to Military Academy so as to enable more persons to get recruitment. In addition, terms of work and other conditions have also been revised to attract more and more people in the Army. The deficiency seen

earlier was because of the fact that most of the youngmen prefer joining business houses to I. A. S. or the Army.

Shri G. P. Yadav : The hon. Minister has stated that steps will be taken to attract the trainees of A. C. C. and N. C. C. and also others who are rushing to join I. A. S., I. P. S. and other business firms, to come the army fold by offering them better pay-scales and other facilities.

Shri Vidya Charan Shukla : I have said that those who are going for other private concerns are not very much attracted towards Army and I. A. S. and other State Services. It is not so in Army only. Still we have taken measures to set it right. As I said, we have revised the age-limit. Besides that we are thinking of bringing forward a National Services Bill also. That will also prove helpful in this respect. Then, as regards applications of admission to National Defence Academy, there has not been any decline in their number they are rather on the increase but we could not enroll more officers because of strict terms. We, however, hope that the situation would ease with the next two years.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that persons from certain particular regions are recruited to army because those who make recruitments belong to those regions ; and that that has accentuated regional imbalance too. I want to know whether any effort has been made to eliminate such practices ?

Shri Vidya Charan Shukla : The hon. Member has not said something very wrong, It is, however, not done deliberately ; there have been certain historical connections which result in such a type of affirmations that comparatively more people from Haryana, Punjab and certain other particular States are there in the army. But so far as Government are concerned, there is no discrimination and those who make recruitments have no intention, of making discriminations.

Shri Jharkhande Rai : Keeping in view that the youngmen are not attracted not only towards army but towards Goverоment jobs also ; as he himself has admitted that they rush for either private companies or start their own institutions ; may I know whether the Central Government propose to restrict the pay-scales of those private firms to certain minimum and maximum as has been done by the Bangla Desh Government so that those firms are able to offer less than the prescribed minimum and more than the maximum ; and thus their jobs become less attractive ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is a very wide question to put a restriction of. minimum and maximum on our private sector. I won't be able to say anything on this But as regards of Services we are trying to attract more and more people towards them.

Expert Committee on protection of Barauni Industrial Complex from Floods

*809. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether any Expert Committee recently considered the question of protecting Barauni Industrial Complex from floods in the River Ganga ;

(b) if so, the recommendations made by the Committee ; and

(c) the scheme prepared by Government in this regard and the estimated expenditure likely to be incurred thereon ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) बरौनी में उद्योग समूह को जुलाई/अगस्त, 1971 में बाढ़ों द्वारा उत्पन्न गम्भीर खतरे के परिणामस्वरूप और गत समय में इस प्रकार उत्पन्न हुई परिस्थितियों तथा भविष्य में भी इसी प्रकार की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने, मार्च, 1972 में उद्योग समूह के बचाव से सम्बन्धित समस्या का गहराई से अध्ययन करने तथा इस संबंध में स्थायी प्रकार के उपचारों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की। यह दल सिफारिशों में उल्लिखित लागत अनुमानों के बारे में भी शिफारिशें करेगा।

इस दल ने तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तथा एक महीने के बीच एक अन्तरिम रिपोर्ट (जिसमें उन तत्काल उपायों का उल्लेख होगा जो अपनाए जाने चाहिएं) प्रस्तुत करनी थी। अप्रैल, 1972 में दल की दो बैठकें हुईं तथा अब 7 एवं 8 जून, 1972 को इसकी बैठक होनी है जिसमें इसकी अन्तरिम रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने की आशा है।

Shri Ishwar Chaudhry : Barauni Industrial Area enjoys a great importance. It has cost Rs. 100 crores and another Rs. 100 crore would be spent on this petro-chemical complex. So may I know whether the Government of India or the Government of Bihar had conducted any inquiry in regard to the danger of floods to this complex ? Secondly, what is the height of the area from the Ganga level ? May I know whether Moungyer in the South is at more height, and if so, at what height ?

Mr. Speaker : You had asked about the Expert Committee and its recommendations but now you have started talking about the height and depth.

श्री एच० आर० गोखले : मैं मानता हूँ कि बरौनी उद्योगसमूह बड़ा महत्त्वपूर्ण है और उसमें भारी पूँजी निवेश है। सरकार ने बाढ़ आदि की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा है। यही कारण है कि जब गत वर्ष वहां भारी बाढ़ आई थी तो भी बरौनी कारखाने का कार्य एक दिन के लिए भी नहीं रुका और निरन्तर चलता रहा। फिर भी हम सुस्ती नहीं करना चाहते और इसी कारण हमने अन्तरिम उपायों सहित और आगे उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की है ताकि यदि बाढ़ गत वर्ष की अपेक्षा भी ऊँची हो तो भी हम अपने उद्योग समूह की रक्षा कर सकें।

Shri Ishwar Chaudhry : May I know whether the Government of India or the Bihar Government had conducted any survey to ascertain the possibility of erosion ?

Mr. Speaker : He has already replied to this.

Shri Ishwar Chaudhry : The Government had sent a group of experts to make a study before the onset of monsoons and give a report to the Government so that the already delayed work could be started immediately in May. May I know whether it would be started before the monsoons and completed in June-July, and also, how much time it would take ?

श्री एच० आर० गोखले : जैसा मैंने कहा है कि मार्च, 1972 में विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी और इस समिति को अपना प्रतिवेदन पेश करने के लिए तीन मास का समय दिया गया था। जैसा मैंने कहा है, हमने उनको कहा है कि वे एक मास के भीतर अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दें। अब समिति की बैठकें हो रही हैं और अन्तरिम प्रतिवेदन 8 अथवा 9 जून को पूरा हो जायेगा। यदि अन्तिम प्रतिवेदन भी पूरा हो गया तो भी माननीय सदस्य यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि भारत सरकार या बिहार सरकार समिति की सिफारिश के अनुसार इस विशाल परियोजना को पूरा कर लेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि वर्तमान स्थिति में भी गत वर्ष भारी बाढ़ आने पर भी बरौनी उद्योग समूह का कार्य एक क्षण के लिए भी नहीं रुका।

Rise in the Prices of Sulpha Drugs and Anti-Biotics

***810. Dr. Laxminaraian Pandey** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the prices of Sulpha drugs and anti-biotics have gone up considerably during the last three months;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to bring down the prices ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) इस समय समस्त औषधियों के मूल्य औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किए गए हैं और गत तीन महीनों के दौरान सरकार ने सल्फा औषधियों (प्रपुंज एवं सूत्रयोगों) तथा एण्टीबायोटिक्स (प्रपुंज) के मूल्यों का संशोधन नहीं किया है। तथापि संबंधित प्रपंज औषधियों के मूल्य में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, क्लोरम्फेनिकोल एवं क्लोरम्फेनिकोल पलमीटेट पर आधारित कुछ सूत्रयोगों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी।

Dr. Laxminarain Pandey : The hon. Minister has stated that the prices of certain sulpha-drugs and anti-biotics have been increased ; whereas in the first part it has been denied. I want to know what per cent increase has been made in the prices of chloramphenicol and chloramphenicol palmitate ; and by what per cent have gone up in the market ?

श्री एच० आर० गोखले : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। मैंने कहा था कि सल्फा औषधों का तो मूल्य नहीं बढ़ा है। जहां तक एण्टीबायोटिक्स का संबंध है, प्रश्न यह था कि क्या उनके मूल्य गत तीन मास में बढ़े हैं। मैंने कहा था कि गत तीन मास के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी उपरोक्त दो औषधों के बारे में मैंने आगे कहा था कि इनके मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। यह वृद्धि भी थोक औषधों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण वर्ष 1970 के आरम्भ में हुई है। क्योंकि ये दोनों औषधें आयात पर आश्रित हैं, अतः इस सम्बन्ध में इनके मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी। अन्य के बारे में और यहां तक कि एण्टीबायोटिक्स के बारे

में कोई वृद्धि नहीं हुई है । यह एक बड़ी सूची है । क्या मुझे इतनी बड़ी सूची यहां पढ़नी चाहिये ?

Dr. Laxminarain Pandey : I had asked about the antibiotics only. I wanted to know whether, after the increase in the prices of antibiotics, the prices of chloramphenicol which is used for making chloromycitine and retracycline which is manufactured as acromycine by Laderley, and which is supplied by I. D. P. L. ; have gone up by one and a half or even two times the prices in open market. Have you therefore taken any steps to remove this variation of prices and bring them to the same level ?

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि मैंने कहा क्लोरम् फेनिकोल तथा क्लोरम् फेनिकोल पलमीटेट पर आधारित केवल इन दोनों औषधों के मूल्यों में वृद्धि हुई है जो कि एण्टीबायोटिक्स हैं । उसका कारण यह है कि हमें अधिकांशतः बड़ी मात्रा में औषधों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न तो तीन मास की अवधि से संबंधित है । अनुपूरक प्रश्न इस सीमा से बहुत परे चले गये हैं ।

श्री एच० आर० गोखले : इसीलिए मैंने कहा था कि गत तीन मास में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

Dr. Laxminarain Pandey : My objection was to such an increase during these two months. I had said that there is a great difference in the prices of antibiotics supplied by I. D. P. L. and of those supplied by Days or Laderley companies. What are the reasons therefor and what arrangements are being done to remedy it ?

श्री एच० आर० गोखले : इन दोनों औषधों की सप्लाई आयात पर निर्भर है । केवल इन्हीं दो औषधों संबंधी आयातित थोक औषधों के मूल्य बढ़े हैं । अन्य के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । आई० डी० पी० एल० द्वारा आयात मूल्यों से कम मूल्यों पर सप्लाई किए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

Dr. Laxminarain Pandey : I had asked as to what action is being taken to remove the disparity in the prices of these drugs which are being supplied by the I. D. P. L. and which are being supplied by M/s. Days and M/s. Laderley respectively under the names Subamycine and acromycine ?

श्री एच० आर० गोखले : आई० डी० पी० एल० क्लोरम् फेनिकोल का निर्माण नहीं करता है अतः उसके द्वारा इसकी सप्लाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता है । जहां तक प्रतिशतता का संबंध है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, तो यह विभिन्न प्रकार की औषधों पर निर्भर करती है । उनके बारे में यहां मेरे पास सारे तथ्य हैं जिनमें पहले तथा पुनरीक्षित मूल्यों का ब्यौरा है । मैं उन्हें सभा-पटल पर रख सकता हूं । यह औषधों की एक लम्बी सूची है ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि इन एन्टीबायोटिक्स के मूल्यों को स्थायी रखने के लिए सरकारी क्षेत्र में इनके उत्पादन हेतु कोई उपाय किये जायेंगे ?

श्री पीलू मोदी : क्या हिन्दुस्तान स्टील द्वारा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गत तीन मास के दौरान का है। मंत्री महोदय का कहना है कि इस अवधि में मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर भी मूल्यों को नियत्रित करने के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि मंत्री महोदय भी नियम के विरुद्ध इस अवधि से पूर्व के समय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते गये। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में वित्त पोषक कम्पनियों का कार्यकरण

*802. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी वित्त पोषक कम्पनियां हैं;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनमें से कुछ कम्पनियों ने सैकड़ों व्यक्तियों को, जिन्होंने इनमें अपनी धनराशि जमा कराई थी, उनकी राशि न लौटा कर धोखा दिया है तथा कुछ कम्पनियों ने अपना दिवाला निकाल दिया है, जिससे उन्हें जमाकर्ताओं की राशि का वापस भुगतान न करना पड़े।

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के कार्यकरण की कोई जांच की है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) से (घ) रिजर्व बैंक को अब तक दिल्ली की 28 वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कम्पनियों के नाम विवरण में दिये गये हैं।

शिकायतें आम तौर से कम्पनियों द्वारा जमा रकमों और ब्याज की अदायगी न किये जाने से सम्बन्धित हैं। उन मामलों में जहां औरों की तुलना में अधिक रकमों का मामला है, रिजर्व बैंक द्वारा सम्बद्ध कम्पनियों का निरीक्षण किया गया था। कुछ मामलों में यह देखा गया कि जमाकर्ताओं द्वारा आवेदन-पत्र देने पर अधिकतर कम्पनियों का परिसमापन हो गया। कुछ अन्य मामलों में रिजर्व बैंक द्वारा शिकायतकर्ताओं को कानूनी कार्यवाही करने की सलाह दी गयी थी। चूंकि जमा के लिए रकमें स्वीकार करना जमाकर्ता और सम्बद्ध कम्पनी के बीच एक करार होता है और चूंकि रिजर्व बैंक के पास कम्पनियों को अदायगी करने के लिए निर्देश देने का कोई

कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए जमाकर्ताओं के पास अपनी बकाया रकमें वसूल करने का उपाय सम्बद्ध कम्पनी पर दावा करना ही है ।

विवरण

दिल्ली की उन वित्त कम्पनियों के नामों का विवरण, जिनके विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक में शिकायतें प्राप्त हुई हैं

क्रम सं०	कम्पनी का नाम

(क) वे कम्पनियां जिनका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण किया गया

1. ग्लोब ऐसोसियेट (प्राइवेट) लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
2. ग्लोब फाइनेंसियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
3. कोहली फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
4. हिन्द फाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
5. रोडवेज एण्ड जनरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
6. तुली फाइनेंसियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
7. जोइंट फाइनेंसियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
8. सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
9. हाईवे आटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
10. हेराल्ड एण्ड मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।

(ख) वे कम्पनियां जिनका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण नही किया गया

1. ग्लोब बेनिफिट चिट फण्ड (प्राइवेट) लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
2. सचदेव फाइनेंस सेण्टर प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
3. कैपिटल फाइनेंस आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
4. आनन्द फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
5. बी० धर्म सिंह एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
6. धर्म सिंह राम सिंह (मोटर्स) प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
7. लिबर्टी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
8. ब्राडवेज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
9. अशोक फाइनेंस कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
10. कल्याण फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
11. कृष्णा ट्रांसपोर्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
12. यूनाइटेड इण्डिया जनरल फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
13. ग्रेजुएट ट्रेडर्स फाइनेंसर्स एण्ड चिट फण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
14. आर० एस० मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
15. विजय फाइनेंस एण्ड उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।

16. नरूला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।

17. तनवार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।

18. राजश्री कमर्शियल फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नयी दिल्ली ।

Change in Age for Admission to National Defence Academy

***805. Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the age prescribed for admission to the National Defence Academy has been changed ; and

(b) if so, the age now prescribed and the reasons for the change ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The minimum and maximum age limits for admission to the National Defence Academy have been changed from 15—17½ years to 16—18½ years with effect from the course which commenced in July, 1971. The change was consequent to the raising of minimum educational qualification from Matriculation to Higher Secondary for admission to the institution with a view to increase the educational standards of the officer cadre of our Armed Forces.

भारतीय तेल निगम द्वारा अर्जित लाभ

*811. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में अपेक्षाकृत अधिक बिक्री होने के बावजूद उस वर्ष भारतीय तेल निगम ने पहले वर्ष की तुलना में कम लाभ अर्जित किया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) मात्राओं के रूप में, भारतीय तेल निगम ने पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 1970-71 में अपने विक्रयों में 8·3% तक सुधार किया । इस आधार पर इस वर्ष में इसका शुद्ध लाभ कम से कम 22·11 करोड़ रुपये होना चाहिए था किन्तु चार कारणों से, जो उसके नियंत्रणाधीन नहीं थे, केवल 15·77 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ हुआ । भारतीय तेल निगम द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड से अशोधित तेल की खरीदों में पूर्वप्रभावी वृद्धियों के कारण 5·5 करोड़ रुपये से अधिक की कमी पहला हेतु है । लुब्रीकेन्ट्स के विक्रय पर अप्राप्य करों के भुगतानों आदि में वृद्धियों के कारण 3·3 करोड़ रुपयों की कमी दूसरा हेतु है । बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन के आयात पर अप्राप्य शुल्कों के वृहत्तर भार के कारण 79 लाख रुपये तीसरा हेतु है । कुछ राज्यों द्वारा लगाए गए अप्राप्य विक्रय करों पर 70 लाख रुपये की कमी चौथा हेतु है । यदि ये चार तथ्य, भारतीय तेल निगम के नियंत्रण में होते तो वर्ष 1970-71 में भारतीय तेल निगम को 26·24 करोड़ रुपये लाभ हुआ होता अर्थात् पिछले वर्ष से 28% से अधिक की वृद्धि होती । अभी समाप्त हुए वर्ष अर्थात् 1971-72 में इस निगम को 28 करोड़ रुपये के लाभ की आशा है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसियों पर अधिक बोनस दिया जाना

*812. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले वर्ग के लोगों की पालिसियों पर जीवन बीमा निगम द्वारा अधिक बोनस का भुगतान किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

Proposal to Introduce Compulsory Military Training

***813. Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to introduce compulsory military training in the country ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Opening of Sainik Schools in Madhya Pradesh in Fourth Five Year Plan

***814. Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the Districts of Madhya Pradesh where Sainik Schools are proposed to be opened during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There is already a Sainik School at Rewa in Madhya Pradesh since July, 1962. There is no proposal for the opening of any other Sainik School in Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

*815. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने के लिये एक नया फार्मूला तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) बोनस की अदायगी के लिये कोई विशिष्ट फार्मूला नहीं है । फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों ने जैसी कि पहले प्रथा थी, परिलब्धियों के प्रतिशत के रूप में तदर्थ आधार पर बोनस सम्बन्धी समझौता करने के बजाय इसका सम्बन्ध वर्ष के कार्यचालन परिणामों से स्थापित करके वर्ष 1971 के लिये बोनस की अदायगी को युक्तियुक्त बनाने का प्रयत्न किया है । 1970 में जितनी बोनस की अदायगी की गई थी उतनी अदायगी की गारण्टी देकर 1970 की तुलना में 1971 में हुए अधिक लाभ की शेष रकम का इन शीर्षकों में समायोजन करके सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया गया था :—

(i) बैंक में प्रतिधारित सांविधिक प्रारक्षित निधि :

(ii) कर्मचारियों को बोनस की अदायगी; और

(iii) केन्द्रीय सरकार को लाभांश ।

'एयरपोर्ट द पेरिस' की अध्ययन रिपोर्ट

*816. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली, बम्बई और मद्रास के हवाई अड्डों के विकास तथा इनके सुधार के सम्बन्ध में अध्ययन करने का कार्य सरकार ने फ्रांस की एक फर्म 'एयरपोर्ट द पेरिस' को सौंपा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ग) क्या अध्ययन केवल अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक ही सीमित था अथवा नई दिल्ली के अन्तर्देशीय हवाई अड्डे के बारे में भी अध्ययन किया गया था; और

(घ) अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विमानक्षेत्र के सम्बन्ध में अध्ययन पूरा हो चुका है । बम्बई तथा मद्रास विमानक्षेत्रों के सम्बन्ध में, अध्ययन फर्म के साथ किये गये समझौते में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार चल रहे हैं ।

(ग) मास्टर प्लान में दिल्ली विमानक्षेत्र पर एक नये टर्मिनल काम्प्लेक्स की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय दोनों प्रकार के यातायात की आवश्यकता पूर्ति करना है ।

(घ) फर्म द्वारा किये गये अध्ययनों का सम्बन्ध यातायात सम्बन्धी भविष्यवाणियों, दिल्ली तथा बम्बई विमानक्षेत्रों में नये टर्मिनल कॉम्प्लेक्सों के लिये मास्टर प्लानों और दिल्ली विमानक्षेत्र के लिये 'कार्यक्रम नक्शों' (प्रोग्रैम ड्राइंग्स) से है। दिल्ली और बम्बई विमानक्षेत्रों के लिये मास्टर प्लानों तथा दिल्ली विमानक्षेत्र के लिये कार्यक्रम नक्शों का अनुमोदन किया जा चुका है।

सामान्य बीमा कर्मचारियों को परेशान किया जाना

*817. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाये हैं कि अनेक स्थानों पर सामान्य बीमा कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में दिल्ली स्थित अधिकारियों को पत्र लिखे हैं और वे इन अधिकारियों से मिले भी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) परेशान किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु सेवा समाप्ति और वेतनवृद्धि/पदोन्नति मिलने के व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सम्बन्धित अभिरक्षकों (Custodians) के साथ परामर्श करके इन दरख्वास्तों की जांच की गई है और जिन मामलों में आवश्यक था, उनमें उचित आदेश दिये गये हैं।

भारत में नई किस्मों के विमानों का विकास करने के लिए मिराज जैट विमानों के फ्रांसीसी निर्माताओं से सहायता

*818. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नये प्रकार के विमानों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये मिराज जैट विमानों के फ्रांसीसी निर्माताओं से सहायता प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) नये किस्म के वायुयानों के विकास हेतु हमारे कार्यक्रम में सहयोग तथा सहायता देने के लिए, कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। जिनमें फ्रांसीसी वैमानिकी उद्योग का भी एक सुझाव शामिल है। यह सब सोच-विचार के विभिन्न चरणों में हैं।

Supply of Fuel to Thermal Power Stations in Assam and Gujarat

*819. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Petrolium and Chemicals** be pleased to state :

(a) the rates at which fuel is supplied to the Thermal Power Stations of Assam and Gujarat by the Indian Oil Corporation :

(b) whether there is any difference in the two rates and if so, the reasons therefor ; and

(c) whether it is proposed to make the rates uniform ?

The Minister of Law and Justice and Petrolium and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) (a) to (c) The particulars regarding fuel oil supplies to Thermal Power Plants in: Assam and Gujarat are furnished below:

(1) Assam

At present light diesel oil is alone being supplied to the Thermal Power Plants in Assam from the Gauhati Refinery in accordance with the terms and conditions of the Agreement entered into by the Indian Oil Corporation with Assam State Electricity Board. The price that is being charged for the light diesel oil so supplied is Rs. 103.21 per KL exclusive of transportation charges. This price is subject to the usual taxes, local levies, etc. The light diesel oil that is being supplied to the Thermal Power Plants of the Assam State Electricity Board is exempted from excise duty as this is produced out of indigenous crude and used for power generation by public utilities.

(2) Gujarat

The Thermal Power Plants in the Gujarat States are being supplied furnace oil, light diesel oil and low sulphur heavy stock. The price of each of these fuels is based on the ceiling selling prices (CSP) at the relevant pricing and supply point prevailing from time to time. The current ceiling selling prices at each of the storage points is indicated below for furnace oil and light diesel oil : –

(Rs./KL)

	Ex Bombay/Koyali	Ex Okha	Ex Kandla
Light Diesel Oil	345.66	346.63	346.93
Furnace Oil	232.78	233.40	233.73

For the CSP for Furnace Oil ex storage point within free delivery zone add Rs. 10/KL to the above price.

As far as low sulphur heavy stock is concerned, this fuel is at present being supplied to Dhuwaran Power Plant of the Gujarat Electricity Board and also the Ahmedabad Electricity Company. The price in respect of the former is being referred for arbitration. The ex-refinery price of low sulphur heavy stock that is being supplied to Ahmedabad Electric Company is Rs. 137.50 per tonne as on 29.5.1971.

The reasons for the difference in the rate at which fuel is being supplied to the Thermal Power Plants in Gujarat and Assam is that light diesel oil that is produced at

Gauhati Refinery out of indigenous crude oil for power generation by public utilities is accorded excise duty exemption. On the other hand the light diesel oil at Koyali Refinery cannot be wholly produced from indigenous crude oil and therefore does not enjoy duty protection.

The possibility of having uniform prices all over the country was considered by the Oil Prices Committee but was not recommended for adoption.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ

*820. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1970 की तुलना में 1971 में अधिक लाभ हुआ;

(ख) क्या बैंक के कर्मचारियों को 1971 के लिये दी जाने वाली बोनस की राशि 1970 में दी गई राशि से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश में शक्तिचालित करघों को ऋण

5861. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश में काम कर रहे शक्तिचालित करघों के मालिकों को कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और यह, जिस सीमा तक व्यवहार्य होगा, इकट्ठी की जाएगी और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मंगलौर के निकट पेनाम्बूर में उर्वरक उद्योगसमूह की स्थापना के लिए ब्रिटेन सरकार से ऋण

5862. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर के निकट पेनाम्बूर में एक उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने में होने वाले 'पौंडों' के खर्च को पूरा करने के लिए ब्रिटेन सरकार भारत को नौ करोड़ रुपये का ऋण देने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) उन भारतीय वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं जो इसके स्वदेशी खर्च को पूरा करेंगे।

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) और (ख) जी हां, यू० के०/इण्डिया मिक्स प्रोजेक्ट ऋणों में से मैसर्स मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को उनकी उर्वरक प्रायोजना के अमोनिया एवं यूरिया संयंत्रों की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लागतों के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया है जो 10.5 मिलियन पौंड से अधिक नहीं है। यह ऋण ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत सरकार को है और कम्पनी को केवल विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधाएं दी जायेंगी। उपलब्ध धनराशि ब्रिटेन में बने उपकरणों तथा वहां से प्राप्त सेवाओं की स्टर्लिंग लागत को पूरा करने के लिये इस्तेमाल की जाएगी। लन्दन में अपने बैंक में अपरिवर्तनीय ऋण पत्र खोल कर कम्पनी उक्त ऋण में से ब्रिटिश ठेकेदारों को भुगतान करेगी।

(ग) भारतीय वित्तीय संस्थान अर्थात् आई० डी० बी० आई०, एल० आई० सी०, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० एफ० एसी०, तथा यू० टी० आई० मंगलौर उर्वरक प्रायोजना की कुल लागत का कुछ भाग पूरा करेंगे।

केरल में नर्सों के लिए भर्ती कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

5863. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नर्सों के लिये कोई भर्ती कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्म्यूसिटिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

5864. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्म्यूसिटिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध में कोई परिवर्तन करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जलसेना की दक्षिणी कमान के गठन का प्रस्ताव

5865. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आने वाले वर्षों में कोचीन में मुख्यालय के साथ जलसेना की दक्षिणी कमान का अलग से गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सी० एस० डी० (प्रथम) में पदोन्नतियां

5866. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एस० डी० (प्रथम) में विभागीय पदोन्नति समिति की गत दो वर्षों में कोई बैठक नहीं हुई है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या स्टाफ के विभिन्न वर्गों के लिए पदोन्नति की कोई तालिकायें बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1970 और 1971 वर्षों के दौरान विभागीय पदोन्नति समितियां तीन बार मिलीं।

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों के लिए अलग से तालिकाएं बनाई गई हैं :—

(1) डी० जी० एम० (भण्डार)

(2) मैनेजर सेलेक्शन ग्रेड/ए० जी० एम०

(3) स्टोर कीपर श्रेणी 1
स्टोर कीपर श्रेणी 2
स्टोर कीपर श्रेणी 3
स्टोर कीपर श्रेणी 4

एस० जी० क्लार्क
सहायक लेखाकार
उच्च श्रेणी लिपिक

कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट और आर्मी सर्विस कोर यूनिटों को घटिया किस्म की शराब की सप्लाई

5367. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधिकृत शराब के कारखाने सी० एस० डी० और ए० एस० सी० यूनिटों को घटिया किस्म की रम तथा अन्य प्रकार की घटिया शराब सप्लाई कर रहे हैं और यदि हां, तो शराब के ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं और सी० एस० डी० और ए० एस० सी० को अलग-अलग ऐसी कितनी शराब सप्लाई की गई है;

(ख) क्या निरीक्षण स्टाफ के किसी सदस्य को उनकी सप्लाई में सांठगांठ करते पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) किसी भी अधिकृत शराब के कारखाने ने ए० एस० सी० को घटिया रम की सप्लाई नहीं की है। केवल एक पार्टी द्वारा सी० एस० डी० (आई०) को सप्लाई किये गए रम के एक बैच को निम्न स्तर का पाया गया था। इस बैच में 36,400 दर्जन बोतलें थीं।

(ख) इस प्रकार का कोई दृष्टान्त हमारे ध्यान में नहीं आया है।

(ग) मामला सी० एस० डी० (आई) के विचाराधीन है। रम के सैम्पुल को जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच रिपोर्ट के प्रकाश में आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसी बीच रम के इस बैच को बिक्री से वापस ले लिया गया है। इस स्टाक के लिए कोई अदायगी नहीं की गई है।

आयकर अधिकारियों द्वारा आंध्र प्रदेश में छापे

5868. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के अधिकारियों ने आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में कुछ घरों में हाल में अचानक छापे मारे थे और कई लाख रुपये की नकदी, लेखा पुस्तकों तथा बांडों को अपने कब्जे में ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो छापों और जब्त किए गए सामान का संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में कुछ स्थानों पर तलाशियां ली गई थीं। 1,48,497 रु० नकद और एक लाख रुपये मूल्य का सोना और जवाहरात पकड़े गये। कुछ मामलों में दोहरी खाता बहियां पाई गईं और जब्त की गईं। कई लाख रुपये के निवेशों का भी पता चला, जिनमें से कुछ लेखा-बाह्य हो सकते हैं।

(ग) पकड़े गये माल की छान-बीन की जा रही है।

कड़प्पा (आंध्रप्रदेश) के हवाई अड्डे को वाणिज्यिक प्रयोग में लाने के प्रयत्न

5869. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कड़प्पा (आंध्रप्रदेश) के हवाई अड्डे को सदा के लिए बेकार करने के उद्देश्य से वहां से आवश्यक उपकरण धीरे-धीरे निकाले जा रहे हैं;

(ख) क्या पहले इस हवाई अड्डे को वाणिज्यिक आधार पर प्रयोग में लाने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) चूंकि इण्डियन एयर-लाइन्स द्वारा किए गए यातायात सर्वेक्षणों से पता चला कि कड़प्पा क्षेत्र में यातायात सम्भावनाएं बहुत कम हैं तथा कड़प्पा हवाई अड्डे की हवाई यातायात नियंत्रण एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग नहीं हो रहा था। अतः नागर विमानन के महानिदेशक ने उन्हें 1-7-67 से वहां से हटा लिया।

कड़प्पा हवाई अड्डे को हैदराबाद और तिरुपति से मिलाने का प्रस्ताव

5870. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री यातायात को दृष्टि में रखते हुए कड़प्पा हवाई अड्डे को हैदराबाद और तिरुपति से मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश को विश्व बैंक से ऋण

5871. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री 21 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3597 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल तथा फार्म विकास के लिए 18·3 करोड़ रुपये के विश्व बैंक के ऋण का प्रयोग किस प्रकार करने का विचार है;

(ख) क्या उक्त राशि के किसी भाग को किसानों को ऋण के रूप में दिया जायगा;

(ग) यदि हां, तो ब्याज किस दर से लिया जायेगा और किस एजेंसी के माध्यम से ऋण दिया जाएगा तथा धन की वापसी की अवधि क्या होगी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के माध्यम से दिया गया विश्व बैंक का यह ऋण आन्ध्र प्रदेश सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना के सहायता के अंग के रूप में है अथवा उक्त सहायता से अतिरिक्त है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सभा-पटल पर रखे गए विवरण में संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है।

(घ) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋण सहायता के अधिकतर भाग का उपयोग, परियोजना क्षेत्र के कृषकों को आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड द्वारा दिए गए कृषि ऋणों की पुनर्वित्त-व्यवस्था करने के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम को आगे ऋण देने के लिए किया जायगा। कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा ऋणों के संबंध में किया जाने वाला ऐसा पुनर्वित्त-पोषण, राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

244 लाख डालर (18·3 करोड़ रुपए) का जो ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होगा उसे आन्ध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना के व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। परियोजना में ये बातें शामिल हैं :—

क. आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड (एल० एम० बी०) के प्राथमिक बैंकों और कुछ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आन्ध्र प्रदेश के कृषकों और सहकारी कृषि समितियों को लम्बी अवधि के ऋण देकर छोटी सिंचाई योजनाओं, भूमि को समतल बनाने और कृषि यन्त्रीकरण के लिए किए जाने वाले निवेश की वित्त व्यवस्था करने का $2\frac{1}{2}$ वर्षीय कार्यक्रम। इन ऋणों की पुनर्वित्त-व्यवस्था कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा की जाएगी।

ख. (i) राज्य के भूमिगत जल निदेशालय को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(ii) भूमि बन्धक बैंक को भूमि बन्धक बैंक और उससे सम्बन्धित प्रारम्भिक बैंकों को क्रियाविधि और संचालन के अध्ययन के लिए तकनीकी सहायता।

2. (i) लघु सिंचाई सम्बन्धी निवेशों में लगभग 14,000 खुदे कुओं का विकास, लगभग 1350 नलकूप और लगभग 5000 पुराने कुओं में भू-छेदन द्वारा उनमें सुधार करना और मौजूदा और नए कुओं को शक्तिचालित बनाने के लिए 12000 बिजली के और 7700 तेल इंजन पम्पसैट लगाना शामिल है।

(ii) भूमि को समतल करने के लिए अधिकांश निवेश नागार्जुन सागर (30,000 हेक्टेयर तक) और पोचमपाद (10,175 हेक्टेयर) की दो मुख्य सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत छोटे फार्मों पर और कुछ हद तक लघु सिंचाई के अन्तर्गत (15000 हेक्टेयर) फार्मों पर किया जायेगा।

(iii) कृषि यन्त्रीकरण के अन्तर्गत निवेश टैक्टरों (संख्या 1500) और ट्रैक्टरों के औजारों पर किया जायेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋण की रकम भारत सरकार द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम को कर्ज के रूप में दी जाएगी और कृषि पुनर्वित्त निगम भूमि बन्धक बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था करेगा। बैंक ऋण का लाभ उठाने वालों को, भूमि बन्धक बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर ऋण दिए जायेंगे :—

क. (क) **ऋण की रकमें :** ट्रैक्टर के लिए दिए जाने वाले ऋण की रकम ट्रैक्टर के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और अन्य ऋणों की रकम वित्त वस्तुओं की लागत और सेवा प्रभारों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) **ब्याज की दर :** बकाया रकम पर 9 प्रतिशत वार्षिक।

(ग) **ऋण की अवधि :** लाभ पाने वाले की अदायगी करने की क्षमता पर आधारित होगी, लेकिन निम्न मामलों में, नीचे दी गयी अवधि से अधिक अवधि नहीं बढ़ायी जायगी।

(i) नलकूपों, खुदे हुए कुओं और कुओं के सुधार में किए गए छोटी सिंचाई सम्बन्धी निवेश में अवधि 9 वर्ष और पम्पसैटों के सम्बन्ध में 7 वर्ष;

(ii) भूमि को समतल बनाने के लिए किया गया निवेश—10 वर्ष; इसमें 2 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है जिसमें केवल ब्याज का भुगतान किया जायेगा; और

(iii) कृषि यन्त्रीकरण संबंधी निवेशों में 7 वर्ष।

ख. लाभ पाने वाले छोटे कृषकों के मामले में ऊपर कही गयी शर्तों में निम्नलिखित छूट दी जाएगी।

(i) **ऋण की रकमें :** जहाँ निवेश की लागत 10,000 रुपये से अधिक न हो, वहां कृषकों को अलग-अलग रूप में और सामूहिक रूप से लघु सिंचाई (पम्पसैट सहित) के लिए दिए जाने वाले ऋण की सीमा, किए गए निवेश की लागत के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) **ऋण की अवधि :** उपर्युक्त ख (i) में उल्लिखित लघु सिंचाई (पम्पसैटों को छोड़कर) और भूमि को समतल बनाने के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में ऋण परिपक्वता की अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी और पम्पसैटों के लिए दिए गए ऋणों के मामलों में ऋण की वापसी की अवधि 7 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

श्रीराम सेन्टर आफ इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम को भेजे गए सेवा नियमों के प्रारूप की जांच

5872. **श्री वी० मायावन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम श्रीराम सेन्टर आफ इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स द्वारा तैयार किए गए सेवा नियमों के प्रारूप की कब तक जांच कर लेगा तथा इनको क्रियान्वित कर दिया जाएगा;

(ख) सेवा नियमों के न होने के कारण भर्ती तथा पदोन्नति के लिए क्या आधार अपनाया जाता है; और

(ग) क्या भर्ती अथवा पदोन्नति के मामले में विभेद की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) श्री राम सेन्टर आफ इंडस्ट्रियल रिलेशन्स द्वारा तैयार किए गए सेवा नियमों का प्रारूप केवल मुख्यालय, यात्री लॉजों, परिवहन यूनिटों तथा शुल्क-मुक्त दुकानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। इनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है। अन्य यूनिटों यथा होटलों आदि के मामले में, विशेष सेवा नियम हैं।

(ख) जब तक सेवा नियमों को अन्तिम रूप दिया जाता है तब तक होटल यूनिटों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति सम्बन्धी प्रक्रियाएं तथा नियम अन्य यूनिटों के कर्मचारियों के लिए भी लागू किए जा रहे हैं।

(ग) हाल में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होतीं।

भारतीय टैंकरों की अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग के बारे में प्रस्ताव

5873. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने फारस की खाड़ी से 11 लाख टन तेल ढोने का ठेका विदेशी टैंकरों को दिया है और इसमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है जबकि भारतीय टैंकर अप्रयुक्त पड़े थे; और

(ख) क्या विदेशी जहाजों को चार्टर करने से पूर्व भविष्य में सरकार का विचार भारतीय टैंकरों की अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करने का है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) चिटागांग पोर्ट आयल जेटीज में प्रदीपन एवं सम्पादन के लिए, फारस की खाड़ी में लदान बन्दरगाहों से चिटागांग बाह्य बन्दरगाह तक 5 लाख मीटरी टन अशोधित तेल को ले जाने हेतु,

बंगला देश सरकार की ओर से भारतीय तेल निगम ने प्रतियोगी टैंडरों का आमंत्रण किया था। यह टैंडर नोटिस, खाड़ी प्रदेश में सीधे लदान बन्दरगाह से चिटागांग शोधनशाला के तट (शोर) टैंकों में कच्चे तेल के प्रेषण तक सम्पूर्ण संयुक्त परिचालनों के लिए था। टैंकर प्रदायकों को चिटागांग में प्रदीपन परिचालनों के उत्तरदायित्व को भी निभाना था तथा इसके लिए उन्हें किसी अवरोधन अथवा हानि प्रभारों की अदायगी नहीं की जानी थी। इस आधार पर ठेका दिया गया था।

इस संयुक्त परिचालन के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व को लेने के लिए केवल भारतीय नौवहन निगम (शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया) के पास पर्याप्त संख्या में इण्डियन फ्लैग वैसल्स थे। उक्त निगम ने कोटेशन देने के लिए असमर्थता व्यक्त की क्योंकि इसके टैंकर अन्यत्र नियोजित थे। अन्य इण्डियन फ्लैग टैंकर के मालिक ने बहुत अधिक दर की कोटेशन दी; जो कि स्वीकार्य नहीं थी। तीसरे इण्डियन फ्लैग टैंकर ने भारतीय तेल निगम के टैंकर आमंत्रण का उत्तर नहीं दिया।

(ख) स्थायी आदेशों के अनुसार उत्पादों के तटीय प्रेषण के लिए एक इण्डियन फ्लैग टैंकर को सामान्यतया अग्रता दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए कोई प्रतियोगी टैंडर नहीं मंगवाये जाते हैं क्योंकि नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा तटीय प्रेषण दरों का मानकीकरण एवं निर्धारण किया गया है। तेल उत्पादों के आयात के लिए, इण्डियन फ्लैग टैंकरों को केवल प्रतियोगी टैन्डरों के आधार पर वरीयता दी जाती है।

भटिंडा/सरहिंद में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

5874. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री भटिंडा में नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में 2 अगस्त, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा/सरहिंद में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

चण्डीगढ़ के निकट छावनी का बनाया जाना

5875. **श्री देविन्द्र सिंह गरचा** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के निकट एक नई छावनी निर्माणाधीन है;

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से लगभग 17 करोड़ रुपये की कुल लागत से कुछ निर्माण कार्य चण्डीगढ़ के निकट निर्माणाधीन है। तथापि इस स्टेशन में कोई छावनी स्थापित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी

5876. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो के अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों के श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कर्मचारियों की सूची है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा वर्गवार प्रत्येक सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या में स्पष्टतया वृद्धि हुई है जिससे जनशक्ति फालतू हो गई है और आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की समस्या को किस प्रकार से हल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम-कार्यालय, केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए उन उपक्रमों में कर्मचारियों के श्रेणी-वार नियोजन के आंकड़े 1969 से एकत्रित करता आ रहा है। इस सम्बन्ध में 1969, 1970 और 1971 के तीन वर्षों के लिए प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2016/72]

(ग) यद्यपि कोई सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं है तथापि यह हो सकता है कि कुछ उद्यमों में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या, विभिन्न कारणों से, उनके क्रियाकलाप के अनुसार उचित संख्या से अधिक हो। तदपि हाल में ही किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश सरकारी उद्यमों ने यह बताया है कि उनके पास कोई उल्लेख योग्य फालतू कर्मचारी नहीं हैं।

(घ) सरकार ने उद्यमों से सिफारिश की है कि फालतू कर्मचारियों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं :

(i) आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों से बचने के लिए किसी प्रयोजना के आरम्भ से ही कार्य के मानदण्डों और नियंत्रण तकनीकों का अपनाया जाना;

(ii) जहां आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति चिरकालिक हो, वहां समस्या का परिणाम निर्धारित करने के लिए कार्य-अध्ययन शुरू किया जाना ;

(iii) फालतू कर्मचारियों का यथासम्भव सीमा तक विस्तारशील विभागों और अन्य उद्यमों में खपाया जाना;

(iv) निर्माण के दौरों में प्रायोजनागत दायित्वों में कमी करने के लिए बाहर के निर्माण-निगमों का अधिक प्रयोग किया जाना;

(v) वैज्ञानिक जन-शक्ति आयोजना तकनीक अपनाया जाना; और

(vi) ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं ।

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कलक्टोरेटों द्वारा शुल्क वापसी की दरों के बारे में सार्वजनिक सूचनाएं जारी करना

5877. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात वापसी (ड्राबैक) शुल्क, नियम, 1971 जिसको अक्टूबर, 1971 के मध्य में लागू किया गया था, के उपबन्धों के अन्तर्गत अब तक सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टोरेट द्वारा शुल्क वापसी की दरों के बारे में कितनी सार्वजनिक सूचनाओं को पुनः जारी किया गया है; और

(ख) क्या 1971 के शुल्क वापसी नियमों की एक प्रति के साथ-साथ पुनः जारी की गई सभी सार्वजनिक सूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) महोदय, माननीय सदस्य का तात्पर्य शायद उन सार्वजनिक सूचनाओं से है जो वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) में प्रति-अदायगी निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी की जाती हैं और जिनके द्वारा प्रति अदायगी की 'सभी उद्योग' दरें निर्धारित/संशोधित की जाती हैं । 15-10-1971 से 4-5-1972 तक 53 सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई थीं ।

(ख) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, 25-8-1971 को अधिसूचित की गई थी और यह 15-10-1971 से लागू है । इनकी प्रतिलिपियां 19-11-1971 को सदन की मेज पर रख दी गई थीं ।

इस नियमावली के अधीन जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं को भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड (1) में प्रकाशित किया जाता है और चूंकि केवल अधिसूचनाओं को ही सदन की मेज पर रखना होता है इसलिए इन सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतिलिपियों को सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं है ।

फिरोजपुर छावनी में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित किया जाना

5878. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजपुर छावनी बोर्ड ने राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित कर दिया है, केवल एक छोटे से मामले को छोड़कर, जिसमें कुछ गलतफहमी के कारण कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी को मंजूर किए गए पेशगी धन के अतिरिक्त उप-प्रभारी को दवाइयां खरीदने के लिए पेशगी धन नहीं दिया गया था। तथापि, जी० ओ० सी० इन-सी०, पश्चिमी कमांड, ने उप-प्रभारी को भी अलग से पेशगी धन मंजूर करने के लिए छावनी बोर्ड को अनुदेश जारी कर दिए हैं।

इंजीनियरिंग उद्योग की निराशा

5879. **श्री० बी० के० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री डिसअपायन्टेड' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। इंजीनियरिंग एसोशिएशन आफ इण्डिया के हवाले से जो खबर दी गई है, उसमें औद्योगिक विकास तथा बचत के लिए प्रोत्साहन के अभाव तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को मिलने वाली विशेष कटौती को वर्ष 1972-73 के बजट प्रस्तावों में समाप्त करने के प्रस्ताव पर उनको हुई निराशा का उल्लेख है। उन्हें यह भी भय है कि इस्पात पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि से इंजीनियरी उद्योग को धक्का लगेगा।

(ख) प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को मिलने वाली विशेष कटौती, प्रत्यक्ष-कर जांच समिति (वांचू समिति) की रिपोर्ट में की गई सिफारिश को दृष्टि में रखते हुए समाप्त की जा रही है। जहां तक बचत तथा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहनों का संबंध है, सरकार उन पर अपनी आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर विचार करेगी ।

इस्पात पर अधिक शुल्क लगाने का उद्देश्य, राजस्व के एक उपाय के रूप में होने के अतिरिक्त इस्पात के आयात-मूल्यों (जो अधिक ऊंचे हैं) तथा स्थानीय मूल्यों के बीच, वर्तमान अन्तर को कम करना भी है।

चीन-पाकिस्तान सैनिक सहयोग

5880. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन पाकिस्तानी सेनाओं को सैनिक प्रशिक्षण दे रहा है और पाकिस्तान को अतिरिक्त डिवीजन बनाने में भी सहायता कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान और चीन के मध्य अत्यधिक सैनिक गतिविधियां भारत के विरुद्ध मिलकर तात्कालिक आक्रमण करने के खतरे की परिचायक हैं।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) यह जानकारी है कि चीन पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में सैनिक साज़-सामान दे रहा है। इस सामग्री से अतिरिक्त डिवीजनें बनाने में सहायता मिल सकती है। ऐसा पता लगा है कि चीनी हथियारों तथा उपकरणों को काम में लाने और उनका रख-रखाव करने के लिए कुछ चुने हुए पाकिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। चीन द्वारा इस सैनिक सहायता से पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं की युद्धक्षमता मजबूत हो जाएगी और इससे इस क्षेत्र में शान्ति तथा सुरक्षा को भय बढ़ सकता है।

एक एकक वाले एकाधिकार उद्योगों की क्षमता

5881. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में एक एकक वाले एकाधिकार उद्योगों की संख्या तथा नाम क्या हैं और इस समय उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सूचना संग्रह की जा रही है व सदन-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया की हैदराबाद शाखा के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

5882. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की हैदराबाद शाखा के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा आन्दोलन समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिए जो समझौता हुआ है, उसकी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। 8 अप्रैल, 1962 को आन्दोलन बंद कर दिया गया था।

(ख) समझौता ज्ञापन की एक प्रतिलिपि साथ लगा दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 2017/72]

अखिल भारतीय लागत सम्मेलन

5883. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौदहवें अखिल भारतीय लागत सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात लागत में मितव्ययिता लाने के बारे में विचार विमर्श हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या निष्कर्ष निकले हैं और उससे हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में 8 तथा 9 अप्रैल, 1972 को हुए, चौदहवें अखिल भारतीय लागत सम्मेलन में, निर्यात में मितव्ययिता जैसा कोई प्रश्न, चर्चा के लिये एक विषयांग नहीं था। तथापि, कम्पनी कार्य मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में निर्यात के परिव्ययांकन के महत्व को बल दिया था।

संस्थान के शासकीय संस्करण के अनुसार, जबकि कुछ वक्ताओं ने भी सामान्य पदों में निर्यात को बढ़ाने के लिए लागत लेखा कर्म के महत्व को पुनः दुहराया, परन्तु अन्तिम निर्णय नहीं हुआ, एवं सम्मेलन द्वारा इस बाबत कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट द्वारा अर्जित लाभ

5884. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम को ट्राम्बे यूनिट द्वारा 1971-72 में कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ख) विभिन्न राज्यों में निगम की अन्य यूनिटों की तुलना में यह लाभ कितना है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों/प्रभागों के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Persons travelling by Air India and Indian Airlines

5885. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of persons who travelled by Air India and Indian Airlines' planes during the financial years 1970-71 and 1971-72 ; and

(b) the percentage of decrease or increase in air mail handled by the two airlines during this period ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The number of passengers who travelled by Air India and Indian Airlines' planes during the years 1970-71 and 1971-72 was :

Year	Air-India	Indian Airlines
1970-71	4.87 lakhs	21.61 lakhs
1971-72	Figures not yet available	23.64 lakhs (Provisional)

(b) The variation in airmail handled by Air-India and Indian Airlines during this period was as follows :—

Year	Air-India (Variation in mail revenue tonne kilometers)	Indian Airlines (Variation in tons)
1970-71	—7.3%	—6.4%
1971-72	Figures not yet available	+15.4% (Provisional)

Survey for Development of Rural Areas under International Development Research Centre

5886. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of Canada are conducting any survey for development of rural areas of the country under the auspices of the International Development Research Centre ;

(b) if so, whether Government propose to implement the findings of the survey in the country ; and

(c) if so, the main features of the scheme in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

देश में कार्य कर रहे छोटे पैमाने के औषध कारखाने

5887. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तथा विदेशी प्रभुत्व वाले ऐसे छोटे पैमाने के औषध कारखानों की संख्या कितनी है जिनमें 25% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी है और जो इस समय देश में काम कर रहे हैं;

(ख) उनका पूंजी निवेश कितना है और 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में उन्होंने कुल कितने मूल्य की औषधियों का उत्पादन किया है; और

(ग) क्या इन विदेशी प्रभुत्व वाली फर्मों को आयात लाइसेंस दिए जाने के मामले में कोई विशेषाधिकार दिए जाते हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) असंगठित क्षेत्र में फर्मों, जिनमें विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में) 25% से अधिक है तथा जो पूर्ण और आंशिक रूप में औषधियों एवं भेषजों के निर्माण में लगे हैं, की संख्या 20 है।

(ख) उनकी अभिदत्त पूंजी 70.34 लाख रुपये है। उनकी कुल बिक्री, जिसमें गत तीन वर्षों (अर्थात् 1968, 1969, और 1970) के उत्पाद की बिक्री भी सम्मिलित है, 18 से 24 करोड़ रुपए है।

(ग) जी नहीं।

कृषि, पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन के लिए प्राप्त विदेशी सहायता

5888 **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन के लिए गत दो वर्षों में विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों में कितनी प्राप्त विदेशी सहायता का उपयोग किया गया है; और

(ग) इस सहायता का उपयोग किन परियोजनाओं के लिए किया गया था तथा ये परियोजनाएं किन राज्यों में स्थापित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें कृषि, पशुपालन, दुग्धशाला और मत्स्यपालन क्षेत्रों की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्य उस विदेशी सहायता का, तथा उसके उपयोग की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है जिसके लिए 1970-71 और 1971-72 में करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा पिछले दो वर्षों में, अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से प्राप्त परियोजना-भिन्न सहायता के अंतर्गत भी कुछ सीमा तक उपयुक्त क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चे माल, सघटकों और वस्तुओं का आयात किया गया है।

विवरण

वर्ष	रकम लाख अमरीकी डालरों में	ऋण अथवा अनुदान	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	उपयोग लाख अमरीकी डालरों में
1	2	3	4	5	6
1970-71	350 0	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-ऋण	गुजरात कृषि ऋण परियोजना	गुजरात	21 9
	275.0	तदैव	पंजाब कृषि ऋण परियोजना	पंजाब	—

1	2	3	4	5	6
	244.0	तदैव	आंध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना	आंध्र प्रदेश	6.8
	60 0	तदैव	कृषि विमानन परियोजना	सम्पूर्ण भारत	—
	14.0	कनाडियन अनुदान	आंध्र प्रदेश की बारानी खेती परियोजना	आंध्र प्रदेश	2.5
	6.5	तदैव	हैदराबाद की भूमिगत जल परियोजना	आंध्र प्रदेश	—
1971-72	250.0	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-ऋण	हरियाणा कृषि ऋण परियोजना	हरियाणा	2.0
	350.0	तदैव	तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना	तमिलनाडु	—
	200.0	तदैव	कोचीन उर्वरक परियोजना	केरल	4.0
	100.0	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और स्वीडन	गेहूं संग्रहण परियोजना	पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान	—
	390.0	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण	पोचमपाद कृषि परियोजना	आंध्र प्रदेश	37.6
	400.0	तदैव	मैसूर कृषि ऋण परियोजना	मैसूर	—
	300.0	तदैव	महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना	महाराष्ट्र	—
	100.0	तदैव	गोरखपुर उर्वरक परियोजना	उत्तर प्रदेश	—
	140.0	तदैव	बिहार कृषि मंडी परियोजना	बिहार	—
	350.0	अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और ब्रिटिश ऋण	कलोल और कांडला स्थित उर्वरक संयंत्र	गुजरात	70.0 (एन)
	100.0	स्वीडिश ऋण	दुग्धशाला विकास और दुग्ध विपणन कार्यक्रम	बम्बई, दिल्ली मद्रास, और कलकत्ता स्थित दुग्धशालायें और कुछ अन्य दुग्ध-शालायें	—

1	2	3	4	5	6
	380.0	जापानी और ब्रिटिश ऋण	तूतीकोरिन उर्वरक परियोजना	तमिलनाडु	— (एन)
	50.0	जापानी ऋण	कोटा उर्वरक परियोजना	राजस्थान	— (एन)
	370.0	फ्रांसीसी और इटालियन ऋण	तालचर और रामगुंडम उर्वरक परियोजना	आंध्र प्रदेश	— (एन)
	155.0	फ्रांसीसी ऋण	हलदिया उर्वरक परियोजना	पश्चिम बंगाल	— (एन)
	220.0	ब्रिटिश और डच ऋण	मंगलौर उर्वरक परियोजना	मैसूर	— (एन)

जोड़—4804.5 लाख डालर

टिप्पणी :— उपर्युक्त जिन परियोजनाओं के सामने (एन) लिखा हुआ है उनके सम्बन्ध में यद्यपि विदेशी सहायता का अधिक उपयोग तो नहीं हुआ है, किन्तु पर्याप्त रकमों के मूल्यों के संविदा किए गए हैं और वस्तुओं आदि का आयात होने पर इन रकमों का उपयोग हो जाएगा ।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता

5889. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसे गत तीन वर्षों में कितनी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ग) क्या इस संस्था को विदेशी सहायता अथवा अनुदान सरकार की अनुमति से प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां । इसे फोर्ड फाउंडेशन से अनुदानों के रूप में सहायता प्राप्त हुई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि में, राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को प्राप्त विदेशी सहायता की रकम केवल 25,750 डालर थी जो फोर्ड फाउंडेशन द्वारा 1969-70 में प्रदान की गई थी ।

(ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने यह अनुदान भारत सरकार की स्वीकृति से प्राप्त किया था ।

Proposal to Link Kotah with Jaipur by Air

5890. **Shri Onkar Lal Berva** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government propose to link Kotah with Jaipur by air ; and

(b) if so, when ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Indian Airlines have no such proposal at present.

विदेशों से भारतीय इंजीनियरों को स्वदेश लाने का प्रस्ताव

5891. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित किए जाने वाले पेट्रो-केमिकल्स उद्योग समूह के लिए विदेशों से भारतीय इंजीनियरों को स्वदेश लाने के किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसे कुल कितने इंजीनियरों को स्वदेश लाया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन एक सरकारी उपक्रम, भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० के निदेशकों के बोर्ड की एक उप-समिति ने, हाल ही में, निगम की प्रायोजनाओं में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के पदों के लिए, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकविदों (तकनीशनों) का साक्षात्कार करने हेतु अमरीका, कनाडा और योरप का दौरा किया था । उक्त उप-समिति ने 300 भारतीयों का साक्षात्कार किया और 90 व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर नौकरी के लिए चयन किया। निगम के निदेशकों के बोर्ड ने इस उप-समिति की सिफारिशों पर अभी विचार करना है ।

विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी मामलों के बारे में नीति पर अंकटाड—III में चर्चा

5892. **श्री श्रीकिशन मोदी** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित 24 सदस्यीय अन्तर्सरकार ग्रुप की 6 और 7 अप्रैल को वैन्जुएला में एक बैठक इसलिये हुई थी कि अंकटाड—iii में विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी मामलों के बारे में कोई नीति बनाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई और उसमें भारत ने क्या भूमिका निभाई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां । मुद्रा-विषयक मामलों से सम्बन्धित अन्तर्-सरकारी दल की बैठक 6 और 7 अप्रैल को कारकास, वेन्जुएला में हुई थी ।

(ख) बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था और जो मुख्य निश्चय किये गये थे उनकी जानकारी सभा-पटल पर रखे गये एक विवरण में दी गई है। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने विचार-विमर्श में भाग लिया और अन्तर-सरकारी दल द्वारा किए गये निश्चयों में योगदान दिया।

अन्तर्-सरकारी दल ने कई महत्वपूर्ण और प्रक्रियात्मक मामलों की समीक्षा की जो इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के सामने पेश है। इसमें इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को प्रभावित करने वाले निर्णय थोड़े से विकसित देशों द्वारा शेष अन्तर्राष्ट्रीय समाज के हितों की उपेक्षा करके और इन्हें विश्वास में लिए बिना ही ले लिये गये हैं जिससे विकासशील देशों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इसलिए दल ने यह महसूस किया कि उसके सामने इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-विषयक मामलों के बारे में निर्णय करने की प्रक्रिया में बुनियादी सुधार किया जाय। दल ने यह स्वीकार किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-विषयक मामलों के बारे में फैसला करने वाली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ही होनी चाहिए। इसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली में सुधार से सम्बन्धित मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड को सलाह देने के लिए गवर्नरों के बोर्ड की समिति की स्थापना करने के प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने का सर्वसम्मति से निश्चय किया।

अनुसचिवीय बैठक में एक जनवरी, 1973 से विशेष आहरण अधिकारों को फिर से सक्रिय करने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

दल ने विशेष आहरण अधिकारों और अतिरिक्त विकास वित्त के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के प्रस्ताव को पूरा-पूरा समर्थन प्रदान किया। दल ने यह अनुरोध किया कि अगले संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार और विकास सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय समाज द्वारा इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना चाहिए और तद्पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और उसके सदस्यों द्वारा उपर्युक्त कार्यवाही करके इनका पालन किया जाना चाहिए।

दल ने विधि के कोटे निर्धारित करने की मौजूदा पद्धति के प्रति अपना असन्तोष प्रकट किया क्योंकि इससे निधि के सदस्यों की सापेक्ष आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता। इसने विकसित और विकासशील देशों के बीच विशेष आहरण अधिकारों के वितरण के मौजूदा आधार में संशोधन करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा धन का वितरण

5893. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1971-72 में कुल कितनी राशि वितरित की गई; और

(ख) उसमें से गैर-सरकारी उद्योगों का भाग कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1971-72 के

दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कुल 96.14 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की जिसमें से गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वितरित की गई सहायता की राशि 79.70 करोड़ रुपये थी।

Fire in Military Barracks in Banihal on Srinagar-Jammu Highway

5894. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether six military barracks were gutted in a fire that broke out in Banihal on Srinagar-Jammu highway recently ;

(b) whether Pakistani elements had a hand in the incident ; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir, on 10th April, 1972.

(b) and (c), A Court of Inquiry has been ordered to investigate into the accident.

Industrial Establishments Functioning in the Country

5895. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of central industrial establishments functioning in the country at present as also the number of such establishments which are in the process of being set up ;

(b) the total amount of foreign capital invested in the Central Industrial establishments ; and

(c) the total amount of interest paid by Government on the foreign capital so invested during the financial years 1970-71 and 1971-72 and the estimated amount of interest to be paid under this head during the Financial year 1972-73 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) As at the end of March, 1971, there were 97 Central Government industrial and commercial undertakings of which 8 were under construction.

(b) The investment as at the end of 1970-71 by foreign parties in these public undertakings amounted to Rs. 314.2 crores of which Rs. 14.7 crores was in equity and the balance of Rs. 299.5 crores in loans and deferred credit.

(c) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाना

5896. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए मकान किराया

तथा अन्य भतों के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न मुख्यालयों का दर्जा बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इसको किस तारीख से क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) शहरों और नगरों के अगले किसी वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर, जिनमें पश्चिम बंगाल राज्य के जिला मुख्यालयों का प्रश्न भी शामिल है, तभी विचार किया जा सकेगा, जब 1971 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे ।

श्रीलंका को सहायता

5897. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में श्रीलंका को आर्थिक और तकनीकी सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) क्या इसी व्यय शीर्षक के अन्तर्गत 1971 में कुछ अतिरिक्त धन व्यय किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कितना और भारत द्वारा चालू वर्ष में श्रीलंका सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) भारत द्वारा श्रीलंका को गत तीन वर्षों में दी गई आर्थिक सहायता तथा तकनीकी सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	तकनीकी सहायता (ऋण)	तकनीकी सहायता (अनुदान)
1969-70	300	5.6
1970-71	340	2.4
1971-72	124·0	3·5

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1972-73 में, श्रीलंका को ऋण देने के लिए 482 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है । बजट में तकनीकी सहायता का देशवार आवंटन नहीं किया जाता ।

सरकारी क्षेत्र में क्षेत्रीय निगमों के बीच सम्बन्धों में परिवर्तन

5898. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में क्षेत्रीय निगमों के बीच सम्बन्धों में भारी परिवर्तन करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय निगम स्थापित करने की सिफारिश की है । यद्यपि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा है तथापि उसने यह माना है कि कुछ परिस्थितियों में ऐसे शीर्ष संगठनों का, जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने परिकल्पित किए हैं, लाभ हो सकता है : इस प्रकार के मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा । इसलिए सरकारी उपक्रमों के संगठन और प्रबन्ध सम्बन्धी ढांचे की लगातार समीक्षा की जाती है । प्रबन्धात्मक प्रभावकारिता में सुधार करने और निगमण के लक्ष्यों में वृद्धि करने की दृष्टि से आवश्यक उपाय किए जाते हैं । ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप हाल ही में सरकार ने इस्पात के क्षेत्र में और मशीनी औजारों के क्षेत्र में—जहां दो बहु एकक निगम पहले से ही विद्यमान हैं —स्वामित्व वाली कम्पनियों के ढंग के संगठन अपनाने का निश्चय किया है ।

(ख) स्वामित्व वाली कम्पनियों की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) क्षेत्र के विद्यमान एककों का स्वामित्व वाली कम्पनियों के रूप में अन्तरण ;

(2) स्वामित्व वाली कम्पनी को, सहायक कम्पनी में सरकार द्वारा लगाई गई हिस्सा-पूंजी का स्वामित्व सौंपा जाएगा ;

(3) स्वामित्व वाली कम्पनी के ढंग के प्रबन्ध में शीर्ष संगठन सामान्यतः इन बातों की भी देखभाल करेगा :—

(i) नीति और पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णयों का व्यापक निदेशन ;

(ii) सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अनुसन्धान और विकास कार्य ;

(iii) विशेषज्ञ परामर्श सेवा का विकास, जिसे सहायक कम्पनियों द्वारा सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाएगा ;

(iv) वरिष्ठ प्रबन्ध सम्बन्धी विकास प्रशिक्षण आदि सम्बन्धी उत्तरदायित्व ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का निश्चय करना

5899. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (मिग इंजन डिवीजन) के कर्मचारियों ने मई 1972 के अन्तिम सप्ताह में हड़ताल करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कोरापुट डिवीजन के प्रबन्धकों को कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियन से हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका की सम्पत्तियों पर कब्जा करने वाले देशों को अमरीकी सहायता का बन्द किया जाना

5900. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो देश मुआवजा दिए बिना अमरीका की सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लेंगे, उन्हें अमरीकी सहायता बन्द कर दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्पत्ति को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का पालन केवल लोकहित की दृष्टि से किया जाता है ।

बुलेट-प्रूफ बख्तरबन्द गाड़ियां

5901. **श्री बी० के० दास चौधरी** :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित 512 आर्मी बेस वर्कशाप ने बुलेट-प्रूफ बख्तरबन्द गाडियां निर्मित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी गाड़ियों का निर्माण किया गया है तथा प्रति बख्तरबन्द गाड़ी की लागत क्या है ; और

(ग) इसके निर्माण में देश की जानकारी तथा सामग्री का कहां तक उपयोग हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जी, हां । 512 आर्मी बेस वर्कशाप, किक्री में लगभग 84,600 रुपये की लागत से बख्तरबन्द स्काउट गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है । इसका निर्माण ज्ञान 100 प्रतिशत स्वदेशी है । इन कारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, कुछ मदों को छोड़कर जिनका स्वदेशीकरण किया जा रहा है, स्वदेशी है । और अधिक ब्यौरे देना लोकहित में नहीं है ।

मोगा को 'सी' श्रेणी के नगर का दर्जा दिया जाना

5902. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल फैडरेशन आफ पी० एण्ड टी० ऐम्प्लाईज की ओर से

दिनांक 21 अगस्त, 1971 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि मोगा को श्रेणी 'सी' के नगर का दर्जा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार फैडरेशन को 25 अप्रैल, 1972 को यह उत्तर भेज चुकी है कि मोगा को 'सी' श्रेणी के नगरों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मध्य-जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों पर से उक्त नगर को इस प्रकार के वर्गीकरण की सीमा में नहीं पाया गया ।

मकान किराया भत्ते की और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के प्रयोजन से शहरों और नगरों के वर्तमान वर्गीकरण की समीक्षा के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब 1971 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे । तब अन्य शहरों और नगरों के साथ मोगा नगर के मामले पर भी विचार किया जाएगा ।

Loans advanced to Co-operative Societies functioning under the State Bank of India, Kankar, Bastar District (M.P.)

5903. Shri Arvind Netam : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Co-operative Societies functioning under the State Bank of India at Kankar, Bastar District (Madhya Pradesh) ; and

(b) the total amount of loans advanced to these Societies during last year ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही कैंटीन

5904. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज सहायता से उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई करने हेतु कैंटीन चलाने के लिए, भूतपूर्व सैनिकों को सुविधायें देने का सरकार का कोई विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार खोली गई कैंटीनों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1972-73 में कितनी कैंटीनों को मंजूरी दी जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Storing of Fertilizers in Godowns Run by Warehousing Corporation in Bihar

5905. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Fertilizer Corporation of India used to store fertilizers in the godowns run by Warehousing Corporation in Bihar ;

(b) if so, whether the Officers of this Corporation have stopped storing fertilizers in the said godowns resulting in the closure of 15 godowns ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether some Members of Parliament have written a letter to him in this regard and if so, a gist thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) to (c) Fertilizer Corporation of India used to store Fertilizers and continue to do so in the godowns of the Warehousing Corporation in Bihar. The Corporation is not the sole user of these godowns ; it reserves space in different godowns according to its sales plans. The Corporation has recently reviewed and rationalized its godown requirements taking into account the availability of fertilizers and other factors. As a result, Fertilizer Corporation of India would be storing about 6000 tonnes in the godowns of the State Warehousing Corporation in 1972-73.

(d) Some members of Parliament have written complaining mainly about the non-utilization of the godowns of the State Warehousing Corporation, Bihar by the FCI and pointing out that such non-utilization may create monopolistic trends and also help big private dealers. Actually, the position is that there are 295 small dealers who draw the requirements direct from the Corporation in Bihar. In addition, the Bihar State Co-operative Marketing Federation which happens to be the single largest distributors of the Corporation in the State, have organized their own facilities for distribution of fertilizers.

Development of Kumrahar situated in Patna as a Tourist Centre

5906. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state ;

(a) whether Government have formulated any scheme for the development of Kumrahar (the capital of Emperor Ashoka) situated in Patna as a Tourist Centre ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) The site is being maintained by the Archaeological Survey of India. A garden has been laid and some of the important antiquities recovered in the excavations are being exhibited in a building erected at the site specifically for this purpose. Proper pathways leading to the various parts of the site have been laid and provision made for drinking water and a toilet.

Class III and IV Employees Working in the State Bank of India

5907. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of class III and IV employees working in the State Bank of India separately, State-wise ; and

(b) the number of class I and II Officers working in the said Bank separately, State-wise ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

New Schemes for Distribution of Kerosene Oil in Rural Areas

5909. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any new schemes for the distribution of kerosene oil in the rural areas ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b). The equitable distribution of kerosene oil as between the urban and the rural areas is the responsibility of the State Governments. The Government of India are making a monthwise and a State-wise anticipation of kerosene oil requirements after taking into account past consumption trends, seasonal fluctuations and other relevant factors. The details of these anticipations are regularly communicated to the State Governments with the assurance that oil companies have standing instructions to supply larger or smaller quantities of kerosene, as necessary, depending upon the actual materialisation of the anticipated demand. State Governments have also been requested on a number of occasions to sub-allocate the supplies to the various parts of the State and to pay special attention to the requirements of the rural areas. No new scheme is under contemplation.

Advancing of Loans by Nationalised Banks to Small Farmers for Purchase of Agricultural Implements

5910. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether nationalised banks advance loans to small farmers for purchase of agricultural implements ; and

(b) if so, the total number of small farmers in Bhagalpur and Purnea Districts in Bihar who have been advanced loans for this purpose during last year and the amount thereof ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Data on advances made by the nationalised banks are not maintained in such details as asked for by the Hon'ble Member. However, information about the amounts

outstanding against direct finance provided by these banks (which include amounts advanced for agricultural implements to small farmers) at the end of December, 1971 is being collected in respect of Bhagalpur and Purnea districts in Bihar and will be laid on the Table of the House.

Proposal to set up a Defence Colony at Patna (Bihar)

5911. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Defence colonies have been set up in big cities for providing residential accommodation to the military and other Officers ;

(b) whether any scheme is under consideration for setting up a Defence Colony at Patna ; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Sainik housing colonies have been set up in a few big cities under the management of State Governments or local Formations/ Headquarters concerned. These colonies cater for service/ex-service personnel only.

(b) and (c). No, Sir. However, certain houses under construction at Lohia Nagar, Patna by the State Government are being reserved for allotment to war widows and disabled soldiers.

ग्लोब मोटर कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा जमाकर्त्ताओं को भुगतान

5912. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्लोब मोटर्स एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली ने कितने जमाकर्त्ताओं को भुगतान कर दिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

Scheme to Train Children of Goldsmiths in their Profession

5913. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to train the children of Goldsmiths in the art of their profession ;

(b) if so, the names of the States, where this scheme is being implemented ; and

(c) the amount of expenditure being incurred on this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). No schemes have been formulated by the Government to train the children of Goldsmiths in the art of their profession. The profession of Goldsmithy cannot by itself sustain large numbers

of Goldsmiths in fruitful employment. The children of Goldsmiths were made eligible for educational assistance and technical training facilities which were part of the schemes for rehabilitation of Goldsmiths affected by the Gold Control Rules and which were launched to help the Goldsmiths to settle in alternative vocations. However, in order that Goldsmiths may impart training to their children in the art of their profession from an early age, Government have, in February, 1972, granted to the Goldsmiths the concession of taking the assistance of their minor children in their day-to-day work.

Suitability of Indian Airports for Concorde Supersonic Aircraft

5914. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Concorde Supersonic Aircraft will start coming to India in the next June ;

(b) whether Indian airports are suitable for landing and taking off of such planes ; and

(c) the names of the Airlines which propose to operate Concorde flights to India ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There is no proposal for regular operations of supersonic aircraft to or through India. However, a Concorde SST prototype aircraft is likely to visit India for demonstration purposes in June this year.

(b) A panel of experts under the aegis of the International Civil Aviation Organisation is currently engaged in formulating standards and specifications related to regular SST operations. A precise evaluation of airports for such operations would be possible only after this Organisation has formulated international standards and guide-lines.

(c) No country or airline has yet indicated its desire to operate the Concorde to or through India.

Payment of subsistence allowance to employees under suspension in Central Integrated Divisional Office, Gwalior

5915. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of employees under suspension in Central Excise Integrated Divisional Office, Gwalior ;

(b) the number of suspended employees who are receiving suspension allowance ;

(c) whether after the reduction in the subsistence allowance once, subsistence Allowance is required to be increased within the prescribed period in case the suspended employee attends the Departmental enquiry regularly ;

(d) whether there are cases in the Central Excise Office, Gwalior, in which after the suspension of the employees the applications for effecting increase in their subsistence allowance were rejected ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Two

(b) One. The other officer being continuously absent from the Headquarters unauthorisedly is not receiving subsistence allowance.

(c) Instructions exist to increase the subsistence allowance if (i) the period of suspension has been prolonged for reasons not directly attributable to the Government servant and (ii) the Government servant has given up the dilatory tactics.

(d) and (e) Such a request was received in one case and it was rejected as the period of suspension had been prolonged for reasons directly attributable to the official concerned who adopted dilatory tactics.

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव

5916. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के डोमेस्टिक लाऊंज में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन प्रणाली आरम्भ की गई है ;

(ख) क्या सरकार का उक्त प्रणाली को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) इसके क्या लाभ हैं और इस पर कितना खर्च आयेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग) जी, हां। इण्डियन एयरलाइन्स ने पालम विमानक्षेत्र में अंतर्देशीय प्रस्थान व आगमन लौंज में 1.35 लाख रुपये की लागत से एक 'क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन' प्रणाली स्थापित की है। इससे यात्रियों तथा दर्शकों को दृश्य-श्रव्य रूप में तुरन्त उड़ान सूचना दी जाती है।

(ख) नव-गठित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

Flights undertaken to foreign Countries by Indian Airlines

5917. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of flights undertaken by the Indian Airlines to foreign countries during the year 1970-71 ; and

(b) the total amount earned from these flights and the names of the countries to which these flights were undertaken ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) 2609 services were operated by Indian Airlines during the year 1970-71 to Afghanistan, Burma, Ceylon and Nepal, and the revenue earned from these services was Rs. 159.61 lakhs.

भारत वापस आने के इच्छुक अमरीका में बसे भारतीय वैज्ञानिक

5918. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के प्रैस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका की यात्रा कर रहे भारतीय पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन के विशिष्टमंडल ने बताया है कि यदि अमरीका में बसे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जायें तो वे भारत वापस आने के बहुत इच्छुक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इसका स्वागत करती है।

Repayment of loans to Foreign Countries

5919. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Finance be pleased to state the total amount of loan repaid to foreign countries during the last three years ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : Principal repayments to foreign countries during the last three years amounted to about Rs. 842 crores.

Canal Survey Parties of Rajasthan looted by Pakistani Soldiers

5920. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the news-item published in 'Nav Bharat Times' (Hindi) dated the 27th March, 1972 that a Canal Survey Party of Rajasthan was looted by Pakistani soldiers ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Yes, Sir. There was a case of robbery of some officials of Rajasthan Canal Project and lifting of 2 camels by Pakistani criminals near Gharasana in Ganganagar district of Rajasthan on 21st March, 1972. Subsequently on 23rd March in an encounter with the police, one of these criminals was shot dead and another arrested. A camel was also recovered.

पर्यटक परिवहन चालकों की वाहनों के मानकीकरण की मांग

5921. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक परिवहन चालकों ने यह मांग की है कि वाहनों का मानकीकरण करके उन्हें राज्य व्यापार निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) जी, हां । पर्यटन व्यवसाय के लिए पुरानी आयातित गाड़ियों के लिए राज्य व्यापार निगम ही एक-मात्र स्रोत है । यह निर्णय किया गया है कि उक्त व्यवसाय को छः अथवा अधिक सिलेण्डर वाली तथा 50,000/रुपये से कम कीमत वाली गाड़ियां उपलब्ध कराई जायेंगी । इससे 'मेक्रों' के मानकीकरण में सहायता मिलेगी ।

जिला चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में तिरुपति और हौर्सले पहाड़ियों पर पर्यटक विश्रामस्थल

5922. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में तिरुपति और हौर्सले के पर्यटन महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वहां पहाड़ियों पर पर्याप्त संख्या में पर्यटक विश्राम स्थल स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) तीसरी योजना के भाग II की स्कीमों के अन्तर्गत तिरुपति में एक पर्यटक बंगले के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 47947/- रुपये का उपदान दिया गया था । फिलहाल कोई और प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

मैनेजरों के वेतन की अधिकतम सीमा

5923. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ कम्पनियां, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मैनेजरों के वेतन की अधिकतम सीमा का उल्लंघन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उल्लंघन किस प्रकार किया जाता है और गत तीन वर्षों में ऐसे कितने उल्लंघन किये गये ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) की दृष्टि से ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कम्पनियों का पंजीकरण और परिसमापन

5924. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कितनी कम्पनियां बनाई गईं और उसकी प्राधिकृत पूंजी कितनी थी ; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी कम्पनियों का परिसमापन किया गया ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) गत तीन वर्षों के मध्य, देश में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विनिगमित कम्पनियों (हिस्सों द्वारा सीमित) की संख्या, एवं उनकी अधिकृत पूंजी निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	संख्या	अधिकृत पूंजी (करोड़ रु० में)
1969-70	1510	273·0
1970-71	1927	333.1
1971-72 (31-12-71 तक)	1797	280.1

(ख) उसी अवधि अर्थात् 1969-70, 1970-71 व 1971-72 (31-12-72 तक) के मध्य उन कम्पनियों की संख्या, जिन्होंने या तो परिसमापित होकर, अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत उन्मूलित हो जाने के कारण कार्य करना बन्द कर दिया था, क्रमशः 523, 472 व 283 थी।

Aircraft owned and flights undertaken by Indian Airlines and Air India

5925. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of aircrafts owned by Air India at present as also the number of flights undertaken by them per week ;

(b) the number of aircrafts owned by the Indian Airlines and the number of flights undertaken by them daily ; and

(c) the increase in the number of employees of Air India and Indian Airlines during the last one year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Air-India has a fleet of 9 Boeing 707 and 3 Boeing 747 aircraft. It operates 30 international flights to and

from India per week, including charters for Air-India Charters Limited. Additionally it operates some seasonal and *ad hoc* charters.

(b) The fleet of Indian Airlines consists of the following aircraft :

Boeing 737	—	7	
Caravelle	—	7	
F.27 (Fokker)	—	10	
HS—748	—	14	
Viscount	—	6	(Excludes those which have been phased out)
DC-3	—	8	(Excludes those which have been phased out)

As per schedule effective from 15.1.72, Indian Airlines operate 188 per day.

(c) The number of regular employees of Air-India and Indian Airlines has increased by 303 and 732 respectively.

Monthly Quota of Kerosene supplied to States

5926. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the quantity of kerosene oil supplied to each State per month ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : The monthly average quantity supplied to each State during 1971 is as below :—

State	Average qty/month in MTs
Andhra Pradesh	21262
Assam including Nagaland etc.	11686
Bengal	27451
Bihar	13928
Chandigarh	610
Delhi	7894
Goa	1497
Gujerat	26977
Haryana	4801
Himachal Pradesh	470
Jammu and Kashmir	1384
Kerala	10561
Madhya Pradesh	11688
Tamil Nadu	28921

State	Average qty/month in MTs
Maharashtra	56387
Mysore	13510
Orissa	6342
Punjab	11985
Rajasthan	7760
Uttar Pradesh	27259
Pondicherry	132

मध्य प्रदेश में विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झीलों, गर्म पानी के स्रोतों, वनों और जल प्रपातों का विकास

5927. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों में कितनी झीलों, गर्म पानी के स्रोतों, वनों और जल प्रपातों का विकास किया गया है तथा आगामी दो वर्षों में जिनका विकास किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : चौथी योजना के दौरान 14.51 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

सरकारी उपक्रमों में सरकार द्वारा पूँजी लगाया जाना

5930. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 तक सरकारी क्षेत्र के कारखानों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि विनियोजित की गई थी ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहायता की कुल कितनी राशि है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकार के 97 औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में वर्ष 1970-71 के अंत तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल 4157 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था ।

(ख) इन उपक्रमों द्वारा वर्ष 1970-71 के अंत तक प्राप्त विदेशी सहायता की राशि 433.9 करोड़ रुपये थी, जिसका ब्यौरा यह है :

(करोड़ रुपयों में)

(1) सामान्य पूंजी में भाग		14.7
(2) ऋण : जिसमें से नकद ऋण	—104.0	
संयंत्र और मशीनों तथा अन्य पूँजीगत वस्तुओं के लिए विलंबित ऋण	—195.5	
कच्चे माल, हिस्सों, जिन्स, आदि के लिए विलंबित ऋण	—119.7	419.2
	जोड़ :	433.9

लाकर की सुविधा वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी गई हिदायतें

5931. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लाकरों की सुविधा वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों को ये हिदायतें दी गई हैं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्यवाही करें कि 'बेनामी' नामों से लाकर किराये पर न लिए जायें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस बात का सुनिश्चियन करना कि लाकर असली ग्राहकों को किराये पर दिए जायें, सामान्य प्रथा है और बैंकों से तदनुसार कार्य करने की आशा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक को इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अनुदेश जारी करना आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ।

कम्पनियों का पंजीयन

5932. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970, 1971 और 1972 में राज्यवार ऐसी कितनी कम्पनियां पंजीकृत की गई हैं जिनकी पूँजी 10 लाख रुपये से अधिक है ; और

(ख) इस अवधि में वर्षवार कितनी कम्पनियां परिसमाप्त हुई ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 1969-70, 1970-71 व 1971-72 (31-12-71 तक) के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत 10 लाख रुपये और इससे ऊपर की अधिकृत पूँजी युक्त कम्पनियों की संख्या, संलग्न विवरण-पत्र 1 में दी गई है।

(ख) 1969-70, 1970-71 व 1971-72 (31-12-71 तक) में, उन कम्पनियों की संख्या जिन्होंने या तो परिसमापित होकर, अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत उन्मूलित हो जाने पर, कार्य करना बन्द कर दिया था, निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	परिसमापित हुई कंपनियों की संख्या	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत उन्मूलित कंपनियों की संख्या	योग
1969-70	227	296	523
1970-71	235	237	472
1971-72 (31-12-71 तक)	178	105	283

1969-70, 1970-71 व 1971-72 (31-12-71 तक) के मध्य भारत के राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में, कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, 10 लाख रुपया तथा इससे ऊपर की अधिकृत पूंजी वाली कंपनियों की संख्या प्रदर्शित करता हुआ, विवरण-पत्र ।

राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	10 लाख रु० अथवा इससे ऊपर की अधिकृत पूँजी वाली, कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों की संख्या ।		
	1969-70	1970-71	1971-72
			(31-12-71 तक)
आन्ध्र प्रदेश	15	27	23
आसाम	3	8	6
विहार	4	9	11
गुजरात	43	38	51
हरियाणा	9	7	9
हिमाचल प्रदेश	2	2	—
केरल	9	16	11
मध्य प्रदेश	7	5	5
महाराष्ट्र	97	140	133
मैसूर	18	48	24
उड़ीसा	3	7	2
पंजाब	11	6	8
राजस्थान	9	13	18
तमिलनाडू	30	39	47
उत्तर प्रदेश	23	22	27
पश्चिम बंगाल	46	49	69
चन्डीगढ़	5	5	3
दिल्ली	57	94	106
गोवा	4	14	6
मणिपुर	1	1	—
नागालैण्ड	1	—	—
पान्डेचेरी	—	—	2
जम्मू एवं कश्मीर	4	2	—
	योग 401	551	562

एकाधिकार आयोग को सौंपे गये मामले

5933. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास 31 मार्च, 1972 को कितने मामले लगभग छः और तीन महीनों से अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या आयोग में सदस्यों की अपर्याप्त संख्या के कारण ये मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या आयोग द्वारा मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

चोरी-छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

5934. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशों से गत वित्तीय वर्ष में (महीने वार) लाया गया कुल कितना सोना पकड़ा गया ; और

(ख) उन पत्तनों अथवा नगरों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1971-72 में तस्करी का सोना जब्त किया गया तथा प्रत्येक स्थान पर लगभग कितने-कितने मूल्य का सोना बरामद किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष (1971-72) में भारत में पकड़े गये सोने की कुल रकम महीना-वार इस प्रकार है :—

महीना	परिमाण (किलोग्राम)
अप्रैल, 71	167
मई, 71	74
जून, 71	66
जुलाई, 71	183
अगस्त, 71	129
सितम्बर, 71	83
अक्तूबर, 71	66
नवम्बर, 71	85
दिसम्बर, 71	49
जनवरी, 72	222
फरवरी, 72	416
मार्च, 72	228
जोड़	1768

(ख) सोने को पकड़ने के बहुत सारे मामलों तथा जिन विभिन्न स्थानों पर सोना पकड़ा गया उनको ध्यान में रखते हुए सूचना बहुत ही विस्तृत होगी और इसको एकत्रित करने में पर्याप्त समय लगेगा। लेकिन, अधिकांश सोना भारत के पश्चिमी तट पर विभिन्न स्थानों तथा बन्दरगाहों पर पकड़ा गया था। सोने को पकड़ने के कुछ मामले देश में अन्य बड़े-बड़े शहरों में भी हुए थे। जिन बन्दरगाहों, शहरों तथा स्थानों पर सोने की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पकड़ी गई, तथा प्रत्येक स्थान पर पकड़े गये सोने के मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है :—

शहर/बन्दरगाह/जगह का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-दर पर मूल्य
	(लाख रुपये)
बम्बई (शहर तथा बंदरगाह)	83.92
मद्रास (शहर तथा बन्दरगाह)	13.86
जामनगर	9.84
बंगलौर	7.34
वागलधारा (वलसाड़ के निकट)	4.92
सलाया (जामनगर के निकट)	1.84
कलकत्ता (शहर तथा बन्दरगाह)	1.75
दिल्ली	1.18
कोजी कोड	0.75

मुजफ्फरपुर और पटना के बीच दैनिक विमान सेवा का चालू किया जाना

5935. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की मुजफ़्फरपुर और पटना के बीच होने वाली उड़ानों में यातायात पर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस हवाई मार्ग पर दैनिक सेवा चालू करने और उसे रक्सौल तक बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स की फिलहाल ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं।

Scheme to set up Tourist Centres in District Headquarters in various States

5936. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme to set up Central Tourist Centres at the District Headquarters in various States ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

Overdrafts by States

5937. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether inspite of the instructions of Central Government, certain State Governments are drawing overdrafts from the Reserve Bank of India ;

(b) whether upto 7th April, 1972 the amount of overdrafts had gone up from Rs. 573.86 crores to Rs. 666.20 crores ; and

(c) if so, the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The increase in States' overdrafts has been a matter of great concern to the Central Government. Detailed discussions were held last year with all the concerned State Governments with a view to devising a new procedure in which recourse to overdrafts could be avoided. Keeping in view the difficulty that might arise if the entire overdraft was required to be cleared in a single year, Government have in consultation with the Planning Commission worked out an arrangement with the concerned States under which the overdrafts would be reduced progressively. Under this arrangement, the States in respect of which overdrafts at the end of 1971-72 were considered by the Planning Commission as being unavoidable, have agreed to repay, in 1972-73, a suitable proportion of the agreed estimate of the overdraft at the end of 1971-72. It has been decided further that in future no State would be permitted to regard overdrafts on the Reserve Bank as a budgetary resource. The State Plan outlays for the current financial year have been fixed after detailed consultations with the State Governments and on a fully financed basis. All future operations would, therefore, have to be on a self-financing basis and a continuing balance would have to be maintained between the flow of resources and expenditure. Under the procedure which has been worked out in consultation with the Planning Commission and the Reserve Bank and which has come into effect from the Ist May, 1972, in case any State Government has an overdraft continuously for seven days, the Reserve Bank would automatically suspend payments which will be resumed only when the overdraft disappears. Simultaneously, in order to provide for seasonal and temporary fluctuations, the limits for clean ways and means advances to States from the Reserve Bank have been increased to four times the previously sanctioned limits. The State Governments had throughout been kept informed of the details of the new procedure.

The overdrafts of the State Governments as on 7th April, 1972 amounted to Rs. 591 crores.

Seizure of smuggled goods

5938. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Finance be pleased to state the number of foreign watches and the quantity of gold and other articles seized by the Customs authorities during 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The required information is as follows :—

Commodity	Quantity	Value at international rate (Rs. lakhs)	Value at Indian market rate (Rs. lakhs)
Watches	2,85,613 (Nos)	—	264
Gold	4,668 (kg.)	394	—
Other goods	—	—	1623

उड़ीसा के पारादीप में नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

5939. **श्री पी० के० देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा में पारादीप में नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बारे में प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय इसकी क्या स्थिति है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) पारादीप में नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारतीय उर्वरक निगम ने पारादीप में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक संभाव्य रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट, जिसमें कई वैकल्पिक योजनाओं का उल्लेख किया गया है, इस समय निगम के विचाराधीन है।

Opening of Branches of Nationalised Banks in East Nimar

5940. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of nationalised banks opened or proposed to be opened in the rural areas of East Nimar District in Madhya Pradesh and the name of the places where the banks are proposed to be opened ;

(b) whether these banks have started advancing loans to small farmers and traders ; and

(c) if so, the amounts of loan advanced to them, blockwise ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a) As on 29th February, 1972, 6 nationalised banks had 15 offices (6 rural and 9 semi-urban) in the district of East Nimar, Madhya Pradesh. In addition, State Bank of India and one of its subsidiaries—State Bank of Indore—had 6 offices (2 rural and 4 semi-urban). Licences are pending with

2 nationalised banks for opening an office each at Punasa (a rural centre) and Burhanpur (a semi-urban centre) in the District.

(b) and (c) As a matter of policy, nationalised banks extend liberalised credit facilities on priority basis to hitherto neglected sectors, including small farmers and traders. All proposals from these sectors are considered by the banks on merit. Block-wise information regarding advances given by nationalised banks to small farmers and traders is not maintained.

Loans advanced by I.F.C. to Large, Medium and Small Industrial Units in Madhya Pradesh

5941. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the Industrial Finance Corporation of India to large, medium and small industrial units in Madhya Pradesh during the last three years separately, year-wise ; and

(b) the number of applications pending disposal in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Under the Industrial Finance Corporation Act, 1948, only public limited companies and cooperatives are eligible for term loans from the Corporation. As a result, very few applications, if any, from the small scale or medium-scale sectors are received by the Industrial Finance Corporation.

The loan assistance given to large scale industries during the last three financial years is as given below :

(Rs. in lakhs)

1969-70		1970-71		1971-72	
Sanctioned	Disbursed	Sanctioned	Disbursed	Sanctioned	Disbursed
—	29.40	90.00	77.53	—	20.05

Note. Disbursements include disbursals of earlier sanctions also.

During the last three financial years, of the applications received by the Corporation from three concerns for their projects in Madhya Pradesh, two have been sanctioned and the third, which was received on 28.2 1972, is being processed. During these years, the Corporation has not rejected any application for financial assistance from any of the industrial units in Madhya Pradesh.

शरणार्थी-राहत कार्यक्रम के लिए राज्यों के अंशदान संबंधी लक्ष्य

5942. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिसम्बर, 1971 से मार्च, 1972 तक शरणार्थी-राहत के लिए राज्यों के अंशदान के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ख) उन्होंने अनुमानतः कितना अंशदान दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिसम्बर 1971 से मार्च 1972 तक शरणार्थियों की सहायता के लिए अलग-अलग राज्यों के अंशदान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। यह प्रत्याशा थी कि केन्द्र और राज्यों द्वारा अपनाये गए उपायों से कुल मिलाकर सारे वर्ष में लगभग 70 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

(ख) अनुमान लगाया गया है कि शरणार्थी सहायता के खर्च के लिए केन्द्र को अंशदान देने के लिए राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न करों से 1971-72 में लगभग 9.31 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

धनराशि निकालने संबंधी विशेष अधिकारों के अन्तर्गत भारत को प्राप्त हुई राशि

5943 **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन निकालने सम्बन्धी विशेष अधिकारों के अन्तर्गत अब तक भारत को कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ख) राशि का क्या उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत को अब तक 36.857 करोड़ डालर (276.4 करोड़ रुपये) के विशेष आहरण अधिकार प्राप्त हुए हैं और उसने निकासी की गई बकाया रकमों की वापसी-अदायगी करने और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को त्रैमासिक प्रभारों और अन्य प्रभारों की अदायगी करने के लिए 12.088 करोड़ डालर (90.7 करोड़ रुपये) के विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग किया है।

सामान्य बीमा कंपनियों में समान मजूरी और वेतन

5944. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत की गई सामान्य बीमा कम्पनियों में समान मजूरी और वेतन की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जाएगा ; और

(ग) क्या दो से तीन वर्ष तक की लगातार सेवा पूरी करने पर भी जो कर्मचारी अभी अस्थायी हैं, उनमें से अधिकांश को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां। कार्य की जटिलता को देखते हुए कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है। फिर भी, कार्य को यथासंभव शीघ्र पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी।

(ग) अभी नहीं। सावधानीपूर्वक ब्यौरेवार जांच कर लेने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5945. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए अभी हाल में एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें किस प्रकार की थीं ; और

(ग) एक सौहार्दपूर्ण हल ढूंढ़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जीवन बीमा निगम के श्रेणी III और IV के कर्मचारियों में से अधिकांश ने, कुछ मांगों के समर्थन में, 25 अप्रैल, 1972 को हड़ताल की थी अथवा सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया था ।

(ख) निम्नलिखित मांगें उठाई गई हैं :

(i) संघ (Association) और उसके सम्बद्ध यूनिटों को मान्यता दी जाए, (यह मांग अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा उठाई गई है) ;

(ii) उच्चतर दर पर बोनस दिया जाए!

(iii) उच्चतर दर पर मकान किराया भत्ता दिया जाय;

(iv) व्यापक गैर-अंशदायी चिकित्सा योजना;

(v) मुफ्त बीमा;

(vi) छुट्टी-यात्रा रियायत;

(vii) गृह निर्माण के लिए मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर में कमी करें ;

(viii) भवनों के रख-रखाव पर नियोजित सभी कर्मचारियों को $23\frac{1}{2}$ छुट्टियां;

(ग) निगम ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ 4 और 5 मई, 1972 को इन मांगों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया ।

भारतीय रिजर्व बैंक में स्टाफ आफिसरों की भर्ती

5946. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के विज्ञापन संख्या 5/69-70 के अनुसार बैंक के ग्रुप i, ii और iii में ग्रेड i और ii के स्टाफ आफिसरों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रत्याशी चुने गये; और

(ग) क्या चुने गये प्रत्याशियों में से किसी को इस पद पर नियुक्त किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) स्टाफ आफिसर ग्रेड I के पदों के लिए 7 प्रत्याशी और स्टाफ आफिसर ग्रेड II के पदों के लिए एक सौ प्रत्याशी चुने गये हैं।

(ग) 5 प्रत्याशियों को स्टाफ आफिसर ग्रेड I और 67 प्रत्याशियों को स्टाफ आफिसर ग्रेड II के रूप में नियुक्त किया गया है।

बम्बई में हैंगरों और कर्मशाला के निर्माण में विलम्ब

5947. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरेविल विमानों के ओवरहॉल और रख-रखाव के लिए बम्बई में हैंगरों और कर्मशाला के निर्माण में असाधारण विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित कारणों की वजह से बम्बई में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा हैंगर और एक सर्विस कॉम्पलेक्स के निर्माण में कुछ देरी हुई है :—

(i) चूंकि जैट विमानों के लिए एक आधुनिक प्रकार के हैंगर का निर्माण आवश्यक था, सारे देश भर में से डिज़ाइन आमंत्रित किए गए थे तथा अंतिम डिज़ाइन का निर्धारण करने से पहले एक बहुत बड़ी संख्या में प्रॉजेक्ट रिपोर्टों का अध्ययन किया जाना जरूरी था।

(ii) जिस हैंगर का निर्माण किया जाना था, वह एशिया में अपने प्रकार का सबसे बड़ा हैंगर था। अत: इण्डियन एयरलाइन्स के लिए इतने विशाल प्रॉजेक्ट को प्रारम्भ करने से पहले पूरी जांच एवं विस्तृत तकनीकी छानबीन करना आवश्यक था।

(iii) एक उपयुक्त कान्ट्रेक्टर फर्म के चयन के लिए बड़ी सावधानी बरतना आवश्यक था तथा इस के सम्बन्ध में उस के पूर्व अनुभव, उस के इस प्रकार के कार्य की निष्पादन क्षमता, उस के पास उपलब्ध तकनीकी कर्मचारी वर्ग, उसकी उपकरण राशि, उसकी वित्तीय स्थिति इत्यादि के विषय में पूरी छानबीन करना जरूरी था।

(iv) लोहे की अत्यधिक कमी के कारण भी इस कार्य में बड़ा विलम्ब हुआ। लोहा कहीं दिसम्बर, 1970 में जाकर उपलब्ध हुआ और वह भी अपर्याप्त मात्रा में और अनियमित रूप से।

हैंगर के इस वर्ष जून तक पूरा हो जाने की आशा है।

भारत में विदेशी फर्में

5948. **श्री पम्पन गौडा :** क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितनी विदेशी फर्में चल रही हैं और इनमें से कितनी कम्पनियों में भारतीयों के भी शेयर हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनका राष्ट्रीयकरण करने का है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) विभाग के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार भारत में 31 मार्च, 1971 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत परिभाषित 543 विदेशी कम्पनियां, तथा 31-3-69 तक विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियां, कार्यरत थीं।

इन 543 विदेशी कम्पनियों की हिस्सा पूँजी में भारतीयों द्वारा धारित हिस्सों की बाबत सूचना, विभाग के पास उपलब्ध नहीं है; क्योंकि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इसे कम्पनियों द्वारा भेजना अपेक्षित नहीं है। 31-3 69 तक विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों में से, भारतीयों के 140 कम्पनियों में हिस्से हैं।

(ख) सरकार की भारत में विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की कोई सामान्य नीति नहीं है। किसी उपक्रम, चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी, के राष्ट्रीयकरण का निर्णय अर्थ-व्यवस्था एवं जनता के हित को देखते हुए किया जाता है।

होटल उद्योग में शिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

5949. **श्री पम्पन गौडा :**
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार होटल उद्योग में शिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है ताकि होटलों में सेवाएं सुधारी जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):(क)और (ख) अप्रेंटिसेज् एक्ट 1961 के अन्तर्गत होटल तथा खानपान उद्योग के लिए पाचकों, स्टीवर्डों, बेकरों/कन्फेक्शनरों, हाऊसकीपरों तथा होटल क्लर्कों/स्वागतियों को अलवाय, गोवा, बंगलौर, लखनऊ तथा नागपुर स्थित 5 क्राफ्ट केन्द्रों में 'अप्रेंटिसशिप' प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने होटल उद्योग में प्रबन्धकवर्ग के पदों के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास ने 'होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टैक्नोलोजी' के 4 संस्थान भी स्थापित किए हैं।

Transport Facility Provided for Passengers from City Booking Office to Aerodrome in Delhi by Indian Airlines

5950. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Indian Airlines have withdrawn the transport facility being provided by it for passengers from City Booking Office to aerodrome in Delhi ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) As the cost of providing this service has been rising, Indian Airlines have imposed a small charge on passengers using their transport from 1st April this year. This conforms to the international practice.

मुरादनगर स्थित आयुध कारखाने का विस्तार

5952. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मेरठ के निकट मुरादनगर स्थित आयुध कारखाने का विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जायगा;

(ग) वहां किस प्रकार का गोला बारूद और सहायक पुर्जे आदि बनाये जाएंगे; और

(घ) उत्पादन में कहां तक वृद्धि होगी और इससे रक्षा सेवाओं की आवश्यकताएं कहां तक पूरी होंगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार ने मुरादनगर आयुध कारखाने में 7·73 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से उसके विस्तार/आधुनिकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, उनमें से अन्तिम जून, 1975 तक पूरा करने की योजना है।

(ग) और (घ) इस विस्तार कार्यक्रम की क्रियान्विति पर, विभिन्न प्रकार की रक्षा वस्तुओं का उत्पादन करने वाले अन्य आयुद्ध कारखानों की विभिन्न प्रकार की आर्मर/स्टील कास्टिन्ग्स की आगामी आवश्यकताओं को पूरा करने की इस कारखाने में आशा की जाती है।

कृषि आय पर कर

5953. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने देश में कृषि आय पर कर लगाए जाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् ने क्या सुझाव दिये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अपने आप देश में कृषि आय पर कर लगाने की किसी योजना की सिफारिश नहीं की है। सम्भवत: संकेत कृषि-आय पर कर लगाने से संबंधित उन प्रस्तावों की ओर है, जो मैसूर करारोपण और साधन जांच समिति की रिपोर्ट में दिये गये हैं जिसके अध्यक्ष परिषद् के महानिदेशक थे। समिति की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गयी थी और इसकी रिपोर्ट उसे प्रस्तुत की जा चुकी है।

छोटे स्तर की वित्तीय एजेंसियों के निगम का गठन

5954. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे स्तर की वित्तीय एजेंसियों का एक निगम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). छोटे स्तर की वित्तीय एजेंसियों का निगम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों को उत्पादन में हुई हानि

5955. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के कार्य में 1970-71 में विगत वर्षों की तुलना में बाधा पड़ी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) बिजली खराब होने, समय-समय पर बिजली बन्द होने, कच्चे माल की अपर्याप्त तथा अनियमित सप्लाई तथा दुर्घटनाओं के कारण 1970-71 में निगम के कार्यरत विभिन्न एककों के उत्पादन में कितनी हानि हुई ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अदा किया गया समयोपरि भत्ता

5957. **श्री वयालार रवि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1971-1972 के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों को कुल कितना समयोपरि भत्ता दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1971-72 में समयोपरि भत्ते की दी गई कुल रकम के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । उसको एकत्र किया जा रहा है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दिया जायगा ।

सैनिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मुफ्त आवास

5958. **श्री वयालार रवि :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों के किन-किन श्रेणियों के कर्मचारी मुफ्त आवास पाने के हकदार हैं और किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को अपने क्वार्टरों का किराया देना पड़ता है; और

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से किराया वसूल किया जाता है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) उनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान हैं तथा उनसे समुचित दरों पर किराया वसूल किया जाता है ।

विवरण

सैनिक स्कूल कर्मचारियों के वर्ग जो कि किराया मुफ्त आवासीय क्वार्टरों के लिए पात्र हैं ।

1. प्रिन्सीपल
2. हैडमास्टर
3. रजिस्ट्रार
4. अध्यापक अमला
5. मेट्रन जिसमें भोजनालय प्रबंधक भी शामिल है ।
6. क्वार्टर मास्टर
7. चिकित्सा अफसर
8. पी० टी० आई० दिसम्बर, 67 से पूर्व सेवा में हैं, किराया मुफ्त आवास की सुविधा प्रदान की जाती है ।

सैनिक स्कूल के कर्मचारियों के वर्ग जिन्हें अपने क्वार्टर के लिए किराया देना होता है ।

1. आफिस सुपरिन्टेंडेंट
2. लेखाकार
3. अपर डिवीजन क्लर्क
4. एल० डी० सी०
5. स्टोर क्लर्क
6. केटरिंग असिस्टेंट
7. लाइब्रेरियन
8. कम्पाउन्डर
9. ड्राइवर
10. राईडिंग इन्सट्रक्टर
11. एस्टेट मैनेजर/बिल्डिंग सुपरवाइजर
12. (क) पी० टी० आई० जो दिसम्बर, 67 से पूर्व नियुक्त किए गए हैं किन्तु किराया मुफ्त क्वार्टर की सुविधा नहीं दी गई है ।

    (ख) पी० टी० आई०, जो दिसम्बर 67 के उपरांत नियुक्त किए गए हैं ।
13. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।

अमेरिका और यूरोप में भारतीय रसायन इन्जीनियरों और विशेषज्ञों की भर्ती

5959. **श्री के० कोडन्डारामी रेड्डी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी और गैर सरकारी कारखानों में रसायन इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञों की भर्ती करने के लिए भारतीय पेट्रो-रसायन निगम के अधिकारियों के एक दल ने अमेरिका और यूरोप की यात्रा की थी ; और

(ख) इन देशों में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीरसिंह) : (क) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० के निदेशकों के बोर्ड की एक उप-समिति ने, हाल ही में, निगम की प्रायोजनाओं में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के पदों के लिए विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों (तकनीशनों) का साक्षात्कार करने हेतु अमरीका, कनाडा और यूरोप का दौरा किया था।

(ख) उप-समिति ने बताया है कि विदेशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका, में कार्य कर रहे भारतीय भारत को वापिस आने के लिए इच्छुक हैं। 300 भारतीय वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों का साक्षात्कार किया गया और 90 व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर चयन किया गया।

Arrears of Taxes Outstanding Against All India Trade Union Congress

5960. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the large amount of arrears of Income-tax and other central taxes is payable to Government by the All India Trade Union Congress ; and

(b) if so, the amount thereof and the steps proposed to be taken by Government to realise the outstanding amounts of taxes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance : (Shri K. R. Ganesh) : (a) No central direct taxes are payable to the Government by the All India Trade Union Congress. A notice under Section 139(2) of the Income-tax Act, 1961, has been issued by the Income tax Officer for the assessment year 1970-71. In response to this notice, the All India Trade Union Congress has filed a return of income showing 'nil' income. A return for the assessment year 1971-72 has also been received. The question whether the income of the All India Trade Union Congress is liable to income-tax is under examination. No assessments have been made so far.

(b) Does not arise.

Alleged Theft of Records from Ordnance Factory, Jaipur

5961. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item in Hindi

weekly 'Dehra' dated the 1st March, 1972 (published from Dehradun) to the effect that some records have been stolen from the Ordnance Factory, Raipur ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) A local Hindi Weekly known as 'Dehra Patrika' published on 1.3.1972 carried the news that some 'manufacture warrants' were found by some individuals outside the Factory premises. The statement that these were stolen is not correct. No such loss has come to the notice of the Factory authorities.

These documents are neither confidential nor secret.

भारत में पाकिस्तानी तस्कर

5962. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सक्रिय पाकिस्तानी तस्कर काफी आर्थिक साधन सम्पन्न हैं और उनका प्रभावशाली व्यक्ति समर्थन करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के पास उपलब्ध सूचना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसा नोटिस में आया है कि पाकिस्तानी तस्कर-व्यापारी समय-समय पर सोना तथा अन्य निषिद्ध वस्तुएं लाने ले जाने का कार्य करते हैं। किन्तु सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन व्यक्तियों के पास अपार वित्तीय साधन हैं और उन्हें प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन अपराधों पर जुर्माना

5963. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपराधों के लिए अन्तर्ग्रस्त मुद्रा के मूल्य तीन गुणा जुर्माने की अधिकतम सांविधिक सीमा को बढ़ाकर पांच गुना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन कब से लागू कर दिया जाएगा ; और

(ग) प्रवर्तन निदेशक को न्यायनिर्णय के अधिकार दिए जाने के बाद से कितने मामलों में अधिकतम जुर्माने का दण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस समय कुछ संशोधनों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिनमें एक संशोधन विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गम्भीर अपराधों में जुर्माने की सांविधिक अधिकतम राशि को बढ़ाने के बारे में है, जो इस समय अन्तर्ग्रस्त मुद्रा के मूल्य से तीन गुणा है। शीघ्र ही एक निरसन और संशोधन विधेयक संसद में पेश करने का प्रस्ताव है।

(ग) अधिनिर्णय के अधिकार जबसे प्रवर्तन निदेशक को दिये गये हैं तब से अब तक किसी भी मामले में, अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा के मूल्य के तीन गुणा के बराबर रकम का जुर्माना नहीं किया गया है ।

बिजली की कमी के कारण भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों का बन्द होना और उत्पादन में कमी होना

5964. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बिजली की कमी के कारण बन्द हुए विभिन्न उर्वरक एककों और उत्पादन में हुई कमी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण भी उत्पादन में अधिक कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो ये बाधाएं हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में कंपनियों के नाम आय कर तथा अन्य करों की बकाया राशियां

5965. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलेवार उन कम्पनियों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनकी कर योग्य आय एक करोड़ रुपये से अधिक है ;

(ख) अब तक इन कम्पनियों और व्यक्तियों में से प्रत्येक के नाम आय-कर, निगम-कर, धन-कर और दान-कर की कुल कितनी रकम बकाया है ; और

(ग) इन्हें वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) बिहार में जिन कम्पनियों तथा व्यक्तियों के मामलों में निर्धारित कुल आय, वित्तीय वर्ष 1971-72 में पूरे किये गये निर्धारणों के अनुसार, एक करोड़ रुपये से अधिक थी, उनके विषय में अपेक्षित ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दिये जाएंगे ।

मुजफ्फरपुर जिले (बिहार) के बानियां गांव में बुद्ध बिहार बनाने का प्रस्ताव

5966. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बानियां गांव में एक बुद्ध विहार बनाने का

प्रस्ताव है जो पुराने लिच्छवी गणतंत्र का वैशाली क्षेत्र था और जिसकी प्रशंसा भगवान बुद्ध ने अपने व्याख्यानों में की है और जहां उन्होंने अपना काफी समय व्यतीत किया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग का एक विहार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एक धार्मिक इमारत है जिसका निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार से सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये।

भारतीय उर्वरक निगम को शुद्ध लाभ

5967. **श्री अचलसिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1979-70, 1970-71 और 1971-72 के लिए भारतीय उर्वरक निगम के शुद्ध लाभ का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) तदनुरूपी अवधि के दौरान के प्रबन्धक निदेशकों के नाम क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)

	वित्तीय वर्ष	शुद्ध परिचालन लाभ
(क)		(लाख रुपयों में)
	1969-70	251.87
	1970-71	166.59
	1971-72	वर्ष के लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) श्री सतीशचन्द्र 1969-70 वर्ष तथा वर्ष 1970-71 के कुछ भाग के दौरान निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक रहे। डा० के० आर० चक्रवर्ती 1.9.1970 से प्रबन्धक निदेशक नियुक्त किए गए हैं और अभी उसी पद पर हैं।

Seizure of Black Money from A Labour Leader in Visakhapatnam

5968. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the 'Vir Arjun' (Hindi dated the 23rd April, 1972) that a large amount of black money has been recovered from the house of a Labour Leader in Visakhapatnam ;

(b) the amount of money recovered ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 16,000 cash besides evidence of fixed deposits worth Rs. 5 lakhs in banks.

(c) Enquiries are in progress and action will be taken in accordance with the law.

सैनिक स्कूलों में अभिभावक-अध्यापक संगठनों का गठन करना

5969. **श्री वी० मायावन :**
श्री सी० टी० दण्डपाणी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक सैनिक स्कूल में अभिभावक-अध्यापक संगठन स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन के कार्य क्या होंगे ;

(ग) अभिभावकों के प्रतिनिधि को चुनने का क्या तरीका होगा ; और

(घ) क्या संगठन की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अभिभावकों को यात्रा-व्यय दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

सैनिक स्कूलों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाओं में एकरूपता

5970. **श्री वी० मायावन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सैनिक स्कूलों के छात्रों हेतु गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई छात्रवृत्ति-योजनाओं में मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए एकरूपता सुनिश्चित करने और अनुदारता लाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या अभिभावक संगठनों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जब कि इस सम्बन्ध में एकरूपता लाना ना ही व्यावहारिक है और ना ही आवश्यक, सरकार छात्रवृत्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारियों पर यह देखने के लिए जोर देती है कि स्कूल चलाने के लिए लागत को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति की समुचित राशि दी जाय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) छात्रवृत्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारियों से इस पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

सैनिक स्कूलों के आन्तरिक प्रशासनिक बोर्डों में अभिभावकों का प्रतिनिधि

5971. **श्री वी० मायावन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक सैनिक स्कूल के आन्तरिक प्रशासनिक बोर्ड में अभिभावकों को प्रतिनिधित्व देने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधि को किस प्रकार चुना जायेगा और उसके कृत्य तथा पद की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि को कोई मानदेय अथवा यात्रा व्यय दिया जायेगा ?

रक्षामंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) प्रत्येक सैनिक स्कूल के आन्तरिक प्रशासनिक बोर्ड में अभिभावकों के एक प्रतिनिधि को पहले से ही शामिल किया जाता है।

(ख) प्रतिनिधि को प्रतिवर्ष सब अभिभावकों के द्वारा, जब वह अभिभावक दिवस को स्कूल में इकट्ठा होते हैं, चुना जाता है। कार्यकाल एक वर्ष है। बोर्ड के अन्य सदस्यों की भांति उन्हें सब शक्तियां तथा विशेषाधिकार हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकार के प्रथम ग्रेड के सरकारी कर्मचारियों के समान उन्हें यात्रा दैनिक भत्ता की दरें ग्राह्य हैं।

वेतन आयोग के कार्यालय में विभिन्न वर्गों के कर्मचारी

5972. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन आयोग के कार्यालय में इस समय अस्थायी रूप से अथवा दैनिक वेतन पर विभिन्न वर्गों के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या आयोग का कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् उक्त कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियां देने की कोई योजना है ; और

(ग) क्या सरकारी सेवा में प्रवेश की आयु के प्रश्न पर विचार करते समय आयोग के अधीन उनकी सेवा अवधि कब गिनी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) अस्थायी कर्मचारी

कनिष्ठ गवेषणा सहायक	1
चपरासी	18
फर्राश	2
जोड़	21

दिहाड़ीदार कर्मचारी	
निम्न श्रेणी लिपिक	18
चपरासी-एवं-मजदूर	28
पानीवाले	6
सफाई कर्मचारी	5
जोड़	57

(ख) तथा (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अस्थायी कर्मचारी, जो वेतन आयोग के नियमित संस्थापन में हैं और आयोग में कम से कम छः महीने की अविच्छिन्न सेवा की अवधि पूरी कर लेते हैं, वे, आयोग के समापन पर, अपनी सेवा की समाप्ति होने पर, अन्य सरकारी कार्यालयों के नियमित संस्थापन में श्रेणी III और श्रेणी IV के जिन पदों पर भरती रोजगार कार्यालय की मार्फत होती है, उन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए प्राथमिक III के हकदार होंगे। अन्य सरकारी कार्यालयों में जिन नियमित पदों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगी परीक्षाओं से भिन्न प्रकार से भरती की जाती है, उन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये वे आयु के मामले में आयोग में सेवा-काल की अवधि जितनी एवं अतिरिक्त तीन वर्ष की रियायत पाने के भी हकदार होंगे।

जहां तक प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों का संबंध है, उसी कार्यालय के नियमित संस्थापन में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर, रोजगार कार्यालय से अतिरिक्त संदर्भ माँगे बिना, नियुक्ति के लिये केवल वे ही आकस्मिक मजदूर पात्र होंगे जिनको रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किया गया था और जिन्होंने वेतन आयोग में आकस्मिक मजदूर के रूप में कम से कम दो वर्ष की अविच्छिन्न सेवा पूरी कर ली है (इस प्रयोजन के लिये, आकस्मिक मजदूर के रूप में, यदि कोई विच्छिन्न सेवा अवधि हो तो उसे शामिल करके कम से कम 240 दिन के सेवा काल को एक वर्ष की सेवा-अवधि माना जाएगा)। इन आकस्मिक मजदूरों को अपनी वास्तविक उम्र में से वह अवधि कम करने की अनुमति होगी जो उन्होंने आकस्मिक मजदूर के रूप में व्यतीत की है और यदि वे इस अवधि को कम करके संबंधित पद के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अन्दर हों तो वे अधिकतम आयु के संबंध में पात्र माने जायेंगे। (इस प्रयोजन के लिये, आकस्मिक मजदूर के रूप में विच्छिन्न सेवा की अवधियों को भी हिसाब में लिया जाएगा, जिसमें शर्त यह है कि सतत सेवा की एक अवधि छः महीने से अधिक की हो)। परन्तु अन्य कार्यालयों/संस्थापनों में चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर नियुक्ति के मामले में ये रियायतें लागू नहीं होंगी।

आनरेरी कैप्टनों के रूप में रिटायर होने वाले सूबेदार मेजरों को उपदान

5973. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूबेदार मेजर के पद अथवा अन्य समान पदधारी जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी को आनरेरी कैप्टन के पद से सेवा निवृत्त होते समय कितना उपदान प्राप्त होता है ; और

(ख) इनको उपदान की मन्जूरी देने में सामान्यतः कितना समय लगता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आनरेरी कमीशंड अफसर के रूप में सेवानिवृत्त होने वाला जे० सी० ओ० सेवा पेंशन के लिए पात्र है। तथापि हाल ही में मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान योजना आनरेरी कमीशंड प्राप्त जे० सी० ओ० पर भी लागू कर दी गई है। ऐसा जी० सी० ओ० इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के लिए अपना विकल्प दे सकता है और, यदि वह ऐसा करता है, तो उसे उपदान के साथ घटी दरों पर पेंशन मिलती है। इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाला उपदान प्रत्येक छः माह की सघवज सेवा के वेतन का 1/4 भाग होता है जिसकी अधिकतम सीमा वेतन का 15 गुणा होगी।

(ख) सामान्य मामलों में, पेंशन और उपदान सेवानिवृत्ति के समय मंजूर की जाती है। तथापि आनरेरी कमीशन प्राप्त जे० सी० ओ० के मामलों में जो पहले ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले उपदान को मंजूर करने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि उनके विकल्प की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

अल्पावधि कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए आई० ए० एस० आदि की परीक्षा देने की सुविधाएं

5974. **श्री सतपाल कपूर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा-मुक्त किए जाने वाले अल्पावधि कमीशन प्राप्त अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग की आई० ए० एस० आदि की सीमित परीक्षा देने के लिए उन्हें प्राधिकृत छुट्टी सहित सभी सुविधाएं देने संबंधी हिदायतें सेना-अधिकारियों को दी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अधिकारियों से इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, ऐसे अनुदेशों को प्रारम्भ से 1967 में जारी किया गया था तथा समय-समय पर उन्हें दुहराया गया है।

(ख) तथा (ग) जी हां। 1971 के दौरान तीन अफसरों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उन्हें आई० ए० एस० परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि अफसरों को परीक्षा देने के लिए अनुमति दी जाय।

तथापि, उनमें से एक ने परीक्षा दी थी, एक कम तैयारी के कारण परीक्षा देने के लिए इच्छुक नहीं था तथा तीसरे अफसर ने कम समय के नोटिस के कारण परीक्षा नहीं दी थी।

उड़ीसा में कोणार्क का मध्य प्रदेश में खजुराहो के समान विकास करने का प्रस्ताव

5976. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोणार्क का मध्य प्रदेश में खजुराहो के समान विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा योजना पर क्या लागत आयेगी ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम का खजुराहो और कोणार्क में एक-एक यात्री लाँज है। पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग का खजुराहो के मन्दिरों के पास प्राकृतिक दृश्य योजना की व्यवस्था के उद्देश्य से उनके चारों ओर की कुछ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है, तथा कोणार्क में भी इसी प्रकार की व्यवस्था के लिये पुरातत्त्व सर्वेक्षण एवं पर्यटन विभाग द्वारा वैसी ही कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग 3.75 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कोणार्क मन्दिर पर पुंज प्रकाश व्यवस्था भी करेगा ।

समाचार-पत्रों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों में धन लगाया जाना

5977. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 के अन्त तक नौ समाचार पत्रों में से प्रत्येक ने औद्योगिक उपक्रमों में कितनी पूँजी लगाई थी ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1969-70 के मध्य 9 समाचार-पत्र कम्पनियों का औद्योगिक उपक्रमों में विनियोजन प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र

क्र० सं०	व्यापार गृहों से सम्बद्ध नौ समाचार-पत्र कम्पनियों के नाम	राशि लाख रुपयों में
1.	बैनट कोल मैन एण्ड कं० लि०	1·01
2.	बिहार जनरल्स लि०	0·04*
3.	पायोनियर लि०	0·02
4.	स्टेट्समैन लि०	0·09
5.	न्यूजपेपर्स लि०	0·21
6.	इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०	255·80
7.	इण्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्रा० लि०	156·86
8.	आन्ध्र प्रभा प्रा० लि०	34·38
9.	गोमान्तक प्राइवेट लि०	0·09
	योग	448·50

टिप्पणी—*31-3-1968 के तुलन-पत्र के अनुसार

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में जीवन बीमा निगम के कब्जे में फ्लैट, मकान तथा अन्य इमारतें

5978. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास नगरों में जीवन बीमा निगम के कब्जे में कितने फ्लैट, मकान तथा अन्य इमारतें हैं;

(ख) उक्त फ्लैटों, मकानों और इमारतों के फर्श का क्षेत्रफल कितना है और उनके निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) इनमें से कितनी इमारतों में जीवन बीमा निगम के कार्यालय और कर्मचारी-आवास हैं और कितने अन्य पार्टियों को किराये पर दे रखे हैं; और

(घ) किराए पर दी गई इमारतों से कुल कितना किराया प्राप्त होता है और 30 अप्रैल, 1972 को कितनी इमारतें खालीं थीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के मकान, फ्लैट तथा अन्य इमारतों पर किया गया खर्च

5979. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के कितने मकान, फ्लैट तथा अन्य इमारतें हैं, उनके पते क्या हैं और प्रत्येक इमारत पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) कौन-कौन सी इमारतों में जीवन बीमा निगम के कार्यालय, अधिकारी आवास और कर्मचारी आवास हैं और कौन सी इमारतें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और व्यक्तियों को किराये पर दी गई हैं तथा उनके पते क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के फ्लैटों के आबंटन में भ्रष्टाचार तथा कुनबापरस्ती के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच कराने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

मनिआर्डर द्वारा पेन्शन का भुगतान

5980. **श्री एम० राजंगम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनीआर्डर द्वारा पेन्शन देने की सुविधा 100 रुपये से अधिक पेन्शन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की राजकोष विषयक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में गत अगस्त मास में इस आशय के अनुदेश जारी किए गये थे कि 100 रुपये तक की मासिक पेंशनें, जिनमें अस्थायी पेंशनें भी शामिल हैं, पेंशनभोगियों के अनुरोध पर, उन्हें सरकारी खर्च पर मनीआर्डर के जरिये भेजी जानी चाहिए। किन्तु, केन्द्रीय राजकोष नियमावली के अनुसार, प्रतिमास 250 रुपये तक पेंशन पाने वाले पेशन-भोगी भी मनीआर्डर के जरिये अपनी पेंशन पाने के हकदार हैं लेकिन उन्हें मनीआर्डर कमीशन देना पड़ता है। इस बात को देखते हुए कि 100 रुपये से अधिक की पेंशनों को सरकारी खर्च पर मनी-आर्डर के जरिये भेजने से सरकार को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा, 100 रुपये से अधिक की पेंशनें सरकारी खर्च पर मनीआर्डर के जरिये भेजने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में सैनिक स्कूल के लिए मांग

5981. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए एक सैनिक स्कूल खोले जाने की मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में ऐसा स्कूल खोलने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सैनिक स्कूल आमतौर पर राज्य सरकारों के अनुरोध पर खोले जाते हैं जो स्कूल के लिए भूमि तथा भवन और बहुत से छात्रों को वजीफे तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करती हैं। दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए दिल्ली प्रशासन से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Seizure of Smuggled Goods in Bombay

5982. Shri K. Mallanna : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Customs Officers have seized smuggled cloth worth Rs. 4 lakhs in Bombay recently ; and

(b) if so, the brief facts of the case ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) On receipt of information that contraband goods were stored in an outhouse attached to St. Xavier's Villa, Versova, Customs Officers of Central Excise Department, Bombay searched the said premises on 12th/13th April, 1972 in the presence of Pancha witnesses. In all 64 packages containing smuggled cloth (Sarees and Suiting) valued at Rs. 4.6 lakhs together with matallic yarn valued at Rs. 63,000/- and watch straps worth Rs. 31,000/- approximately were recovered. The matter is under investigation.

Recovery of Income-tax from All India Trade Union Congress

5983. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the annual income of the All India Trade Union Congress is taxable ; and

(b) the action taken by Government to realise Income-tax from the Organisation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The question whether the income of AITUC is assessable to income-tax is under examination by the assessing authorities and as soon as a decision is taken it will be placed on the Table of the House.

(b) Notice under section 139(2) of the Income-tax Act, 1961 calling for return of income from AITUC was issued by the Income-tax Officer for the assessment year 1970-71. In response to this notice, a return of income has been filed, declaring 'nil' income. A similar return showing 'nil' income for the assessment year 1971-72 has also been received by the Income-tax Officer.

उर्वरक संयंत्र और उनकी क्षमता

5984. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र में कितने-कितने उर्वरक संयंत्र चल रहे हैं ;

(ख) उनकी क्षमता कितनी-कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ग) कितने नये उर्वरक संयंत्र मंजूर किए गए हैं ;

(घ) उनकी क्षमता कितनी-कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थापित किए जायेंगे ; और

(ङ) उर्वरकों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने और संयंत्र लगाने की आवश्यकता है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दे दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी० 2018/72]

(ङ) कई प्रायोजनाओं, जो कार्यान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, के चालू हो जाने से इस बात की आशा है कि देश 1976-77 तक लगभग आत्म-निर्भर हो जाएगा। इसके पश्चात् देश को आत्म-निर्भर बनाये रखने के लिए उर्वरकों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता का विकास करने के कदम उर्वरकों की खपत में हुई वृद्धि की दर तथा प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर उठाये जायेंगे ।

कोयला खान कर्मचारियों के जीवन का बीमा करने के लिए प्रस्ताव

5985. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कर्मचारियों के जीवन का बीमा करने सम्बन्धी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसका वित्त पोषण कोयला खान भविष्य निधि में से किया जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) कोयला खान भविष्य निधि का कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव दे सकता है कि उसके जीवन बीमे की किश्तों की अदायगी उसकी भविष्य निधि से की जाय, यदि (i) भविष्य निधि में तब तक किया गया उसका अंशदान कम से कम दो वर्ष की किश्तों को चुकता करने के लिए पर्याप्त हो ; और

(ii) भविष्य निधि में उस सदस्य का वार्षिक अंशदान उसके बीमें की वार्षिक किश्त की रकम से कम नहीं पड़ता हो। इन शर्तों के पूरा होने पर और सदस्य के अन्यथा बीमा योग्य पाये जाने पर, पालिसी की किश्तों की अदायगी भविष्य निधि से की जा सकती है।

रबड़ बोर्ड के लिए विश्व बैंक से ऋण

5986. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में रबड़ बोर्ड के लिए कुछ ऋणों और अनुदानों की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी राशि कितनी है ; और

(ग) क्या ये ऋण और अनुदान बोर्ड की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

केन्द्रीय सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा केरल में परियोजनाओं को ऋण दिया जाना

5987. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने केरल राज्य में मध्यम दर्जे के और बृहत क्षेत्रों के उद्यमकर्त्ताओं को किन परियोजनाओं के लिए ऋण दिए थे ;

(ख) क्या अनेक मामलों में मंजूर किये गये ऋणों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया गया और कोई नये एकक नहीं लगाये गये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऋण मंजूर नहीं करता ।

अन्य अखिल भारतीय दीर्घावधिक सहकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना इस प्रकार है :—

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और जीवन बीमा निगम ने अब तक 30 औद्योगिक परियोजनाओं (16 नयी और 14 वर्तमान) को जस्ता और उसके उपोत्पादों, बिजली के लैम्पों, चीनी, सूती कपड़े, कृत्रिम रेशे, रबड़ उत्पादों, उर्वरकों, तेल तथा इस्पात के उत्पादों, रासायनिक उत्पादों, वनस्पति तेल निकालने, कांच और बिजली की मशीनों के निर्माण के लिए 13.64 करोड़ रुपये तक के ऋण मंजूर किये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

केरल राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्यमकर्त्ताओं को दिये गये ऋणों, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध सीमा तक सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

केरल में वित्तीय सहायता के लिए आवेदनपत्रों का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रद्द किया जाना

5988. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में केरल राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा वित्तीय सहायता के लिए कुल कितने आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द किये गये कि आवेदक सिक्योरिटी देने में असमर्थ थे ; और

(ख) उनके पास तीन महीने और 9 महीने से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े आवेदनपत्रों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना उस रूप में नहीं रखी जाती है जिस रूप में माननीय सदस्य ने पूछा है। ऋण सम्बन्धी आवेदनपत्रों का मूल्यांकन करते समय

राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकतर आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं और जमानत के बजाय प्रस्ताव की सक्षमता, ऋणकर्ता की ईमानदारी और परियोजना को क्रियान्वित करने की उसकी योग्यता जैसे तथ्यों पर जोर दिया जाता है।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे यथासम्भव इकट्ठा किया जायगा और सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

केरल में आयकर कार्यालयों के लिए स्थान की व्यवस्था

5989. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कई जिलों में आय-कर कार्यालयों के लिए और उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के रहने के लिए कोई इमारतें नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल राज्य में आय-कर कार्यालयों के लिए इमारतें बनाने और आयकर कर्मचारियों के लिए रिहायशी स्थानों की व्यवस्था करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केरल में जिन 11 स्थानों पर आयकर कार्यालय स्थित हैं, उनमें से केवल एक ही स्थान पर सरकारी कार्यालय भवन है। केरल में किसी भी स्थान पर विभागीय रिहायशी आवास नहीं है।

(ख) आयकर आयुक्त को इस आशय की हिदायतें दी गयी हैं कि वह, जहां कहीं सम्भव हो, भूमि प्राप्त करने के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव भेजे, और यदि कहीं विभाग के पास भूमि पहले से ही उपलब्ध हो तो निर्माण-कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव भी पेश करे।

युद्ध में मारे गये राजस्थान के झुंझुनू जिले के सैनिकों की संख्या

5990. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में झुंझुनू जिले के उन सैनिकों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में मारे गये थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम):

	सेना	नौसेना	वायुसेना
अधिकारी	2	शून्य	शून्य
जे० सी० ओ० (अथवा समकक्ष)	1	शून्य	शून्य
जवान (अथवा समकक्ष)	76	शून्य	शून्य
जोड़	79	शून्य	शून्य

सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों के भोजन पर व्यय

5992 **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों के भोजन पर प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन कितना व्यय होता है; और

(ख) क्या भोजन पर होने वाले व्यय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सब सैनिक स्कूल प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन रु० 2.75 पैसे की दर से भोजन पर व्यय करने के लिए प्राधिकृत हैं। स्थानीय परिस्थितियों के कारण वास्तविक व्यय में अन्तर हो सकता है।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों को समुचित पोषाहार प्राप्त होता है, भोजन का आवधिक रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का वसूल किया जाना

5993. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को कोई ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें ऋण का भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) प्रत्येक बैंक द्वारा तैयार की गई ऋण योजनाओं में ऋणों की वसूली के लिए विशिष्ट शर्तें सम्मिलित की जाती हैं। ये शर्तें आमतौर पर परियोजनाओं की सक्षमता का अनुमान लगाने के बाद और परियोजनाओं की क्रियान्विति पर प्राप्त होने वाली अनुमानित नकदी से वसूली कार्यक्रम का संबंध जोड़ने के बाद निर्धारित की जाती हैं।

वसूली की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से बैंक जिन सामान्य सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं वे अनुबंध I में दिए गए हैं।

(ग) अदायगी में चूक के मामले कभी-कभी पैदा होते हैं। कई बार अदायगी में चूक देवी विपत्तियों अथवा कारोबार पर कुप्रभाव डालने वाली अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होती हैं। अलग-अलग किस्मों की चूकों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

ऋणों की वसूली के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

I. छोटे उद्यमकर्ताओं और अन्य आत्मनियोजित वर्गों के ऋणकर्ताओं को दी गई रकमों

के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए और कार्यक्रम के अनुसार अग्रिमों की वसूली करने के लिए उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही और पर्यवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाएं संगठित की जाएं। इससे रकम का आना जाना बनाया रखा जा सकता है ताकि दुर्लभ साधन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकें। ऋणकर्ता को न्यूनतम आधारभूत हिसाब-किताब रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाय और उसे वित्तीय पर्यवेक्षण एवं अनुशासन स्वीकार करने के लिए भी प्रेरित किया जाय। ऋणकर्ता एककों को विशेषकर उनके कारोबार में हुए लाभ के एक भाग को फिर से काम में लगाकर सामान्य शेयर पूंजी निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

II. (1) अल्पावधिक और मध्यमावधिक दोनों प्रकार के ऋणों के लिए ऋणों की वापसी अदायगी का कार्यक्रम उस समय के अनुसार बनाया जाए जब किसान अपने उत्पादन को बेच लेता हो।

(2) ऋणों की वापसी की नियत तिथि से पहले ही ऋण की वसूली के लिए बैंक द्वारा प्रयास शुरू कर दिए जाएं।

(3) जहाँ पर बहु-फसल प्रणाली लागू है वहां पर ऋणों की वसूली की तिथि मुख्य फसल की बिक्री के समय के अनुरूप रखी जाय।

(4) किसान की वापसी अदायगी सम्बन्धी क्षमता का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसके सकल उत्पादन को बढ़ा-चढ़ा कर न दिखाया जाय।

(5) वसूली के कार्यक्रम सदा ही काफी लचीले हों ताकि दैवी विपत्तियों अथवा मौसम सम्बन्धी प्रतिकूल बातों के मामले में कार्यक्रम को आसानी से फिर से निर्धारित किया जा सके।

(6) वसूली कार्य की लगातार और कड़ी समीक्षा की जाती रहे। बैंक की प्रत्येक शाखा को मांग, वसूली और शेष राशि और नियत तिथि के रजिस्टर रखने चाहिएं।

Memorandum from All India Indian Oil Dealers Association

5994. Shri Dhan Shah Pradhan:
Shri Y. Eswara Reddy:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Government have recently received memoranda from the All India Indian Oil Dealers Association and other oil associations;

(b) if so, the gist of the memoranda; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale):

(a) to (c) Several Memoranda from this party have been and continue to be widely

circulated and are also received in the Ministry at fairly regular intervals under one, more or all of the following names :—

(a) Akhil Bharatiya Indian Oil Dealers Association.

(b) National Oil Distributors.

(c) Bombay Retailers (GS) Cooperative Society Ltd.

(d) Sindhi Chamber of Commerce & Industry.

(e) Noble Oil Distributors.

(f) Sadhana Industries.

It has been ascertained that the associations are unregistered and there is a common party behind the above firms/associations.

2. The investigations made on the basis of the allegations made in the memoranda received in the past revealed that these could not be substantiated. A detailed report on the last such investigations was received in August, 1971. A statement showing briefly the salient allegations and the result of the investigations, is attached.

3. The party was also functioning as IOC's agent. On termination of its agency the party initiated legal action against Indian Oil Corporation. His plaint was, however, dismissed with costs.

Statement

Note on Some of the Allegations made by Shri Dayaram H. Garibdas Against the IOC

(a) The allegation made that large sums have been paid by the Indian Oil Corporation without any justification and fraudulently as incentive bonus for the sale of kerosene has been found to be false. No payment has at all been made. In fact this party, in order to promote the sale of another kerosene dealer, a sister concern of the party and in accordance with the printed cash memos, under its direct management, deliberately reduced its own sale of kerosene and transferred its business to its sister concern to enable the latter to claim bonus, which IOC refused to accept.

(b) It has been alleged that IOC's incentive scheme was kept a secret and intimated only to the favoured agents. The fact is that this very party wrote a letter to the then General Manager of Indian Oil Corporation on 18.11.1970 and stated therein that :

"We have already put on record our great appreciation for the incentive scheme which the Corporation has introduced to encourage sales."

(c) It is alleged that Shri Dedhia has been allotted a Petrol pump in Bombay in contravention of the Government's policy of helping the unemployed graduates. This pump

was allotted in November, 65 whereas the new scheme was introduced 4 years later in November, 1969.

(d) It has been alleged that Shri Dedhia has his office in Bombay and the petrol pump is near the installation. Further he has been given cheque facilities on a Thana Bank. This has also been found to be false. The retail outlet, is in Matunga, some 4 to 5 KMs away from IOC's installation. The cheque is drawn at a bank in Matunga and not in Thana.

(e) It has been alleged that New Eastern Kerosene Supply Co. of one Shri Majid was allowed cheque facilities on the clear understanding that a sum of Rs. 50,000 would be deposited as security. Shri Majid has since withdrawn his deposit and despite this supplies are being made to him. The fact is that when the IOC withdrew the cheque facility, and started taking cash, the need for having a bank guarantee for cheques ceased to exist. The party therefore correctly approached the IOC for the return of the bank guarantee to which the Indian Oil Corporation agreed.

(f) It has been alleged that base oils required to be sold only for defence purposes are being given by the MD to the other parties. This is entirely incorrect. No base oils meant for Defence only are being given to private parties.

(g) It has been alleged that naphtha is being imported at a very high price. It is quite well known that naphtha has not been imported into this country so far.

(h) The tanker HIROSHIMA MARU chartered for lube movement is being fraudulently used for another purpose. The fact is that this tanker had to be diverted for the import of Avgas which enjoys a higher priority. The diversion was done with the approval of the Ministry.

उत्पादन-शुल्क और सीमाशुल्क वसूली कक्ष, फरीदाबाद के मुख्यालय का स्थानांतरण

5995. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क की वसूली के लिए एक वसूली स्क्वाड बनाया गया था और उसका मुख्यालय फरीदाबाद में बनाया गया था और उसके गठन के पश्चात् केवल एक सप्ताह के अन्दर उसका मुख्यालय फरीदाबाद से गुड़गांव स्थानान्तरित करने की अनुमति दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क के वसूली कक्ष के सम्बद्ध कर्मचारी उनका मुख्यालय गुड़गांव स्थानान्तरित हो जाने के बाद भी गत एक वर्ष से अपना यात्रा भत्ता फरीदाबाद में मुख्यालय के हिसाब से ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। फरीदाबाद में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमाशुल्क की वसूली के लिए नियुक्त वसूली-दस्ता, वहां कार्य कर रहा है। तम्बाकू उत्पाद-शुल्क की बकाया की वसूली के लिए एक अन्य दस्ता गुड़गांव में नियुक्त किया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुड़गाँव में नियुक्त बकाया वसूली दस्ते से संबद्ध केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के दो निरीक्षक फरीदाबाद से अपने कार्य का संचालन करते हैं। चूंकि बकाया रकमों की उगाही सारे गुड़गांव जिले के विभिन्न गांवों से की जानी है, इसलिए यात्रा भत्ते पर होने वाले व्यय के दृष्टिकोण से इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता कि उनका मुख्य कार्यालय फरीदाबाद में है अथवा गुड़गांव में।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क गुड़गाँव के अधीक्षकों के विरुद्ध शिकायतें

5996. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत दो वर्षों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, गुड़गाँव के कतिपय अधीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जी, हाँ। पिछले दो वर्षों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुड़गांव के कुछ अधीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें हुई हैं। इनमें से कुछ शिकायतों की जांच की गई है और उन्हें कल्पित नाम से किया गया और...निराधार पाया गया है जबकि अन्य शिकायतों में लगाये गए आरोपों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

कच्चे तेल के सम्बन्ध में बंगला देश से समझौता

5997. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगला देश की तेल सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण करने की स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में बंगला देश से कोई समझौता किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने वाणिज्यिक शर्तों पर 5 लाख मीटरी टन अशोधित तेल की सप्लाई हेतु बंगला देश की सरकार के साथ एक करार किया है। बंगला देश को सप्लाई

किए गए अशोधित तेल का मूल्य 5 वार्षिक समान किश्तों में परिदेय है। भारतीय तेल निगम ने यह अशोधित तेल प्राप्त किया है और वह भारत सरकार की ओर से इसका प्रेषण ईस्टर्न रिफाइनरीज लि० चिटगांव को कर रहा है। दोनों सरकारों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और निर्यात की व्यवस्था के लिए भी व्यापारिक करार किया गया है, जो निम्न प्रकार है :—

(क) **बंगला देश को निर्यात**

एस्फाल्ट.....100 लाख रुपये

(ख) **बंगला देश से आयात**

मट्टी का तेल
जूट वेचिंग आयल } 150 लाख रुपये
नेफ्था

Alleged Theft of Oil from Barauni Oil Refinery

5998. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that oil in large quantity is being stolen from Barauni Oil Refinery with the connivance of Officers and Workers and sold to certain traders at cheaper rates ; and

(b) if so, the action taken against the persons concerned and the remedial measures proposed to be taken to avoid recurrence of such incidents ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) It is not correct to say that oil is being stolen from Barauni Refinery in large quantities with the connivance of officers and workers. Recently, however, there have been a few stray cases where, on checking, Barauni Refinery authorities detected some manipulations in the internal fittings of the tank-lorries which appeared designed to carry out products in excess. These tank-lorries were seized and the case is being investigated by the CBI. A truck with faculty calibration chart was also detected some time ago. This case has also been referred to CBI for investigation. In none of these cases, however, did the Refinery Management come across any instance of connivance on the part of any of the workers or officers.

(b) The following measures have been taken by the management of the Refinery to prevent pilferage of products which are despatched from the Refinery :—

(1) All products loaded in the containers are invariably checked for the quantity loaded.

(2) All tank-lorries are invariably checked by an officer of Assistant Engineer's rank.

(3) At least five per cent of the containers loaded with the refinery products are

checked by an officer of the rank of a Divisional Head.

(4) Regular checking is being done at the gates by Security Personnel.

(5] Occasional surprise checks are being carried out by the Security Personnel along with a Vigilance officer of the Refinery.

(6) The officers of Special Police Establishment also carry out surprise checks.

भारत के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में भारतीय और पाकिस्तानी मुद्रा का विनिमय

5999. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि भारत के नियंत्रणाधीन सिंध के क्षेत्र में पाकिस्तानी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने की आज्ञा दी जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : सिंध के उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए, जो अब भारत के कब्जे में हैं, निकटवर्ती भारतीय क्षेत्रों से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से कुछ वास्तविक व्यापारियों को भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों में पाकिस्तानी मुद्रा को जमा कराने की अनुमति दी जा रही है ताकि वे उस मुद्रा को भारतीय रुपयों में बदल सकें। इस प्रकार जमा के लिए स्वीकृत रकमें, आवश्यक व्यापार की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी हैं।

रक्षा संस्थानों में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में अन्तर

6000. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संस्थानों में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में इस समय भी अन्तर है;

(ख) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को सेवा शर्तों के कुछ मामलों में जैसे छुट्टी, कार्य समय, समयोपरि भत्ता इत्यादि में अन्तर है।

(ख) तथा (ग) इस विषय पर अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तृतीय वेतन आयोग के पास यह प्रश्न है तथा आयोग की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर आधारिक परिवर्तनों पर विचार किया जाएगा।

Atrocities Perpetuated by Pakistani Army in Bangladesh : Confession by General Niazi

6001. **Shri Bibhuti Misra** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item published in 'Hindustan' (Hindi) dated the 16th April, 1972, regarding 'Atrocities perpetuated by Pakistani Army in Bangladesh : Confession by General Niazi ;

(b) whether Government have accorded permission to General Niazi to write a book on events in Bangladesh ; and

(c) if so, whether the book is proposed to be published by Government or by General Niazi ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) General Niazi has not sought any permission from Government for writing such a book.

(c) Does not arise.

उड़ीसा में एक विस्फोटक कारखाना लगाने का प्रस्ताव

6002. **श्री पी० के० देव** :

श्री डी० के० पंडा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में एक विस्फोटक कारखाना लगाने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में आयुध कारखाने और रक्षा संबंधी उद्योग स्थापित किए जाने का अनुरोध किया था। उन्हें सूचित कर दिया गया था कि रक्षा परियोजनाओं की स्थापना प्रत्येक मामले में तमाम संबंधित तत्वों, जिसमें परियोजना के सामरिक तथा तकनीकी प्राचल शामिल हैं, पर पूर्ण रूप से विचार करने पर आधारित होती है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लाभांश का प्रत्यावर्तन 26-11-71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1907 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 26-11-1971 को लोक सभा के पटल पर अता०प्रश्न संख्या 1907 के उत्तर को प्रस्तुत करते समय, भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न के भाग (घ) के

उत्तर में बताया था कि एस्सो कम्पनी ने वर्ष 1969 में लाभों/लाभांशों/सकल पारिश्रमिक के कारण विदेश में अपने मुख्यालयों को 15 लाख रुपये की धनराशि भेजी थी। भारत के रिजर्व बैंक ने तब से आंकड़ों में संशोधन कर उन्हें शून्य दिखलाया है।

उपर्युक्त स्थिति को विचार में रखते हुए मैं सदन को पहले दिए गए उत्तर में संशोधन करने के लिए निवेदन करता हूँ तथा इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ।

(2) उपरोक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर की सूचना—

विदेशी तेल कम्पनियों में से प्रत्येक ने कितनी राशि का प्रत्यावर्तन किया है"—वित्त मंत्रालय के माध्यम से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त की गई थी। यह सूचना तेल कम्पनियों से भी प्राप्त की गई थी तथा एस्सो तेल कम्पनी के वर्ष 1969 के आंकड़ों में अन्तर पाया गया था। आंकड़ों के सामंजस्य के लिए इस मामले को वित्त मंत्रालय को भेजना पड़ा था और इसलिए विलम्ब हुआ। फिर भी मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ।

मैसर्स एस्सो कंपनी द्वारा दी गई विक्रय एजेंसियों के बारे में दिनांक 3-12-71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2776 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (1) 3-12-1971 को लोक सभा के पटल पर अता० प्रश्न संख्या 2776 के उत्तर को प्रस्तुत करते समय, भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में बताया था कि एस्सो कम्पनी ने वर्ष 1969 में लाभों/लाभांशों/सकल पारिश्रमिक के कारण विदेश में अपने मुख्यालयों को 15 लाख रुपये की धनराशि भेजी थी। भारत के रिजर्व बैंक ने तब से आँकड़ों में संशोधन कर उन्हें शून्य दिखलाया है।

उपर्युक्त स्थिति को विचार में रखते हुए मैं सदन को पहले दिए गए उत्तर में संशोधन करने के लिए निवेदन करता हूँ तथा इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ।

(2) उपरोक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर की सूचना—

"गत तीन वर्षों में इस (एस्सो) ने कितना लाभ विदेशों को भेजा है"—वित्त मंत्रालय के माध्यम से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त हुई थी। यह सूचना (एस्सो) तेल कम्पनी से भी प्राप्त हुई थी तथा वर्ष 1969 के आंकड़ों में अन्तर पाया गया था। आँकड़ों के सामंजस्य के लिए इस मामले को वित्त मंत्रालय को भेजना पड़ा था और इसलिए विलम्ब हुआ। फिर भी मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम के 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2010/72]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 479 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2011/72]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल, 1972 में अधिसूचन संख्या जी० एस० आर० 480 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2012/72]

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, साम्भली, गोआ का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2013/72]

कम्पनी कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनी (आवेदन-पत्रों पर फीस) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 259 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार को अपीलें) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 261 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2014/72]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 260 (ड़) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूचि 10 में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2015/72]

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON RECENT CEASE-FIRE VIOLATIONS BY PAKISTAN IN JAMMU AND KASHMIR

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : पिछले मंगलवार मैंने सदन को कश्मीर में टिथवाल के निकट कैंयान क्षेत्र में हमारे दो ठिकानों पर पाकिस्तान के आक्रमण की सूचना दी थी । 4 मई, 1972 से प्रारम्भ होने वाले पिछले सप्ताह में पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू तथा काश्मीर में सारी नियन्त्रण रेखा पर अपनी कार्यवाहियों में पर्याप्त वृद्धि की है । इस अवधि में उन्होंने 49 बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया है । क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

1. गौरीयां क्षेत्र	.....	7	उल्लंघन
2. टिथवाल क्षेत्र	.....	9	उल्लंघन
3. गुलमर्ग क्षेत्र	.....	1	उल्लंघन
4. पूंछ क्षेत्र	.....	15	उल्लंघन
5. नौशेरा क्षेत्र	.....	15	उल्लंघन
6. जम्मू क्षेत्र	.....	2	उल्लंघन

इस अवधि में पंजाब, राजस्थान और गुजरात में युद्ध विराम रेखा के बहुत कम उल्लंघन हुए हैं ।

2. उल्लंघनों की उपरोक्त सूची में नौशेरा के उत्तर- पश्चिम में लगभग 11 मील नौशेरा क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाने की दो गंभीर घटनाएं भी सम्मिलित हैं । गोली चलाने की इन दो घटनाओं के परिणामस्वरूप हमारी ओर के हताहतों की संख्या निम्न प्रकार से है :

मृतक — 1 अधिकारी तथा 1 अन्य वर्ग

जख्मी — 1 जे० सी० ओ० तथा 3 अन्य वर्ग

3. जैसा कि मैंने इस सदन को पूर्व अवसरों पर सूचित किया है हमारे सैनिकों को आदेश हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घुसपैठ और युद्ध विराम के सभी उल्लंघनों का उचित

प्रकार से मुकाबला किया जाये। इन कार्यवाहियों में कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी हताहत हुए थे ।

4. नियन्त्रण रेखा पर होने वाली बहुत-सी झड़पों में स्थानीय कमाण्डरों ने विवाद के कारणों का पता लगाने और उन्हें वहीं पर निपटाने के लिए "फ्लैग" बैठकें की थीं। यह प्रक्रिया जारी रहेगी जिससे कि वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर होने वाली झड़पों के अवसरों को कम किया जा सके और दोनों तरफ होने वाली जनक्षति को रोका जा सके ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं सोमवार, 15 मई, 1972 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूँ :—

(1) वित्त विधेयक, 1972 पर विचार तथा उसे पारित करना।

(2) वर्ष 1972-73 के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 1972 पर विचार तथा उसे पारित करना ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वियतनाम के बारे में जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछे थे उनकी इच्छा थी कि सदन में उसके बारे में चर्चा हो और अमरीकी साम्राज्यवाद की भर्त्सना करते हुए एक संकल्प पारित किया जाए। कार्य मन्त्रणा समिति में भी मैंने इसका उल्लेख किया था। इस विषय में या तो सरकारी संकल्प पुनःस्थापित किया जाये अथवा गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर अगले सप्ताह चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को अपने सुझावों के बारे में अग्रिम सूचना देनी चाहिये।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैंने अग्रिम सूचना दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

Shri Nawal Kishore Sharma : Ex-Princes in Rajasthan and all over India have started selling their property, land and other Art objects and Manuscripts etc.

Mr. Speaker : Do not start your speech while referring.

Mr. Nawal Kishore Sharma · In this connections Calling Attention Notices were brought twice in Rajasthan Assembly. Rajasthan Government informed the Assembly that Central Government has been approached but no reply has been received. Central Government should try to check these illegal sales.

Mr. Speaker : But how it is related the business for the next week ? Kindly sit down.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : May I know when the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Bill, which was lapsed with the previous Lok Sabha, is going to be re-introduced ?

When the Government propose to bring forward legislation about Qorem, as promised by the hon. Minister ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Continuous violation of our borders by Pakistan should also be discussed by the House next week.

अध्यक्ष महोदय : हमने यह फैसला किया था कि जो भी चर्चा उठाना चाहेगा उसे लिखित रूप में सूचना देनी होगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is no necessity of giving advance notice when we are discussing matters relating to Business Advisory Committee. I am not new to this House. I have never done it.

Mr. Speaker : You can come in Business Advisory Committee and discuss it.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री कार्तिक उरांव : आप कृपा करके सुनिये तो । 25 अप्रैल, 1972 को 2000 आदिवासी लड़कियों की बिक्री से संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में माननीय मंत्री का उत्तर सन्तोषजनक नहीं था । बाद में 87 संसद सदस्यों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके... (**अन्तर्बाधाएं**) ...

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी प्रकार बोलते रहे तो भविष्य में इस परम्परा का पालन नहीं करूँगा ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या परम्परा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप परम्परा को भंग करेंगे तो दूसरे पक्ष को परम्परा का पालन करने को कैसे कहा जा सकता है ?

श्री कार्तिक उरांव : 87 संसद सदस्यों ने चर्चा की मांग की है । उस पर क्या निर्णय किया गया है । माननीय मन्त्री ने कहा था कि 12 तारीख को समय दिया जाएगा । परन्तु अगले सप्ताह के कार्य में यह सम्मिलित नहीं है । मन्त्री महोदय को सदन को बताना चाहिए कि चर्चा के लिए समय कब दिया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस विषय को आप कांग्रेस पार्टी की बैठक में उठाएं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कार्तिक उरांव आप बैठ जाइये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : माननीय मन्त्री को उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये ।

Shri Phulchand Verma (Ujjain): Adivasis are always discriminated. It is a very serious matter.

श्री पीलू मोदी : यह इस सदन की आम शिकायत है । संसदीय कार्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि इस के लिए समय दिया जाएगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कार्य मंत्रणा समिति के सामने यह बात नहीं लाई गई ।

श्री पीलू मोदी : जब तक आश्वासन को पूरा न करने के बारे में सदस्य शिकायत नहीं करेंगे इस विषय को कार्यसूची में कैसे सम्मिलित किया जाएगा । कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा के बारे में हमें संसद में उसकी रिपोर्ट आने पर पता चल सकता है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कार्य मंत्रणा समिति में केवल समय का आवंटन किया जाता है न कि इस बात का फैसला किया जाता है कि अगले सप्ताह किस-किस विषय पर चर्चा हो ।

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs (Shri Kedar Nath Singh): It is not possible to take it up during the coming week. If the House wishes we may take these items after Finance Bill and Railway Grants.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : खाद्य और कृषि मन्त्री ने भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में बहुत अन्तर्विरोधी वक्तव्य दिये हैं । इस सप्ताह इस विषय पर चर्चा होगी अथवा नहीं । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

श्री कार्तिक उरांव : आप विषयान्तर बात कह रहे हैं । (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : सदन की प्रतिष्ठा के बारे में कुछ नहीं किया जाना चाहिए । कृपया बैठ जाएं । अन्यथा मुझे आप को सदन का त्याग करने को कहना पड़ेगा ।

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar): You expect good behaviour from us. But you should see what behaviour is being given to people belonging to Scheduled Castes and Tribes.

श्री कार्तिक उरांव : हमें आप से ऐसी आशा नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सदन का त्याग करेंगे ? यदि आप यही व्यवहार करेंगे तो मैं सहन नहीं करूंगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक बात कहना चाहता हूं । आपने यह ठीक ही कहा है कि यदि कोई सदस्य कोई विषय उठाना चाहता है तो वह आप की अनुज्ञा प्राप्त करे । हम इस समय हरिजनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ।

मैंने आपको महाराष्ट्र में 900 हरिजनों के सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार के बारे में लिखा था। सचिव ने मुझे बताया है कि इस विषय को उठाने की मुझे अनुमति नहीं है। इसके क्या कारण हैं ? यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर क्योंकि पहले चर्चा हो चुकी है इसलिए अनुमति नहीं दी गई है।

श्री भोगेन्द्र झा : भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में मंत्री महोदय कब प्रस्ताव लाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में मंत्री महोदय ने बताया था कि यह विषय बाद में संसद में लाया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय हुआ था कि भूमि की अधिकतम सीमा, डा० शाह की आत्महत्या तथा अन्य विषयों पर चर्चा होनी चाहिये। संसदीय मंत्री ने कहा था कि अन्य विषयों पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी परन्तु भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में सदन की नेता से बातचीत करके कुछ निर्णय किया जायेगा।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैंने आपको एक पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका पत्र अभी-अभी प्राप्त हुआ है। मैंने उसे अभी तक पढ़ा नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I wanted to know when the Government propose to bring forward Bill about Scheduled Castes and Tribes, which lapsed with the previous Lok Sabha.

Shri Kedar Nath Singh : I would convey his views to the Ministry.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Issue of hunger strike by Provident Fund Employees was raised in the House, yesterday. Sir, you had directed the hon. Minister to give a statement. May I know when the said statement would be made ?

श्री केदार नाथ सिंह : मैं श्रम मंत्री के ध्यान में यह बात लाऊंगा। वह आपको इसका उत्तर दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हर बात का ढंग होना चाहिये। मंत्री महोदय को पता होना चाहिये कि सदन में यह विषय उठाया जायेगा तभी वह उत्तर दे सकते हैं। इसी कारण इस बारे में परम्परा बनाई गई थी। सदस्य कार्य मंत्रणा समिति को अपने सुझाव भेज सकते हैं। यदि उनके विषय कार्यसूची में सम्मिलित न किए जाएं तो सदस्य समिति की रिपोर्ट पेश होने पर खड़े होकर उस विषय में कुछ कह सकते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : क्या मैं यह निवेदन करूं कि कार्य मंत्रणा समिति केवल समय का आवंटन करती है। सदन के कार्य के विषयों को यह समिति नहीं चुनती।

श्री पीलू मोदी : आपके स्पष्टीकरण से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर से दोहराता हूं । जिस समय कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन मंजूरी के लिए सदन में उपस्थित किया जाए अथवा जब मंत्री अगले सप्ताह के लिए सभा के कार्य की घोषणा करे इन दो अवसरों में से एक अवसर पर इस बारे में चर्चा की जा सकती है, दोनों अवसरों पर नहीं । यदि कोई विषय सदन के कार्य में सम्मिलित नहीं किया गया तो सदस्य कार्य मंत्रणा समिति को सुझाव भेज सकते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह नहीं होती । कभी-कभी तो इसकी बैठक 10-15 दिन पश्चात् होती है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has so far been the convention that when the Minister announces the Business for the next week, Members give their suggestions. Now you say that Members should give in writing. It would create problems.

अनुदानों की मांगें 1972-73
DEMANDS FOR GRANTS 1972-73

विदेश व्यापार मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : आज भोजनकाल नहीं होगा । तीन बजे मंत्री महोदय बहस का उत्तर देंगे ।

श्री एम० सुदर्शनम् (नरसारावपेट) : प्राक्कलन समिति के 14वें प्रतिवेदन में कुछ मूल्यवान सुझाव दिये गये थे·····

अध्यक्ष महोदय : मैं संसदीय कार्य विभाग के उपमंत्री से कुछ कहना चाहता हूं । आप जानते थे कि समय की कमी है परन्तु आपने 16 नाम मुझे भेजे हैं । सदस्य यह समझेंगे, मैं उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूं । आपको कम नाम देने चाहियें । शेष सदस्यों को कहें कि किसी अन्य अवसर पर वह चर्चा में भाग लें ।

श्री एम० सुदर्शनम् : प्राक्कलन समिति के 14वें प्रतिवेदन में निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यों के समय-समय पर पुनरावलोकन के बारे में और एक ही कार्य को दो स्थानों पर होने को बचाने के बारे में मूल्यवान सुझाव दिये गये थे । हमें एक ही कार्य को दो स्थानों पर नहीं होने देना चाहिये । वित्तीय संसाधनों के उपयोग में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिये ।

यह तभी किया जा सकता है, जबकि सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली सप्लाई पर बिक्री कर की समस्या हल की जाय । रजिस्टर्ड निर्यातकर्त्ताओं को सीधे आयात करने की सुविधा की जानी चाहिए ।

विदेशों में भारतीयों के सहयोग से स्थापित होने वाले संयुक्त उद्योगों के बारे में प्राक्कलन समिति ने उसे उत्साहजनक क्षेत्र बताया है। परन्तु विदेशों में स्थापित होने वाले संयुक्त उद्योगों से हमारे देश के औद्योगीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और उनसे निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

विदेश व्यापार मन्त्रालय में संयुक्त उद्योग अनुभाग है और औद्योगिक विकास मन्त्रालय में भी संयुक्त उद्योग अनुभाग है। विदेशों में स्थापित होने वाले संयुक्त उद्योगों की जिम्मेदारी विदेश व्यापार मन्त्रालय की ही होनी चाहिए।

अब मैं विदेशों में स्थित भारतीय व्यापार मिशनों के बारे में कहना चाहूंगा। भारतीय व्यापार मिशन कम कर्मचारियों की मदद से व्यापार प्रोत्साहन का जो कार्य कर रहे हैं, वह सराहनीय है। विदेश व्यापार मन्त्रालय और विदेश मन्त्रालय के अधिकारियों का आपस में स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। व्यापार मिशनों के अधिकारियों का समय नित्य प्रति की रिपोर्टें तैयार करने में नष्ट नहीं होना चाहिए।

टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेने में अत्यधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए।

बंगला देश के साथ व्यापार इस आधार पर होना चाहिए कि तस्कर व्यापार पर रोक लगे और 25 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का आदान-प्रदान हो।

अनेक आश्वासनों के बावजूद तम्बाकू बोर्ड की अभी तक स्थापना नहीं हुई है। उसकी शीघ्र स्थापना होनी चाहिए।

वाणिज्य मण्डलों और तत्सम्बन्धी उच्च संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। विदेशों में शिष्टमण्डल भेजने और वहां से शिष्टमण्डलों के आमन्त्रण के बारे में वाणिज्य मण्डलों से परामर्श किया जाना चाहिए।

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) : इस मन्त्रालय का पिछले वर्ष का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं रहा है। हमारे निर्यात-व्यापार में कमी हुई है और आयात-व्यापार में वृद्धि हुई है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, there is no quorum in the House.

अध्यक्ष महोदय : कुछ देशों में ऐसी प्रथा है कि पुस्तकालय, समितियों तथा दीर्घाओं आदि में बैठे सदस्यों को गणपूर्ति के लिए गिना जाता है। संभवतः हम भी ऐसा कर सके।

श्री राम सहाय पांडे : आपने ठीक ही कहा है।

श्री समर गुह : श्री कछवाय नियमों के अधीन ठीक कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई गई है। अब कोरम है।

श्री सी० जनार्दनन : इस समय सरकार का नारा आत्म-निर्भरता का है। अगर हमारा यह मुख्य नारा है और हमें समाजवादी समाज की स्थापना करनी है, तो निर्यात-आयात नीति में

मौलिक परिवर्तन करना होगा। कुछ वस्तुओं के आयात को सरकार ने अपने हाथ में लिया है और कुछ वस्तुओं के निर्यात को भी सरकारी क्षेत्र में लेने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। यह भी कहा गया है कि आयात की 65 वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग होने लगा है। यह सराहनीय है ; परन्तु आत्म-निर्भर बनने के लिए आयात में इससे अधिक कमी करने का प्रयास करना होगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने विदेश व्यापार मन्त्रालय से आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची मांगी थी, परन्तु मन्त्रालय ने वह सूची वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को अभी तक नहीं दी है। मन्त्री महोदय को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि आयात निर्यात व्यापार का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण किया जाय।

राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच होनी चाहिए। इसका वर्तमान ढाँचा और कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है। वहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं और उनकी रुचि सरकारी क्षेत्र के विकास में नहीं है। एकाधिकार गृहों पर राज्य व्यापार निगम की बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

काजू निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका अध्यक्ष राज्य व्यापार निगम के निदेशक मण्डल में है। काजू ऊंची कीमत पर बेचा जाता है और उसकी वितरण व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आयातित कच्चा काजू उन कारखानों को दे दिया जाता है जिनके पास न तो लाइसेंस हैं और जो न ही अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का ही भुगतान करते हैं। केरल के काजू निगम द्वारा संचालित कारखानों को भी काजू नहीं मिल पाता है ; क्योंकि काजू का वितरण पिछले निर्यात-व्यापार की मात्रा पर आधारित होता है। अभी हाल में काजू फैक्टरियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश कारखाने बन्द हो गये थे। मन्त्रालय को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

इस मन्त्रालय के अधीन एक अन्य उपक्रम राष्ट्रीय वस्त्र निगम है। सरकार ने यह घोषणा की है कि वह लगभग 48 संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने जा रही है। मुझे आशा है कि अलगप्पा टैक्सटाइल मिल और पार्वती टैक्सटाइल मिल का प्रबन्ध भी सरकार अपने हाथ में लेगी। इन मिलों के संचालन का कार्य नौकरशाहों को न सौंपकर तकनीकी व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए।

मैं नारियल जटा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बारे में सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि केरल में लाखों कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने वहां अध्ययन दल भेजा था, उसने कुछ संशोधन सुझाये थे, परन्तु तीन चार वर्ष के विचार-विमर्श के बाद भी संस्थागत वित्त का प्रबन्ध नहीं हो सका है। कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करने के लिए वित्त मंत्रालय विदेश व्यापार और योजना मन्त्रालय की संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए और विदेश व्यापार मन्त्रालय को इसमें पहल करनी चाहिए। अगर सरकार नारियल जटा उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है, तो उसे नारियल जटा की निर्यात सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। संगठित उद्योग सम्बन्धी लाइसेंस केवल वास्तविक निर्माताओं को ही दिये जाने चाहिएं। नारियल जटा बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, जो उस क्षेत्र में दक्षता प्राप्त हो।

रबड़ उद्योग अभी भी संकटग्रस्त है। कृत्रिम रबड़ का आयात तत्काल बन्द होना चाहिए चाय और रबड़ के राष्ट्रीयकरण में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है।

हथकरघा उद्योग में भी संकट है। धागे की ऊँची कीमत और धागे की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में 2 लाख कर्मचारियों ने 25 मई को हड़ताल की थी। उन्हें सभी प्रकार का यार्न सस्ते मूल्य पर उपलब्ध किया जाना चाहिए।

केरल के मत्स्य-पालन उद्योग में झींगों की कमी से संकट आ गया है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मत्स्य नौकाओं की कमी को दूर किया जाना चाहिए।

सुपारी और नारियल केरल की महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें हैं। इनकी कीमतों में कमी हो रही है। इनकी कीमतें स्थिर की जानी चाहिएं।

केरल में बांस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बाँस बोर्ड के गठन के बारे में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्रीलंका को प्याज के निर्यात के बन्द होने से तमिलनाडु में प्याज की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

जूट के बारे में सरकार की नीति यह है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से जूट भी खरीदा जाये, परन्तु जूट खरीदने और जूट उत्पादकों को उचित मूल्य देने की व्यवस्था नहीं है।

चलचित्र निर्यात निगम द्वारा विदेशों को फिल्मों के निर्यात से बारे में काफी जालसाजी है। प्रादेशिक भाषाओं के चलचित्रों का भी निर्यात किया जाना चाहिए।

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : The export of Indian goods was raised by Rs. 60 crores whereas import has gone up by Rs. 265 crores since 1970. Now the Government should change their rules and regulations relating to customs duty etc. in the changed circumstances. There are huge deposits of mica in India, but Government charges 40% F. O. B. as customs duty. Thus it is detrimental in the export of mica to foreign countries.

There are many sugar factories here. Grapes and barley are abundantly available here. You can enforce prohibition here in India, but there should be no ban on export of Alcohol. At least 100 or 200 distilleries should be set up to promote export of quality wines to foreign countries.

There is 20 per cent F. O. B. duty on the export of soapstone. This duty should be withdrawn to promote export of soapstone.

The export of Silmanite mineral has gone down from 10,000 tons to 1500 tons. The Government should take action to promote its export. Enquiry should also be made as to why the export of various items has been going down.

There is great demand of Quartz, Falsper, Dolomite, Limestone and silksand etc. in

foreign countries. The rail heads are far away from the mine heads. The Government should give certain incentives and concession in fare. Thus export trade and earnings would go up and problem of unemployment would also be solved. At least 200 mini steel plants should be set up in the country. This would create employment potential in the country. Limestone has been found in Jammu and Kashmir and in Assam. Small cement plants should be set up in various parts of the country.

A special type of chilly is produced in northern Rajasthan, which should be exported to foreign countries.

Shri Ziaur Rahman Ansari (Unnao) : I rise to support the demands of the Ministry of Foreign Trade .

The Textile industry is the biggest industry of the country after agriculture. The handloom and powerloom weavers have been facing crisis these days. The prices of raw materials such as cotton, man made fibre, staple fibre and dyes have been rising day by day, whereas the prices of finished product *i.e.* textiles have been going down. The prices of raw material such as cotton, staple fibre and dyes should be fixed at the price level of the December, 1970. Only the middlemen have been benefited by the concessions meant for the weavers. The raw materials for the handloom industry should be brought within the purview of the Essential Commodities Act. Only then the prices could be controlled. But ultimately, Government would have to nationalise this industry. Handloom and decentralised powerloom sector cannot compete with the spinning mills. Hence, these mills should be nationalised in the interest of the country.

The textile worth Rs. 30 or 40 crores, produced by the handloom and decentralised powerlooms is lying unsold. The hon'ble Minister had also assured to purchase the whole stock, but it is still lying unsold. Now the weavers are going to launch an agitation. All India handloom fabrics Marketing was formed for providing marketing facilities to handloom weavers, but there should be more such marketing societies to provide adequate facilities of marketing.

The policy of rebate has benefited the employees of the State Government or the Central Government and not the weavers. Arrangements should be made to provide raw materials such as dyes, yarns etc. at cheaper rates directly to the weavers.

The powerloom enquiry committee and Handloom working groups were formed in 1964. Now a new Committee should be formed to decide as to which type of clothes should be manufactured in Mill sector, Powerloom sector and Handloom sector.

** **श्री एस० एस० शिवस्वामी** (तिरुचेंडूर) : वर्ष 1970 में हमने 1517 करोड़ रुपयों के मूल्य का सामान निर्यात किया था तथा 1971 में 1577 करोड़ रुपयों के मूल्य का सामान निर्यात किया।

** तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

**Summarised Hindi version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अतः यह संतोष की बात है कि एक वर्ष में हमारे निर्यात में 60 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। साथ ही यदि आयात की ओर ध्यान दिया जाये तो हमने 1971 में 1970 की तुलना में 250 करोड़ रुपयों के माल का अधिक आयात किया। इसके परिणामस्वरूप हमारा निर्यात आयात से 190 करोड़ रुपये कम रह गया तथा हमें इतनी विदेशी मुद्रा का घाटा रहा। किसी भी देश का समृद्ध होना इस बात पर आधारित होता है कि उसका निर्यात अधिक हो तथा आयात कम हो। किन्तु उक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है अतः मंत्री महोदय को व्यापार में इस असंतुलन को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

हमारी फिल्मों का अफ्रीकी देशों, ईरान, ईराक तथा अन्य अरब देशों में निर्यात होता है तथा उससे हमें 70 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा की आय होती है। किन्तु फिल्मों के निर्यात में बहुत गड़बड़ी की जाती है। नई फिल्मों को पुरानी फिल्मों के नाम पर निर्यात किया जाता है तथा इस प्रकार हमें विदेशी मुद्रा का घाटा रहता है। मेरा सुझाव है कि किसी फिल्म का निर्यात करने से पहले उसकी जाँच पड़ताल की जानी चाहिये कि वास्तव में वही फिल्म विदेश भेजी जा रही है जिसका करार किया है अथवा कोई अन्य। यदि सरकार ऐसी व्यवस्था करे तो हमें 70 लाख रुपये की बजाय 7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है।

सम्पूर्ण विश्व में भारत के तिरुनेलवेली जिले में ही सनाया की पत्तियाँ तथा कोआ बहुतायत में पाये जाते हैं तथा विदेशों में इन वस्तुओं की भारी माँग भी है किन्तु उत्पादक भारत के एक भाग में हैं तो निर्यात करने वाला प्राधिकरण दूसरे भाग में है। इसके अतिरिक्त एक समस्या यह भी है कि जर्मनी के आयात कर्ता स्वयं यहां आकर इन उत्पादों को खरीदते हैं तथा उत्पादकों को बहुत कम मूल्य देते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इन उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारित करे तथा निर्यात का उचित प्रबन्ध करे। इनसे हमारे देश की आय में काफी वृद्धि हो सकेगी। मसालों तथा अशोधित दवाइयों में मिलावट के कारण उनके मूल्य घटते जा रहे हैं तथा आशंका है कि भविष्य में हमसे विदेशी बाजार ही न छिन जाए। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार कई अन्य वस्तुओं में मिलावट करके उनका निर्यात किया जाता है। कछुए की खोपड़ी के बजाय किसी अन्य वस्तु का निर्यात किया जाता है। अतः मेरा सुझाव है निर्यात की वस्तुओं की जहाज पर लदान से पहले पूरी जांच की जानी चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि मसाले तथा अशोधित दवाई निर्यात निगम की स्थापना की जाए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

लगभग 92 देशों में हमारे व्यापार आयुक्त नियुक्त हैं किन्तु उनसे भारतीय निर्यातकर्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति उनसे यह जानकारी चाहे कि विदेशों में किस माल की आवश्यकता है तथा सम्बद्ध पार्टियों के नाम आदि क्या हैं तो आयुक्त सही जानकारी नहीं पाते। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार इन आयुक्तों को यह निदेश दे कि वे सक्रिय रूप में कार्य करें तथा सम्बद्ध देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देश के निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास करें।

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बैठे हमारे संयुक्त प्रमुख नियंत्रक हमारे व्यापार आयुक्तों

से भी अधिक अकर्मण्य हैं। उनसे कोई जानकारी प्राप्त करने के लिये तीन-चार महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

चाय, काफी आदि बागान उत्पादों के साथ गुलाब की लकड़ी तथा चन्दन की लकड़ी को भी बागान उत्पाद माना जाना चाहिये। चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जो अनुचित है। दक्षिण भारतीय राज्यों में हजारों एकड़ भूमि में चन्दन और गुलाब की लकड़ी का उत्पादन होता है। अत: मेरा सुझाव है कि चन्दन के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को शीघ्र हटाया जाये जिससे दो करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा का प्रति वर्ष अर्जन किया जा सके। मेरा सुझाव है कि चन्दन तथा गुलाब के पौधों का पुन: रोपण करने के लिये राजसहायता मिलनी चाहिये अन्यथा 10 वर्ष पश्चात् केरल और मैसूर में इनका कोई पेड़ नहीं मिलेगा।

कुचला के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने से लगता है, सरकार को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतिबन्ध के कारण लोगों ने कुचला के सारे पेड़ काट डाले हैं क्योंकि उनको इसके महत्व का पता नहीं है। इस उत्पाद से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकती है अत: मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रतिबन्ध को शीघ्र हटाए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं केवल आसाम के चाय उद्योग की समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूँ। गत 12 वर्षों में चाय के उत्पादन शुल्क की दर 15 पैसे प्रति पौंड से बढ़ाकर एक रुपया पचास पैसे कर दिया गया है। उत्पादन शुल्क का निर्धारण वैज्ञानिक आधारों पर नहीं किया गया है। चाय उद्योग के सम्बन्ध में देश को क्षेत्रों में बांटा गया है तथा आसाम के चाय उद्योग पर इतना अधिक उत्पादन शुल्क लगाने से इस उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उत्तर भारत की चाय के नीलामी मूल्य में 25 प्रतिशत की कमी हुई है तथा निर्यात क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। लन्दन में वर्ष 1970 में आसाम की चाय का नीलामी मूल्य 46.04 पेंस प्रति किलोग्राम था जो 1971 में घटकर 41.88 पेंस प्रति किलोग्राम रह गया।

अत: भारतीय चाय निर्यातकर्ताओं को अन्य देशों से भारी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। आसाम सरकार तथा आसाम के चाय उत्पादकों ने सरकार को बहुत से अभ्यावेदन दिये हैं जिनमें यह मांग की गई है कि उत्पादन शुल्क की दर घटाई जाए किन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। डनकेन ब्रादर्स तथा अन्य कम्पनियों की आसाम के चाय उद्योग में कोई रुचि नहीं है क्योंकि उनका अन्य क्षेत्रों में उत्पादन अधिक है जहाँ उत्पादन शुल्क की दर कम है। कछार और उडार के निर्यात कर्ताओं को राज सहायता दी जाती है जबकि आसाम के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके प्रतिकूल वहाँ चाय का उत्पादन शुल्क इतना अधिक लगाया गया है जिससे आसाम के निर्यातकर्ताओं को बाजार छोड़ना पड़े।

उत्तर भारत में 1968 में चाय का कुल उत्पादन लगभग 3040 लाख किलोग्राम हुआ जिसमें से 1560 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन क्षेत्र पांच, अर्थात् आसाम में हुआ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि निर्यात शुल्क समाप्त किये जाने से 7-70 करोड़ रुपयों के घाटे की क्षति-पूर्ति केवल उस क्षेत्र से नहीं की जानी चाहिये जहाँ चाय का अधिक उत्पादन होता है तथा जहाँ से अधिक निर्यात होता है। सरकार इस सम्बन्ध में एकरूपता लाने का प्रयास करे।

उत्पादन शुल्क की अधिकता के कारण आसाम में कृषकों के आयकर की राशि 7 करोड़ रुपये से घटकर 1.5 करोड़ रुपये रह गई है। इसके अतिरिक्त निर्यात में छूट सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया अनावश्यक रूप में जटिल है तथा इससे निर्यातकर्ताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। माननीय मंत्री इस ओर भी ध्यान दें।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : वर्तमान युग में आत्म-निर्भरता का नारा लगाया जाता है। किन्तु देखना यह है कि क्या हम वास्तव में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अमरीका द्वारा सहायता देना बन्द किये जाने से आत्म-निर्भरता के महत्त्व पर और भी बल पड़ता है। वास्तव में विकासशील देशों को अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किसी देश पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि सरकार किसी विशिष्ट देश पर निर्भर रहने की बजाय किसी भी देश से अपने हितों को ध्यान में रखकर सहायता प्राप्त रहे जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो सके।

देश में बढ़ते हुए मूल्यों तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण देश में 1966 में रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। हम केवल 90 करोड़ रुपयों का निर्यात कर सके जबकि आयात 265 करोड़ रुपयों का करना पड़ा। लोहे, इस्पात और रुई आदि का हमारा निर्यात भी काफी कम हुआ है।

निर्यात के बारे में इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े सही नहीं हैं। मंत्रालय ने सदन को धोखा दिया है तथा इस बात की पुष्टि वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए आंकड़ों से भी होती है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि डा० मिनहास के नेतृत्व में नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाए तथा सदन को बताया जाये कि वास्तव में गत दो वर्षों में हमारे निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है।

निर्यात संवर्द्धन के लिये हाल में अध्ययन किया गया है और मुझे विश्वास है कि यदि सरकार उपयुक्त कार्यवाही करे तो अगले वर्ष निर्यात में 150 करोड़ रुपयों की वृद्धि हो सकती है। साथ ही हमारे आयात में भी बहुत कमी हो सकती है।

मेरे विचार से सरकार यदि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये सावधानी से कदम उठाए तो निर्यात और आयात को संतुलित किया जा सकता है। सरकार के पास 10,000 लाख रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा है और यदि इसको विभिन्न उद्योगों में उचित रूप से खर्च किया जाय तो निर्यात सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में वर्ष 1970 और 1971 के जनवरी से अगस्त महीने तक के आयात-निर्यात सम्बन्धी आंकड़े दिये हैं। जब तक पूरे वर्ष के आंकड़े उपलब्ध न हों तब तक सही स्थित की जानकारी पाना कठिन है। अतः मेरा अनुरोध है कि भविष्य में पूरे वर्ष के आंकड़े दिये जाने चाहिएं।

वर्ष 1966 में रुपये का अवमूल्यन हुआ था तथा उस वर्ष 1960 के आंकड़ों को आधार मान कर निर्यात सूचकांक 122 था तथा 1971 में निर्यात सूचक अंक 145 है।

वर्ष 1960 में 1408 करोड़ रुपये के माल का हमने आयात किया तथा 1971 में 1031 करोड़ रुपये के माल का आयात किया। अतः आयात के सम्बन्ध में स्थिति अवश्य उत्साहवर्धक है। किन्तु प्रश्न यह है कि हमारा विश्व निर्यात में कितना भाग है। क्या विश्व निर्यात में हमारा भाग बढ़ता जा रहा है ?

1960 में विश्व निर्यात में हमारी निर्यात प्रतिशतता 1.2 थी, 1965 के अंत में एक, 1966 में 0.9 तथा 1971 में 0.7 थी। इससे ज्ञात होता है कि हमारे निर्यात में अन्य देशों के अनुपात में वृद्धि नहीं हो सकी।

हमारे व्यापार में असंतुलन के कारण हमें अन्य देशों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमारे ऊपर ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। अतः जब तक व्यापार में संतुलन नहीं लाया जाएगा तब तक हमें कठिनाई में रहना पड़ेगा।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में आरम्भ में कहा गया है कि सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर विदेश व्यापार में वृद्धि करने के लिये देश की विदेश व्यापार नीतियां बनाई गई हैं। इसका आशय यह हुआ कि विदेश व्यापार में अब तक जितनी प्रगति हुई है वह पर्याप्त नहीं है।

जहाँ तक आत्म-निर्भरता का सम्बन्ध है इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे देश को किसी भी देश पर किसी वस्तु के लिये निर्भर नहीं होना चाहिये। प्रश्न यह है कि देश ने इस बारे में कितनी सफलता प्राप्त की है। यह सच है कि सरकार ने पश्चिमी देशों का सहारा छोड़कर अन्य देशों का सहारा लेना आरम्भ कर दिया है। किन्तु इससे हमारे सामाजिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते।

सरकार के अनुसार आयात और निर्यात के लिये वस्तुओं का निर्धारण किये जाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं किन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार ने वह क्या कसौटी अपनाई है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता कि अमुक वस्तु का आयात-निर्यात किया जायेगा तथा अमुक का नहीं। मेरे विचार से नारियल जटा उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिये क्योंकि इस समय यह उद्योग संकट में है तथा यह उद्योग श्रम-प्रधान भी है। नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों को पर्याप्त मजूरी नहीं मिल रही है तथा इसके निर्यातकर्ता अधिक लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार सरकार सामाजिक न्याय नहीं दिला सकती। यदि सरकार दलालों को बीच से हटाकर स्वयं निर्यात करे तो श्रमिकों को अधिक मजूरी मिल सकती है। अतः जिन उद्योगों में दलाल अनुचित लाभ अर्जित कर रहे हैं उनके उत्पादों का निर्यात सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिये जिससे वे लोग श्रमिकों का शोषण न कर सकें।

मैं अपने राज्य के मछली उद्योग की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मछली का निर्यात करने के लिये केवल छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। किन्तु स्थिति यह है कि बड़े-बड़े व्यापार गृह उस प्रोत्साहन का लाभ उठाते हैं तथा छोटे व्यापारी न कोई प्रोत्साहन पाते हैं और न मछली का निर्यात ही कर पाते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार बड़े-बड़े व्यापारियों को उस क्षेत्र में आने से रोकने का प्रबन्ध करे। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री समर गुह (कंटाई) : कम समय मिलने के कारण मैं इस वाद-विवाद में भाग नहीं लेना चाहता था किन्तु मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ कि सरकार का ध्यान बंगला देश बनने के पश्चात् भारत के सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पुन: सुधारे जाने की सम्भावनाओं की ओर दिलाऊँ। बंगाल के टुकड़े होने से वहाँ की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार को भारी धक्का पहुँचा था। अत: अब उसमें सुधार लाने का अवसर मिला है।

बंगला देश के साथ सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपयों का व्यापार करार किये जाने का मैं समर्थन करता हूँ। किन्तु मेरे विचार से इस समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सकता।

पूर्व पाकिस्तान अर्थात् वर्तमान बंगला देश का आयात-निर्यात पाकिस्तान के हाथों में होने के कारण बंगला देश की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। इस संदर्भ में हमें बंगला देश के साथ ऐसी व्यापार नीति बनानी चाहिये जिससे दोनों देशों का हित हो। मेरे विचार से पटसन, चाय, रुई आदि अनेक वस्तुओं के व्यापार से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो जाने की संभावनायें हैं।

इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि गत वर्ष हमें पटसन के व्यापार से 70 करोड़ रुपयों तथा चाय के व्यापार से 6 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ। मेरे विचार से यह लाभ अस्थायी है जो हमें बंगला देश के व्यापार में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण हुआ है। अत: यह आवश्यक है कि बंगला देश और भारत जूट के व्यापार के लिये एक साझा बाजार की व्यवस्था करें अन्यथा दोनों देशों के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दोनों ही देश पटसन से पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

हम अधिकतर पटसन का निर्यात अमरीका को करते हैं। इस समय पैकिंग के लिये अमरीका में 35 प्रतिशत जूट के स्थान पर कृत्रिम जूट का प्रयोग किया जा रहा है तथा 1975 तक 50 प्रतिशत कृत्रिम जूट का प्रयोग होने लगेगा। अत: जूट के उत्पादन तथा निर्यात के सम्बन्ध में बंगला देश तथा भारत को मिलकर नीति बनानी होगी अन्यथा दोनों देशों को हानि होगी। इसी प्रकार चाय के सम्बन्ध में यही कदम उठाना चाहिये।

पश्चिम बंगाल सरकार की यह मांग पूरी होनी चाहिये कि राज्य व्यापार निगम आदि के कार्यालय कलकत्ता और शिलांग में स्थापित किये जाएं। ऐसा करने से पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा अन्य पूर्वी राज्यों का हित होगा। मैं यह आग्रह किसी क्षेत्री भावना के वशीभूत होकर नहीं कर रहा हूं अपितु इसका यह कारण है कि विभाजन के कारण पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी जिसे सुधारने के लिये यह कार्यवाही अनिवार्य है।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र, कंटाई तथा झारग्राम में काजू उद्योग के विकास के लिये सरकार से बहुत बार अनुरोध किया गया है किन्तु इस ओर [illegible] ध्यान नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में नारियल जटा उद्योग का विकास किए जाने की पर्याप्त सं[illegible]नाएं हैं किन्तु इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया।

यह बात सराहनीय है कि हमारा विदेश व्यापार 1,577 करोड़ रुपये का रहा। किन्तु साथ ही यह खेद की बात है कि मंत्री महोदय ने आंतरिक व्यापार में चुनाव के लिये धन एकत्रित किया।

श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव (ओंगोल) : मैं विदेश व्यापार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ तथा निर्यात में वृद्धि करने और आयात-निर्यात में संतुलन लाने के लिये किये प्रयत्नों की सराहना करता हूँ। साथ ही मेरा सुझाव है कि निर्यात सम्वर्द्धन के लिये सरकार को अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिये क्योंकि देश में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को देखते हुए निर्यात में वर्तमान वृद्धि पर्याप्त नहीं है। देश में उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए भी विदेशी मुद्रा की आय पर्याप्त नहीं है।

निर्यात सम्वर्द्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा अन्य परिषदों की स्थापना की है। किन्तु इनकी उपलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं। परिवहन और नौवहन की उपयुक्त सुविधाओं की कमी के कारण विदेशों में माल की समय पर सप्लाई नहीं हो पाती।

मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ देश हमारे देश से सीधे सामान न मंगाकर अन्य देशों के द्वारा सामान मंगाते हैं क्योंकि वे देश वस्तु की किस्म, समय पर माल पहुँचने आदि के लिये हमारा विश्वास नहीं करते हैं। इससे बीच के देश लाभ उठाते हैं।

इस बात का अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि विदेशों में किन-किन वस्तुओं की मांग है। इस समय हमारे देश के निर्यातकर्ता अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों की स्थिति से पूर्ण अवगत नहीं हैं तथा अपना माल हर कीमत पर बेचने का प्रयास करते हैं। अतः विदेशों की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिये। राज्य व्यापार निगम ने इस क्षेत्र में आवश्यक कुछ कार्य किया है तथा उसे सफलता भी मिली है किन्तु गैर सरकारी निर्यातकर्ताओं को विश्व बाजार की परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं है। अतः सरकार को आयात-निर्यात का कार्य धीरे-धीरे सरकारी एजेंसियों के हाथ में दे देना चाहिये।

माल के आयात-निर्यात पर कर की दरों में सुधार किया जाना चाहिये। कुछ वस्तुओं के व्यापार पर इतना कम शुल्क लिया जाता है कि व्यापारियों को अत्यधिक लाभ होता है जबकि कुछ वस्तुओं पर इतना अधिक शुल्क लिया जाता है कि उनके व्यापार पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भावों का अध्ययन किया जाना चाहिये तथा कर के ढांचे में उपयुक्त सुधार किया जाना चाहिए। हमारे देश में शराब जैसी अन्य कई वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर उनका निर्यात किया जा सकता है किन्तु सरकार कुछ पूर्वाग्रहों के कारण इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

गत 10 वर्षों से तम्बाकू के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तथा सरकार को उसके निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। अतः तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये तथा उसे इस समस्या को सुलझाने का कार्य सौंपा जाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मेरे विचार से इस मंत्रालय को एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिये तथा इस मंत्रालय के वर्तमान सभी कर्मचारियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को लाना चाहिये। (**व्यवधान**) 1960-70 की दशाब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति निर्धारण में भारत को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था तथा हमारी सारी नीतियां असफल रहीं। सैंटियागो

की बैठक में भाग लेने के लिए भेजे गये अधिकारियों को उस विषय का कोई ज्ञान ही नहीं था जिस पर उन्हें बोलना था। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे दल के सदस्यों का चयन किन आधारों पर किया जाता है। इस मंत्रालय ने अपने कार्यकाल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना उचित भाग प्राप्त नहीं किया है। विश्व निर्यात में भारत का भाग 1950 में 2 प्रतिशत, 1955 में 1.4 प्रतिशत, 1958 में 1.2 प्रतिशत, 1961 में 1 प्रतिशत, 1963 में 1.1 प्रतिशत, 1967 में 0.8 प्रतिशत, 1969 में 0.7 प्रतिशत, 1970 में 0.6 प्रतिशत रहा। मंत्रालय की इस उपलब्धि के लिए जनता को 150 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। (**व्यवधान**) इन आंकड़ों से स्पष्ट विदित हो जाता है कि भारतीय निर्यात में किस प्रकार उत्तरोत्तर कमी होती गई। अफ्रीका, पश्चिम और पूर्व एशिया के कुछ देशों ने हाल में अपने निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की है किन्तु भारत उनसे भी पीछे रह गया है। 1970 में 1969 की तुलना में विश्व निर्यात में 3,70,000 लाख डालरों के मूल्य की वृद्धि हुई जबकि भारत को निर्यात में केवल 1930 लाख डालरों के मूल्य की वृद्धि हुई। फिलीपीन तथा सिंगापुर ने भी धातु और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि की है किन्तु भारत ऐसे देशों से भी पीछे रह गया है।

प्राक्कलन समिति ने अपने 14वें प्रतिवेदन में कहा है कि विदेश व्यापार मंत्रालय ने बताया कि 1970-71 में भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा चालू वर्ष में भी वृद्धि होने की सम्भावनाएं हैं। किन्तु नीचे लिखी टिप्पणी में अनुरोध किया गया है कि उक्त कथन को निकाल दिया जाये। इसमें क्या औचित्य है ? 1970-71 के निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों के विषय में रिजर्व बैंक का कहना है कि उक्त आंकड़े 1402.7 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकते किन्तु विदेश व्यापार का दावा है कि आंकड़े 1535.2 करोड़ रुपये हैं। अतः मंत्रालय ने अपनी प्रशंसा के लिये 132.5 करोड़ रुपये अधिक बताए।

विदेश व्यापार के लिये आर्थिक सलाहकार है किन्तु वह लाइसेंसिंग समिति को यह जानकारी भी नहीं दे सका कि हमारे देश से निर्यात होने वाले नए शोधित उत्पाद क्या-क्या हैं। उन्होंने हमें यह जानकारी देने से इंकार कर दिया। सरकार को ऐसा सैल बनाना चाहिये जो इस प्रकार की जानकारी दे सके।

मैं गत पांच वर्ष से यह सुझाव देता आ रहा हूँ कि यदि पटसन के वस्त्र बनाए जाएं तो देश को करोड़ों रुपयों की आय हो सकती है। किन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि कलकत्ता की पटसन मिलों को भारी लाभ हो रहा है तथा वे चुनाव के लिये कांग्रेस को भारी धन राशि दे देती हैं।

मुझे ज्ञात है कि ब्रुक बौंड वालों का इस मंत्रालय पर प्रभाव है तथा वह सरकार के निकट सम्बन्धियों को अच्छा रोजगार देते हैं। किन्तु इससे देश को प्रतिदिन 75 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

संकटग्रस्त मिलें विदेशी कम्पनियों के हाथ में खेल रही हैं। इण्डियन टोबेको कम्पनी ऐसे तम्बाकू को घटिया किस्म का बताती है जिसे बढ़िया सिगरेटों के लिये उपयोग किया जा सकता है। अतः मैं इस मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूँ।

Shri Chiranjit Jha (Saharsa) : Sir, while supporting the demands of the Ministry of Foreign Trade I want to draw the attention of the hon. Minister to certain aspects.

I come from the backward area of north Bihar that is District Saharsa. People of this area are highly obliged to the Government for constructing Kosi Dam as a result of which they are able to grow Jute. It has been observed that private traders purchase the entire Jute from the farmers at very low price and earn high profits afterwards. I demand that Government should fix the prices of Jute and the purchase of Jute should also be made by State Trading Corporation and the co-operative societies so that farmers may get reasonable prices of jute and the middlemen are deprived of their fabulous profits.

In order to develop this area and to provide employment opportunities to educated unemployed here and poor people of this area Government should set-up a modern Jute factory there.

While concluding I appreciate the efforts made by the hon. Minister to increase our exports and to develop good relation with several countries.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : श्रीमान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस मंत्रालय द्वारा की गई उपलब्धियों की मैं सराहना करता हूँ। मैं श्री मिश्रा की इस बात से सहमत हूँ कि समृद्ध देशों द्वारा गरीब देशों का शोषण नहीं किया जाना चाहिये। समृद्ध देशों द्वारा दी जाने वाली सहायता में कमी करने से उन देशों में भी रोजगार आदि की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

अमरीका अब चाहता है कि अभ्रक पर भारत का एकाधिकार न रहे। इसी विचार से वहां अभ्रक के स्थान पर अन्य कृत्रिम वस्तुओं का विकास किया जा रहा है तथा ब्राजील जैसे अन्य देशों से व्यापार करने का फैसला किया जा रहा है। अत: व्यापार विकास प्राधिकरण को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक चिंता का विषय यह भी है कि विकासशील देशों का विश्व व्यापार में भाग 1960 में 21.3 प्रतिशत से घटकर 1970 में 17.6 प्रतिशत रह गया। अत: केवल हमारे देश का व्यापार ही नहीं घटा है वरन् 77 देशों का व्यापार घटा है।

इन कारणों से 77 देश 60 बिलियन डालर के ऋणग्रस्त हो गए हैं। केवल जापान ही एक ऐसा देश है जिसका निर्यात आयात से अधिक है। इस संदर्भ में अमरीका ने डालर का अवमूल्यन किया। इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में यह एक गंभीर समस्या है। कुछ ऐसे आर्थिक कारण हैं जो पेचीदा हैं तथा हमारे चारों ओर हो रही घटनाओं को देखते हुए हमें अपने रुपये को बचाने के लिए काफी प्रयास करना होगा।

हमें केवल अंशकालिक उपचार ही नहीं करने हैं वरन् स्थायी उपचार करने हैं। उदाहरणार्थ सोयाबीन लम्बे रेशे वाली कपास तथा सूरजमुखी का उत्पादन करने से आयात प्रतिस्थापित होगा और साथ ही इससे गरीबी हटाओ नारे को भी क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी।

अभ्रक तथा लाख के लिए एक अलग निगम बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने अभ्रक पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क की दर से लगभग 32 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। छोटे

लोगों पर कुप्रभाव पड़ा है। इसके लिए हमारे पास एक संगठन होना चाहिए जो गिरिडीह अथवा कोडर्मा में हो क्योंकि ये दोनों स्थान अभ्रक पट्टी में हैं ताकि इस समस्या पर ध्यान दिया जा सके।

हमें प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने के लिए जोर देते रहना चाहिए। विश्व मुद्रा प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ कार्यवाही तुरन्त करनी चाहिए। नौवहन संहिता में पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण जिन स्वर्णकारों को बेरोजगार कर दिया गया है उन्हें निर्यात बाजार के लिए माल तैयार करने तथा धनवान व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम में लाया जाना चाहिए।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं अपने मित्र श्री ज्योतिर्मय वसु से कहना चाहूँगा कि हमारा देश विकासशील देश है और विकसित देशों की तुलना में हमारी विकास की दर उतनी तीव्र नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है कि कुल विश्व व्यापार में भारत के भाग का प्रतिशत कम हो रहा है, यह कहना ठीक नहीं है। यही बात है जिसके लिए हम 'अंकटाड' तथा 'गैट' में आन्दोलन कर रहे हैं। यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं है, अपितु जैसा कि श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य ने कहा है 77 विकासशील देशों की भी यही स्थिति है।

जहां तक चाय पैक करने का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें बताया है कि इस सम्बन्ध में चाय पैकेजिंग निगम की स्थापना की गई है। निदेशक नियुक्त किए गए हैं तथा उन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

हम चाहते हैं कि इस निगम को सफलता मिले।

उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने हथकरघा के संबंध में कुछ प्रश्न उठाये थे। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वहां 30 करोड़ रुपये का स्टाक जमा पड़ा है। सरकार हथकरघा बुनकरों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत उत्सुक है तथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी समस्याएँ कैसे हल की जा सकती हैं। इसके लिए हमने विदेश व्यापार मन्त्रालय, योजना आयोग तथा रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): If the hon. Minister does not have the knowledge of a stock of Rs. 30 crores lying there, on what ground the Government of India have decided to.....

Shri L. N. Mishra : I have not been informed by the Government of Uttar Pradesh that there is a stock of Rs. 30 crores lying there. We have got this information from the hon. Members that enough stock of Handloom Weavers is lying there and that should be lifted. We were also informed that they needed cotton of staple fibre yarn. The day on which the meeting was held, a decision was taken and our Textile Commissioner was directed to give 10,000 bales and the bales were given.

जब तक निर्यात में तेजी से वृद्धि होना जारी नहीं रहेगी तब तक आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

कई देशों, विशेषकर अमरीका तथा जापान में मन्दी आने तथा लागत और मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को धक्का लगा है। इस वर्ष में अभूतपूर्व मुद्रा संकट रहा है। मुद्रा संबंधी अस्थिरता का और खतरा भी अभी बना हुआ है तथा इससे हमारे निर्यात प्रयासों पर काफी बोझ पड़ता रहेगा।

इसके साथ ही विकसित देश अभी तक विकासशील देशों के प्रति भेदभावपूर्ण प्रशुल्क ढांचा अपनाए हुए हैं। उदाहरणार्थ, अमरीका में विकसित देशों में निर्मित माल पर औसतन प्रशुल्क 7 प्रतिशत था जबकि विकासशील देशों से इसी माल पर यह दर 12 प्रतिशत तक थी। ऐसा भेदभावपूर्ण प्रशुल्क ढांचा विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध है।

इस्पात जैसी कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी के कारण जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं तथा विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी माल के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

गत दिसंबर में भारत-पाक युद्ध के कारण विदेशों में हमारी सप्लाई में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई तथा नौवहन सुविधाएं अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण निर्यात लक्ष्यों का प्राप्त करना कठिन हो गया। नौवहन सम्मेलनों द्वारा मनमाने ढंग से भाड़े में वृद्धि करने के कारण विदेशों में हमारे निर्यात की होड़ कम हो गई।

यह सब बातें मैंने सभा में इसलिए बताई कि गत वर्ष हमें किन सीमाओं में रहते हुए निर्यात संवर्धन प्रयासों को जारी रखना पड़ा। लौह-अयस्क, लोहा, इस्पात आदि के निर्यात में कमी हुई है जबकि कुछ अन्य गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है। चीनी, चमड़ा, चमड़े का सामान, समुद्री उत्पादों आदि के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा पटसन का सामान, चाय, खली, मसाला, तम्बाकू जैसी परम्परागत वस्तुओं का काफी निर्यात हुआ है।

अब व्यापार संतुलन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फरवरी तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस वर्ष व्यापार में 249 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जो ऊन, कच्ची रुई, वनस्पति तेलों और अन्य अत्यावश्यक कच्चे माल के आयात में हमारे आयात बिलों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण हुआ है।

हमारी नीति का महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी क्षेत्र की भूमिका का संकटग्रस्त क्षेत्रों में विस्तार करना, सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों के कार्यकरण में सुधार करना और आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों और स्वदेशी अनुसन्धान तथा विकास पर अत्यधिक बल देना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में हमने चालू वर्ष में व्यवस्थागत वस्तुओं की सूची में 56 और नई वस्तुओं को जोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप व्यवस्थागत वस्तुओं से कुल मिलाकर देश का आयात 75 प्रतिशत होगा। जहाँ सरकारी क्षेत्र की भूमिका का विस्तार करने का विचार है, वहां समूचे विदेश व्यापार को नियंत्रण में लेने का सरकार का कोई विचार नहीं है। यदि राष्ट्रहित में हुआ तो हम परम्परागत वस्तुओं सहित अनेक वस्तुओं के आयात अथवा निर्यात को सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों के माध्यम से सारणीबद्ध करने में नहीं हिचकिचायेंगे।

इसी भावना से प्रेरित होकर हमने हाल ही में अभ्रक के निर्यात को नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है। अभ्रक के निर्यात में कमी को रोकने के लिए हमारे सतर्कतापूर्ण प्रयासों का

लाभदायक परिणाम निकला है और चालू वर्ष के दौरान अभ्रक निर्यात में लगभग 2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

हमने अभ्रक के निर्यात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम की एक पृथक् सहायक संस्था का गठन करने का भी निर्णय किया है । अभ्रक उद्योग के विकास के लिए एक अभ्रक बोर्ड की स्थापना की जाएगी ।

देश में सूती कपड़ा उद्योग के कार्यकरण पर सामान्यत: असंतोष रहा है । सूती कपड़ा उद्योग ब्रिटेन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्य सदस्य देशों जैसे अनेक महत्वपूर्ण बाजारों में कपड़े के कोटे को न देकर अपने निर्यात दायित्वों में पूरी तरह असफल रहा है ।

अत: सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों द्वारा कपड़े के निर्यात को सारणीबद्ध करने का निर्णय किया गया है । कपड़े के निर्यात के काम की देखरेख के लिए कुछ समय पूर्व एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था । इस बीच दल की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं । इस योजना के ब्यौरे की शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी ।

इस वर्ष के दौरान भारत तथा विदेशों में मुख्यत: पैकटों में चाय के विपणन के लिए एक चाय व्यापार निगम की हाल ही में स्थापना की गई है ।

कच्चे पटसन तथा पटसन माल की खरीद तथा बिक्री का काम करने के लिए अप्रैल 1971 में भारतीय पटसन निगम की स्थापना की गई थी । इस निगम ने पहले ही काम करना आरम्भ कर दिया है ।

इंजीनियरी उद्योग तथा रेलवे उपकरणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना एवं उपकरण निगम की स्थापना की गई थी ।

जहां तक तम्बाकू निगम की स्थापना का प्रश्न है समय आने पर और आवश्यकता पड़ने पर तम्बाकू निगम की भी स्थापना की जाएगी ।

परियोजना एवं उपकरण निगम विदेशों में 'टर्न की' परियोजनाएं आरम्भ करने पर विशेष बल दे रहा है और आशा है कि आगामी कुछ वर्षों के दौरान गैर-परम्परागत मदों में नए बाजार विकसित करने में यह निगम निर्णायक भूमिका निभाएगा ।

राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष सराहनीय कार्य किया है । पिछले वर्ष की तुलना में इसके निर्यात में 30 प्रतिशत और आयात में 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिससे व्यय में भी काफी किफायत हुई है ।

इसी प्रकार खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपने व्यापार को बढ़ाकर 1971-72 में 262 करोड़ रुपये का कर दिया जिसमें कराधान से पूर्व 8 करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान है ।

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में सन्तुलन बनाए रखने के साथ-साथ इस मन्त्रालय का उद्देश्य उत्पादकों को उनके निवेश पर समान लाभ की गारन्टी देने का रहा है ।

भारतीय पटसन निगम अपने कामों के माध्यम से यह आश्वासन देने का प्रयास करता रहा है कि पटसन के थोक मूल्यों में वृद्धि से होने वाले लाभों का कुछ अंश उत्पादकों को

मिलता है । कच्चे पटसन के लिए कीमतें न केवल कलकत्ता के लिए ही निर्धारित की जाएंगी अपितु प्राथमिक तथा माध्यमिक बाजारों के लिए भी की जाएंगी और उन विभिन्न वस्तुओं के लिए की जाएंगी जिनका मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ।

भारतीय रूई निगम ने रूई के व्यापार में बहुत उपयोगी भूमिका निभाई है । 1970-71 के दौरान रूई निगम ने एक करोड़ रुपये के मूल्य के लगभग 11,000 गांठों का व्यापार किया ।

1971-72 के रूई के मौसम के समय स्थिति ऐसी हो गई कि रूई निगम को काफी कठिनाई हुई, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विपणन की स्थिति खराब रही । अब तक 18.25 करोड़ रुपये की रूई खरीदी गई है तथा गिरती हुई कीमतों पर नियंत्रण किया गया है ।

रूई के आयात में भी रूई निगम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । चालू वर्ष में रूई निगम कुल आयात का लगभग 2/3 भाग आयात करेगा ।

यदि आवश्यक होगा तो आगामी वर्षों में देश में रूई का व्यापार रूई निगम द्वारा किया जाएगा ।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए मिल क्षेत्र में स्टाक की सीमा को समाप्त करने का विचार है । यदि आवश्यक हुआ तो इस ऋण पर प्रतिबन्ध लगाने में और ढील कर दी जाएगी । छोटे रेशे वाली रुई का निर्यात किया जाए अथवा नहीं, इस पर सरकार विचार कर रही है ।

रबड़ बाजार में राज्य व्यापार निगम ने रबड़ की कीमतों को स्थिर करने में काफी सहायता की है जो अब लगभग 491 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है । प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में भी वृद्धि हुई है । इससे छोटे रबड़ उत्पादकों तथा सहकारी संस्थाओं को लाभकारी मूल्य मिलने में सहायता मिली है ।

तम्बाकू के मामलों में भी राज्य व्यापार निगम ने आंध्र प्रदेश में विभिन्न केन्द्रों में काफी खरीद की है जिससे तम्बाकू की गिरती हुई कीमतों पर नियंत्रण कर लिया गया है । हमने कृषि मन्त्रालय के परामर्श से तम्बाकू बोर्ड की स्थापना का निर्णय किया है ।

सरकार ने अभी तक 45 सूती कपड़ा मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया है । 10 और सूती कपड़ा मिलों को हाथ में लेने के मामले पर सरकार विचार कर रही है । इन 55 मिलों ने 1,10,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार देने की पेशकश की है ।

जिन संकटग्रस्त सूती-कपड़ा मिलों के प्रबन्ध को सरकार ने एक वर्ष पहले अपने हाथ में लिया था उनमें से 23 मिलों ने लाभ दिखाया है ।

एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के विकासशील देशों के साथ व्यापार संबंध को अधिक विस्तृत एवं गहन बनाने का भी हमारा प्रयास रहा है । अगस्त, 1971 में भारत और नेपाल के बीच व्यापार और अंतरण सन्धि पर जो हस्ताक्षर हुए उससे मुझे सन्तोष है ।

अफगानिस्तान, ईराक, ईरान, मिस्र, सूडान, अरब गणराज्य के साथ नये व्यापार करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं जबकि इथोपिया, केन्या, तंजानियां, घाना, मेडागास्कर जैसे अफ्रीकी देशों के साथ भी व्यापार समझौता करने के प्रयास जारी हैं ।

हाल ही में हमने पेरु तथा चीली के साथ व्यापार करार किए हैं। आशा है, भारत और लातीनी अमरीकी महाद्वीप के बीच व्यापार समृद्ध होगा ।

Shri Jharkhande Rai : May I know from the hon. Minister whether it is in the knowledge of the Government that an Action Committee of the 40 lakh weavers of Uttar Pradesh have given a notice to the Government of India that since the Commitments have not been fulfilled, they are going to take direct action viz. Satyagraha ?

सभापति महोदय : अब सभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे । मन्त्री महोदय उन्हें नोट कर लें तथा उनका उत्तर एक साथ दे दें ।

श्री रामसहाय पांडे (राजनंदगांव) : नाइलोन धागे की तस्करी हो रही है। इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री के० गोपाल (करुर) : तम्बाकू बोर्ड की स्थापना कब की जाएगी क्योंकि इतना कहना काफी नहीं है कि बहुत शीघ्र स्थापित की जाएगी ? आंध्र प्रदेश तथा मैसूर की समूची जनसंख्या इस मामले में विदेशी एकाधिकारियों की दया पर निर्भर करती है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : बड़े व्यापारियों द्वारा अत्यधिक लाभ कमाया जा रहा है और पटसन के मूल्य गिर रहे हैं। क्या सरकार का वास्तविक पटसन उत्पादक को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कोई विचार है ?

पटसन मिल राष्ट्रीयकृत की जानी चाहिए । इस पर सरकार की क्या नीति है ?

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : क्या मंत्री महोदय पटसन उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेंगे ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या मंत्रालय ने इस बात का अनुमान लगाया है कि चालू वर्ष के दौरान बढ़ाए गए निवेश परिव्यय से क्या-क्या आयात होगा ? निर्यात के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने को क्या पुसरीक्षित करने का विचार है ?

श्री वयालार रवि (चिरयन्कील) : राज्य व्यापार निगम ने रबड़ कहां से खरीदा और क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि केरल सरकार रबड़ की खरीद जारी रखे ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कलकत्ता में पटसन श्रमिकों को दी गई न्यूनतम मजूरी अथवा मजूरी वृद्धि को क्रियान्वित नहीं किया गया है अथवा उत्तर प्रदेश और बिहार के पटसन मिल मालिकों को स्वीकार नहीं है, यदि हाँ, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : क्या आंध्र प्रदेश में पटसन मिल की स्थापना की जाएगी ?

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा (चिकमगलूर) : इलायची की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाकर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी करार के अन्तर्गत इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमित बनाने के लिए विचार किया जाएगा। दूसरा, इसका निर्यात प्रचार और

अच्छा बाजार बनाने के लिए इटली सहित मध्य-पूर्व के देशों को एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना चाहिए। तीसरा, इलायची की निकासी की जानी चाहिए और चौथी बात यह है कि इलायची बोर्ड को रबड़ बोर्ड के साथ मिला दिया जाना चाहिए ।

Prof. S. C. Saxena (Maharajganj) : What action Government is taking to purchase goods worth crores of rupees belonging to the weavers ?

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : क्या अभ्रक निगम का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर इसमें चपड़ा को भी शामिल किया जाएगा ।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : जहां तक उत्तर प्रदेश के हथकरघा उद्योग में हड़ताल का प्रश्न है हमने कपड़ा आयुक्त को इस मामले की जाँच करने तथा राज्य सरकार के परामर्श से भंडार उठाने के लिए कहा है, आशा है कि इस सम्बन्ध में कोई समाधान निकल आएगा ।

जहाँ तक नाइलोन धागे का तस्करी करने का प्रश्न है, इस प्रकार की अन्य सामग्रियों की भी तस्करी होती हैं । हम टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इसका मूल्य नियत कर रहे हैं। इससे तस्करी को कम किया जा सकता है। हम कृषि मंत्रालय के परामर्श से तम्बाकू बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने हमें पटसन के लिए पारिश्रमिक मूल्य देने के लिए लिखा है । कृषि मूल्य आयोग ने इसके लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण किया है । हमारा प्रयास यह है कि जूट की सभी किस्मों का मूल्य निर्धारित किया जाए । इस समय जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विकासशील देश में निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ आयात में भी वृद्धि होती है । हमने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात किया जाएगा । आयात के मूल्य मे शायद कुछ वृद्धि हुई है । हम व्यापार अन्तर को कम करने में हो सकता है सफल नहीं हो पाएं क्योंकि हमें बहुत अधिक आयात करना है ।

हमने प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है । परामर्शदात्री समिति की प्रत्येक बैठक में हम स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हैं । निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात के मुख्य नियंत्रक और आर्थिक सलाहकार आपस में बैठकर सलाह-मशविरा कर सकते हैं । इस समय हमने किसी नई वस्तुओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय नहीं किया है ।

राज्य व्यापार निगम केरल में रबड़ की खरीद कर रहा है और इस बारे में कोई समस्या नहीं है । आवश्यकता पड़ने पर राज्य व्यापार निगम को अपनी क्रय क्षमता बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी देने के बारे में कहा है, यह वैसे राज्य सरकारों का कार्य है परन्तु फिर भी आवश्यकता पड़ने पर मैं इस सम्बन्ध में वहां की सरकारों को कहूँगा । मुझे प्रसन्नता होगी यदि उनकी मजूरी पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की मजूरी के समान हो जाये । आंध्र प्रदेश में जूट की मिल लगाने का प्रस्ताव है । इलायची के लिए बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । हालांकि राज्य व्यापार निगम एक

सांविधिक निकाय है और हमारा इस पर नियंत्रण है। परन्तु फिर भी हम इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। नारियल रेशे का निर्यात नियमित करने का हमारे पास एक प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विदेश व्यापार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
32	विदेश व्यापार मंत्रालय	...	4,11,59,000
33	विदेश व्यापार	...	1,05,70,42,000
34	निर्यातोन्मुख उद्योग	...	6,34,19,000
116	विदेश व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	...	2,74,64,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, संसदीय कार्य विभाग, पूर्ति विभाग, लोक सभा, राज्य सभा और उपराष्ट्रपति का सचिवालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following demands in respect of Ministries of Finance, Planning, Department of Atomic Energy, Electronics, Parliamentary Affairs, Supply and Lok Sabha, Rajya Sabha and Secretariat of the Vice-President

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
			रुपये
11	वित्त मंत्रालय	...	16,48,70,000
12	सीमा शुल्क	...	9,21,99,000
13	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	...	18,42,30,000
14	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	...	18,79,68,000
15	स्टाम्प	...	4,30,97,000
16	लेखा-परीक्षा	...	31,16,69,000
17	मुद्रा और सिक्का ढलाई	...	13,98,00,000

1	2		3
18	टकसाल	...	4,55,99,000
19	पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	...	9,48,24,000
20	अफीम कारखाने और एलकोलायड के कारखाने	...	1,12,82,000
21	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	61,21,88,000
22	राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	...	5,97,27,85,000
23	केन्द्रीय तथा राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	...	43,18,000
24	विभाजन पूर्व की अदायगियां	...	21,000
107	इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	...	85,16,000
108	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	...	20,05,43,000
109	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	...	52,88,000
110	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	...	8,39,37,000
111	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	...	2,50,58,000
112	विकास के लिए राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	...	25,74,07,000
113	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम	...	6,39,78,63,000
67	योजना मंत्रालय	...	4,27,000
68	योजना आयोग	...	1,44,70,000
85	परमाणु ऊर्जा विभाग	...	26,50,000
86	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और नामकीय शक्ति योजनायें	...	45,75,63,000
135	परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी पर व्यय	...	58,98,06,000
92	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग	...	3,16,24,000
95	संसदीय कार्य विभाग	...	10,28,000
99	पूर्ति विभाग	...	1,54,07,000
100	पूर्ति तथा निपटान	...	4,23,75,000
101	लोक-सभा	...	2,31,97,000
102	राज्य-सभा	...	96,81,000
103	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	...	3,15,000

विनियोग (संख्या ३) विधेयक
APPROPRIATION (No. 3) BILL

पुरःस्थापित तथा पारित
Introduced and Passed

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

———

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कई मंत्रालयों से सम्बन्धित लगभग 15 मुद्दों को उठाया है, मैंने उनकी जांच की है और यह पाया है कि अधिकांश मुद्दों को पहले ही उठाया जा चुका है, वित्त मंत्रालय पर अभी चर्चा नहीं हुई है अतएव आप इससे सम्बन्धित मुद्दे उठा सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में चर्चा हुई है ? क्या कृषि मंत्रालय ने अपने उत्तर में इस विषय को भी शामिल किया था ? इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि किसी न किसी रूप में इस विषय पर चर्चा हुई है । आप एक वरिष्ठ और अनुभवी संसदविज्ञ हैं, कृपया वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित विषयों पर बोलिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वित्त मंत्रालय वास्तविक पूंजी और उत्पादन वृद्धि में सहायक पूंजी निवेश के साधन जुटाने में असफल रहा है । प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है । कुछ ही

व्यक्तियों के हाथ में भारी मात्रा में संपत्ति एकत्रित है। सरकार अधिक राशि के बीजक बनाने तथा कम राशि के बीजक बनाने में होने वाले कदाचार को रोकने में भी असफल रही है। तस्करी, करापवंचन को रोकने तथा आयकर की बकाया राशि वसूल करने में भी सरकार असफल रही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था वह पूरा नहीं हुआ है।

सरकार ने यह नहीं बताया है कि आय बीमा का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी विधेयक को यहाँ क्यों नहीं लाया गया है। यह सरकार एकाधिकारवादियों की है और उसी के लिए कार्य कर रही है।

वांचू समिति के प्रतिवेदन के बारे में मेरा यह कहना है कि सरकार की चोर-बाजारी करने वालों के साथ सांठ-गांठ है। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि कम से कम 3500 करोड़ रुपया काला धन के रूप में पड़ा है। प्रतिवेदन में काला धन समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं परन्तु सरकार ने अन्तरिम प्रतिवेदन का प्रकाशन नहीं किया है। सरकार ने वांचू समिति पर जोर डाला है कि वह अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों को अंतिम प्रतिवेदन में प्रकाशित न करें, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस सभा में दो वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी दो वर्ष से अंतिम प्रतिवेदन की धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आज केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 163 रुपये है जो कि अन्य सरकारी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतन की तुलना में कम है।

हमें कहा गया था कि प्रतिवेदन जुलाई तक प्रस्तुत किया जायेगा परन्तु यह पता चला है कि ऐसा न हो सकेगा और इसको प्रस्तुत करने में अभी समय लगेगा। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने वेतन आयोग के समक्ष धरना देना आरम्भ कर दिया है। यह एक सत्य है कि जब तक आयोग के सदस्यों को वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया जायेगा तब तक वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे सभा को यह आश्वासन दें कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। यदि इसमें विलम्ब है तो अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिल सके। मेरा पुन: अनुरोध है कि प्रतिवेदन जुलाई, 1972 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री ज्योतिर्मय बसु ने मूल्यों के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। हमने इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है। निश्चय ही हमें अभी आगे बहुत कुछ करना है। वांचू समिति ने एक वर्ष पूर्व अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था परन्तु हमने लोकहित के कारण उसे प्रकाशित नहीं किया है। इसमें विमुद्रीकरण की सिफारिश की गई थी परन्तु हमने उसे स्वीकार नहीं किया है। यह सच है कि कुछ अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में आयोग के साथ चर्चा की थी। यह कहना गलत है कि

उन्होंने आयोग को कोई सिफारिश न करने के लिए कहा था। श्री वांचू भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और उनकी ईमानदारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता है।

हमारा यह प्रयत्न होगा कि वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करे। यह कहना नितान्त असंगत है कि जब तक वेतन आयोग के सदस्यों को वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया जाता है तब तक वे शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे। जब वेतन आयोग नियुक्त किया गया है तो स्वभावत: हम भी यही चाहते हैं कि वह अपना प्रतिवेदन अविलम्ब प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतएव मैं सभा में मतदान के लिए सभी खंड और अनुसूची एक साथ रखता हूँ।

प्रश्न यह है ;

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक पास किया जायें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

पुर: स्थापित किये गये विधेयक
Bills Introduced

श्री भोगेन्द्र झा का
संविधान (संशोधन) विधेयक
अष्टम अनुसूची का संशोधन
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of Eighth Schedule)
by Shri Bhogendra Jha

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

श्री भोगेन्द्र झा का
संविधान संशोधन विधेयक
अनुच्छेद 168 का प्रतिस्थापन और अनुच्छेद 169 आदि का लोप
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
Substituition of Article 168 and Omission of Article 169 by Shri Bhogendra Jha

Shri Bhogendra Jha : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

श्री आर० पी० उलगनम्बी का प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक
ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT) BILL BY SHRI R. P. ULAGNAMBI

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ ।

———

श्री एस० सी० सामन्त का संविधान (संशोधन) विधेयक

सप्तम अनुसूची का संशोधन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of Seventh Schedule)
by Shri S. C. Samanta

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम भारत के संविधान का और संशोधन करने के बारे में श्री सामन्त के विधेयक पर विचार करेंगे ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र भेजा था जिसकी प्रति प्रधानमंत्री को भी भेजी थी । प्रधानमंत्री से मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं । आप उनसे ही बात कर लें ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

श्री ए० के० गोपालन : श्रीमन् मैंने आपको एक पत्र भेजा था जिसकी प्रति प्रधानमंत्री को भी भेजी गई थी । जोत की भूमि की अधिकतम सीमा और किरायेदारों को संरक्षण देने की हम रोज बातें करते हैं । किरायेदारों को संरक्षण देने के विचार से ही मैं इसे नवम सूची में सम्मिलित करना चाहता हूँ । मेरी जानकारी है कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच इस बारे में मतभेद है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सत्रावसान से पूर्व इस बारे में संविधान (संशोधन) विधेयक पेश करके इसे नवम अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा ? न्यायालय जून में खुल जायेंगे और संसद के अगले सत्र से पूर्व लाखों लोग भूमि के अधिकार से वंचित हो जायेंगे । समझ में नहीं आता, सरकार के सामने इस बारे में क्या कठिनाई है ।

एक प्रतिनिधि मंडल भी प्रधान मंत्री से मिला था । उन्होंने कहा था कि दो दिन के भीतर कुछ किया जायेगा । इस बारे में अब क्या निर्णय किया गया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : बताया जाता है कि केरल के भू-राजस्व मंत्री ने अभी हाल में इस बारे में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की थी। बातचीत के पश्चात् उनका यह मत बना बताया जाता है कि जिस रूप में केरल विधान सभा ने यह विधेयक पारित किया है वह रूप केन्द्र को स्वीकार नहीं। यह कहा जाता है कि उन्हें यह कहा गया है कि यदि अधिनियम में कुछ परिवर्तन कर दिये जाएं तो केन्द्रीय सरकार इसे स्वीकार करने को सहमत है। परन्तु केरल के भूराजस्व मंत्री उन परिवर्तनों से सहमत नहीं हुए।

यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसका संबंध केवल एक राज्य से ही नहीं है। देश में प्रगतिशील भूमि सुधारों के संबंध में इसके अनेक परिणाम निकल सकते हैं। प्रधान मंत्री ने भी इस अधिनियम को सारे देश के लिए 'आदर्श' स्वीकार किया था। एक समय योजना आयोग का भी मत था कि जो राज्य इस प्रकार का विधान बनाएं वह इसमें पिछली तिथि से इसे लागू करने का उपबंध अवश्य रखें। परन्तु जब केन्द्र के अनुरोध पर राज्य के अधिनियम में यह उपबंध किया गया है तो केन्द्र सरकार इसी उपबंध को हटाने के लिए दबाव डाल रही है। कोई भी आत्माभिमानी राज्य इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता।

चर्चा के दौरान सरकार को सदन के सम्मुख यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या वह इस अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा देने को तैयार है अथवा नहीं। यदि केन्द्रीय सरकार इसके लिए तैयार नहीं तो इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं।

पिछली तारीख से इसे लागू करने की बात राजनैतिक है। इसमें कानूनी बात कोई नहीं है। सरकार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो यह समझते हों कि यह तो प्रथा बन जाएगी और वे लोग अन्य राज्यों में भू-स्वामियों को बचाना चाहते हैं। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अत: सरकार को संकट को बचाना चाहिये और न्यायालयों के खुलने से पूर्व कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : उत्तर प्रदेश के जमींदारों की मांगों की पूर्ति के लिए केरल के लोगों की भावनाओं को कुचला नहीं जाना चाहिये। अन्यथा केरल के लोग भड़क उठेंगे। मैं आपसे तथा प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : वास्तविकता यह है कि केरल के किरायेदारों के हितों को संरक्षण देने के लिए केन्द्रीय सरकार भी उत्सुक है। इस विधान से पूर्व केरल सरकार ने इस बारे में एक अध्यादेश जारी किया था जिसको केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया था।

जिस प्रकार से श्री गोपालन ने कहा है उससे प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार पहले तो राज्य सरकार के विचार से सहमत थी परन्तु बाद में उसका विचार बदल गया है, परन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है (अन्तर्बाधाएं)

श्री ए० के० गोपालन : केरल विधान सभा ने अधिनियम पारित करके केन्द्र के पास भेजा। केन्द्र ने उसकी संवीक्षा करके यह कहा "कि आप इसे पारित कर दें"। पारित होने के पश्चात् इसे केन्द्र को भेजा गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई···

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : परंतु उसके पश्चात् क्या हुआ ? उसके पश्चात् उच्च न्यायालय का निर्णय आया।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आपके पूर्वाधिकारी, श्री चव्हाण ने यह आश्वासन दिया था कि इसे संविधान की नवम अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा। इतने वर्षों तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। न्यायालय का निर्णय तो बहुत बाद में आया है।

उच्च न्यायालय ने तीन अधिनियमों को अथवा उनके कुछ उपबन्धों को रद्द कर दिया था। तब उच्चतम न्यायालय में इसे ले जाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपना निर्णय दिया है। उसका गंभीरता से अध्ययन किया गया है और हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। मंत्रि-मण्डल ने इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है अतः अभी इस बारे में ब्यौरे बताना कठिन है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह विधान गृह मंत्रालय को तीन वर्ष पूर्व भेजा गया था, उसने इसे दबाये रखा। केन्द्र सरकार को बताया भी गया था कि न्यायालय द्वारा इसके कुछ खण्डों को रद्द किया जायेगा। अतः इस पर विचार किया जाए।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : केन्द्रीय सरकार ने जब इस विषय पर विचार किया तो उस समय केरल राज्य के राजस्व मंत्री भी यहां आए थे। केन्द्रीय विधि मंत्री ने उनके साथ विचार विमर्श किया। तीनों विधेयकों में से एक के बारे में तो कोई कठिनाई नहीं है। एक विधेयक पर उच्चतम न्यायालय ने विचार किया है और उसके निर्णय के अनुसार उसे नवम अनुसूची में सम्मिलित किया जाना जरूरी है। केरल सरकार भी इस मत से सहमत थी। अन्य विधेयकों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इस अवस्था में ब्यौरे नहीं बताये जा सकते। उसमें कुछ दोष थे, कुछ असमताएं थीं। केरल के मंत्री के साथ इस बारे में भी बातचीत की गई थी। कुछ बातों से केन्द्रीय सरकार सहमत नहीं थी। यह सब बातें उन्हें बताई गईं। केरल के मंत्री एक बात के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की अन्य सभी बातों से सहमत थे। जिस बात पर मतैक्य न हो सका वह बात वे अपने मुख्य मंत्री को बताने के लिए चले गए हैं। केरल के मुख्य मंत्री से इस बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं कि वे अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो विचार विमर्श के लिए यहां आवेंगे। हमें भी इस बात की पूरी चिंता है कि किरायेदारों को पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्रिमंडल इसे नवम अनुसूची में सम्मिलित करने को स्वीकार कर लेगा और केन्द्रीय सरकार तथा केरल सरकार में जो भी मत-भिन्नता है वह भी दूर हो जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पिछली तारीख से लागू करने का सुझाव केन्द्रीय सरकार ने दिया था अथवा नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : नहीं। आपने सारी बात गलत समझी है। इस समय जब इस विषय में बातचीत चल रही है, मैं और अधिक ब्यौरे नहीं दे सकता। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या इस मास की 30 तारीख से पूर्व इसे नवम अनुसूची में सम्मिलित करने का विधेयक लाया जायेगा अथवा नहीं ? यदि आप किरायेदारों और झोंपड़ियों में रहने वालों को कोई संरक्षण देना चाहते हैं तो आपको इसे नवम अनुसूची में सम्मिलित करना ही होगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आप जान-बूझ कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तीन वर्ष पूर्व अनुरोध किया, अपनी शंकाए व्यक्त कीं। परन्तु गृह मंत्रालय ने कह दिया कि आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, कुछ नहीं होगा। अब जब सब कुछ घटित हो गया है तो आप कह रहे हैं कि अध्यादेश है। लाखों लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं और इसके परिणाम स्वरूप केरल में रक्त-प्रवाह होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैंने यह बताया है कि बेदखली को रोकने के लिए अध्यादेश है। किसी को बेदखल नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपना अंतिम निर्णय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ उपबन्धों को रद्द कर दिया है अत: यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार उपबन्धों की गंभीरता से जांच करे। (**अन्तर्बाधा**) संवैधानिक संशोधन इसी सत्र में तभी प्रस्तुत किया जा सकता है यदि केरल सरकार शीघ्रता से इस पर विचार करे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तीन वर्ष तो गृह मंत्रालय इसे दबाये रहा। शीघ्रता का महत्व तो पहले समझा जाना चाहिये था। 1 जून को न्यायालय खुलने वाले हैं। यदि यह संरक्षण न दिया गया तो केरल में अराजकता फैल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह सुझाव है कि हम सोमवार को इकट्ठे बैठ कर···

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री चन्द्रप्पन ने अपना विधेयक पुर: स्थापित कर दिया है। वास्तव में इस प्रकार के विधेयक की सरकार की ओर से आशा की जाती थी। परन्तु अब जब विधेयक आ गया है तो सरकार अपना विचार बना सकती है। क्या इसे आज स्वीकार किया जा रहा है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं सरकार के इस मत की सराहना करता हूँ कि इस बारे में यहां पर कोई आश्वासन देना कठिन है। इस विषय के कुछेक पहलुओं पर विचार किया जाना है। परन्तु इतना अवश्य है कि यह किसी दल का मामला नहीं है। यह ऐसा मामला है जिसके बारे में केरल के सभी पक्षों के लोग एकमत हैं। सब लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस विधान को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। मूल प्रश्न यह है कि इस प्रकार के मामलों में जब राज्य की विधान सभा ने एकमत होकर कोई विधान पारित किया हो और वह विषय उसके अधिकार क्षेत्र में हो तो केन्द्र को उस पर सहमत न होते हुए भी क्या रुख अपनाया जाए ?

केरल में राज्य कांग्रेस ने भी यह मांग की है कि इसे अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और सत्रावसान से पूर्व संवैधानिक संरक्षण

प्रदान करना चाहिये । यदि यह संरक्षण नहीं दिया गया तो केरल में बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और इस स्थिति से देश के प्रतिक्रियावादी तत्वों को बल मिलेगा।

श्री वयालार रवि : यदि तत्काल संरक्षण नहीं दिया गया तो जून में न्यायालयों के पुनः खुलने पर और बेदखलियां प्रारम्भ होने पर गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जायेगी । सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं ; उन्हें इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये ।

Shri Ram Rattan Sharma (Banda) : Education being a State subject its standards vary from state to state. Education is the necessary concomitant for the prosperity of the country. There should be uniform standards of education throughout the country and medium should also be more or less uniform. For this purpose it is necessary that education should be a concurrent subject.

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*
श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

Conditions of teachers and particularly of Primary and Secondary teachers is pitiable in all the states. They do not get their pay for months together. They have to work under pressure. Hence they cannot draw attention of the Government towards their difficulties.

Students in our state do not get proper facilities, such as Mid-day Meals, Scholarships etc.

This Bill aims at placing Education in the concurrent list, so that states as well as centre, both can legislate on this subject ; for improving the standard of education and ameliorating the conditions of the teachers.

Shri M. C. Daga (Pali) : I feel that it would be a mistake on the part of the Government if it did not pay attention towards education at this moment. It was once stated by Dr. Radhakrishnan that education is the only process for national integration. Conference of Chief Ministers held in 1967 had also recommended the inclusion of education in the concurrent list of the constitution.

Modern age is a scientific age. We should therefore widen the scope of Education and should not limit it to narrow confines.

It is merely shirking of responsibility by the centre, if it takes the plea that Education is a state subject, 1971 census clearly show that illiteracy has actually been growing. Responsibility cannot be thrown on State Governments. This Bill should be accepted so that this subject is included in the concurrent list. In order to maintain the democracy

in the country we ought to think seriously in terms of our education system. The land, the people who inhabit it and the culture of the country all together make a nation. We should not think in terms of a particular university, but have a view of the country as a whole. The central Government should accept this Bill.

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : Although the country is making progress in various spheres, yet in the sphere of education there has been no progress. Conversely, there has been a decline in the educational standards. During British period the English language was acting as a unifying force. Today the people of Tamilnaidu travelling in other parts of the country need an interpretur.

I feel that if the centre takes over the entire responsibility of Education, there would be no harm. The subject can be included in the concurrent list.

The people in different states think differently. There is no feeling of integration anywhere.

It can be argued that states would not agree to it. But now there is Congress rule in almost all the states and as such there is no question of its being opposed by the states.

If the Government remains indifferent to the needs of dispersing education it would create dangerous situation for the country. Please do not treate it as a non-official Bill but support it as an official Bill.

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूँ। इसके द्वारा सातवीं अनुसूची से प्रविष्टि संख्या 11 को निकाल कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 25-A में जोड़ने का प्रस्ताव है। इसका एक मात्र उद्देश्य यही है कि जहां राज्य निरक्षरता मिटाने में विफल रहते हैं वहां केन्द्र उस उत्तरदायित्व को निभा सकता है। निरक्षरता और साम्राज्यवाद एक सी बात है। हमें विश्वास है कि जब तक देश से निरक्षरता समाप्त नहीं होती किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद का उन्मूलन नहीं किया जा सकता।

देश की 56 करोड़ की जनसंख्या में केवल 14 करोड़ वास्तविक रूप से शिक्षित हैं। विश्व में किसी भी अन्य देश में ऐसी स्थिति नहीं है। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो निरक्षरता दूर करने में 150 वर्ष लग जायेंगे।

शिक्षा के समवर्ती सूची में सम्मिलित किए जाने से केन्द्रीय सरकार को उच्चतर शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की गई है। ऐसा करने के पश्चात् भी राज्य सरकारों के अधिकार बने रहेंगे। केन्द्रीय सरकार को भी कार्यवाही करने का अधिकार मिल जायेगा।

यदि इसे राज्यों पर ही छोड़ दिया गया तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान विषमता बनी रहेगी। जैसे कि इस समय साक्षरता का प्रतिशत कहीं तो 80-90 और कहीं 30-35 प्रतिशत है।

शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के पश्चात् ही केन्द्रीय सरकार कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू कर सकती है।

मैं सरकार से इस विधेयक पर विचार करने का आग्रह करता हूँ।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं इस विधेयक के प्रस्तावक तथा अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं का आदर करता हूँ। इस वाद-विवाद से स्पष्ट हो जाता है कि इस सभा के सभी वर्ग यह अनुभव करते हैं कि देश में एक समान शिक्षानीति होनी चाहिए। परन्तु क्रियान्विति के मामले में उनमें मतभेद हैं।

यह वर्ग तो ऐसे लोगों का है जो यह अनुभव करते हैं कि इस उत्तरदायित्व को तब तक निभाया नहीं जा सकता जब तक शिक्षा को समवर्ती सूची में न लिया जाये।

दूसरे, यह मत व्यक्त किया गया है कि शिक्षा को दो भागों में बांट दिया जाये। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व रहे तथा उच्च शिक्षा केन्द्र के अधीन रहे। यह मूलतः समझौते की स्थिति है।

तीसरे वर्ग का मत है कि हमारे जैसे बड़े देश में जहां बहुत सी विविधताएं हैं, शिक्षा के महत्व के होते हुए भी, उसे राज्य के अधीन ही रखा जाना चाहिऐ। ऐसे विचार रखने वाले सदस्य भी अनुभव करते हैं कि केन्द्र को इस मामले में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

मैं श्री हंसदा के इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ कि विधेयक को राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।

सभापति महोदय : क्या आप संशोधन को स्वीकार करते हैं।

प्रो० नुरुल हसन : मैं श्री हंसदा के संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। संविधान में व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष की अवधि में राज्य 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संविधान के लागू होने के 20 वर्ष पश्चात् भी इस दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण यह था कि राज्यों के पास समुचित वित्तीय साधन नहीं थे। प्रस्तावित मार्ग देश के लिए कल्याण-कारक होगा।

मैं मंत्री महोदय को श्री हंसदा के संशोधन को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्न 8 सदस्यों, अर्थात् श्री अरविन्द नेताम, श्री सुबोध हंसदा, श्री विक्रम महाजन, चौधरी नीतिराज सिंह, श्री अर्जुन सेठी, श्री राजाराम शास्त्री, श्री बी० आर० शुक्ल और

श्री रामचन्द्र विकल की प्रवर समिति को इस आदेश से भेजा जाये कि वे अपना प्रतिवेदन 1 अगस्त, 1972 तक प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 23 अक्तूबर तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक

नवम अनुसूची का संशोधन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

Amendment of Ninth Schedule
by Shri C. K. Chandrappan

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जब मैं इस विधेयक पर बोल रहा हूं, राज्य की पूरी जनता उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है जो हम यहाँ पर लेते हैं। केरल भूमि सुधार विधेयक की रक्षा के लिए कुछ अध्यादेश विद्यमान हैं। परन्तु उनसे आवश्यकता पड़ने पर जनता को सुरक्षा नहीं मिल सकेगी।

आज देश में भूमि सुधार के प्रश्न पर बहुत चर्चा हो रही है। इस बारे में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये जाते हैं। परन्तु केरल राज्य में सभी राजनीतिक दल केरल भूमि विधेयक को पारित करने के लिए एकमत हैं। वहाँ पर लाखों लोगों को झोपड़ियों का स्वामित्व दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय से उनके हितों को आघात पहुंचा है। राज्य के भूमिपति उस निर्णय का लाभ उठाते हुए गरीब जनता को परेशान कर सकते हैं। इस लिए हम चाहते हैं कि इसे नवम अनुसूची में रखा जाये।

दूसरे, इस विधि को स्वयं प्रधान मंत्री ने एक आदर्श विधि बताया है। आज उसी आदर्श विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। श्री चव्हाण ने जब वह गृह मंत्री थे, इसे नवम अनुसूची में सम्मिलित किए जाने को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था। उस समय कठिनाई केवल गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण बनी हुई थी जिसे अब संविधान संशोधन द्वारा दूर कर लिया गया है। केरल विधान सभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने समुचित रूप से विचार नहीं किया है। प्रथम जून से न्यायालय खुलने पर भू

स्वामी मामलों को वहां पर ले जायेंगे और झोंपड़ी वालों को कठिनाइयां होंगी। क्या सरकार जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी। यह इतिहास गरीब लोगों के खून-पसीने से तैयार हुआ है। हजारों व्यक्तियों ने इस के लिए बलिदान दिए हैं।

केरल में 1957 में साम्यवादी शासन ने भूमि सुधार विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति देने के स्थान पर उसे उच्चतम न्यायालय को भेज दिया। तत्पश्चात् हमें प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरोध का सामना करना पड़ा। 1967 के चुनावों में प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भारी हार का सामना करना पड़ा। 1967 में पुनः कानून बनाया गया जिसे कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। इस प्रकार लाखों लोगों को लाभान्वित करने वाले कानून को कार्यान्वित किया जा सका। स्वतन्त्र पार्टी भी उसका विरोध करने का साहस न कर सकी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया कि इस विधेयक को सांविधानिक सुरक्षा दी जाये। गरीबी हटाओ के नारे तो लगाये जाते हैं परन्तु जब केरल में गरीबों को भूमि का स्वामी बना दिया गया है, तो उन्हें सांविधानिक आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता ?

जब केरल भूमि अधिनियम को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में विचार के दौरान एक अस्थायी उपाय के रूप में यह अध्यादेश लागू किया गया था इसलिए इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं।

केरल सरकार ने गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय से इसे नवम अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया तो उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि सिद्धान्त रूप में वह इसे नवम अनुसूची में शामिल करने के लिए सहमत हैं, परन्तु गोलकनाथ केस के निर्णय के कारण बाधा उपस्थित हो रही है। लेकिन अब तो गोलकनाथ केस बाधक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 31ग इसके लिए पर्याप्त है। केरल में एक विचित्र स्थिति है, क्योंकि वहाँ काफी जमीन धार्मिक संस्थाओं के अधीन है जो अनुच्छेद 31 ग के अन्तर्गत नहीं आती। हम मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि इन अधिनियमों को नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सदन के इसी रूप में विधेयक लाया जायेगा।

केरल की गरीब जनता ने इस परिवर्तन को लाने के लिए अपना खून बहाया है और वह इस विधेयक की सुरक्षा के लिए फिर से अपना खून बहाने के लिए तैयार है।

इस बारे में निर्णय करने के लिए सरकार के पास अभी समय है। इस विधेयक पर बहस 26 तारीख को समाप्त होगी। सरकार को स्पष्ट शब्दों में उत्तर देना होगा। केरल भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए हम केरल की जनता के हित के लिए ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार के उस रुख के विरुद्ध भी विरोध प्रकट कर रहे हैं, जिसके कारण अतीत में क्रान्तिकारी सुधार नहीं लाये जा सके।

हम 'गरीबी हटाओ' और आत्म-निर्भरता की बात करते हैं, परन्तु केरल के ब्रिटिश बागानों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी एक अध्यादेश केन्द्रीय सरकार को भेजा था। परन्तु उसमें किसने रुकावट डाली। मन्त्री महोदय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या वह संवैधानिक संशोधन करने के लिए तैयार हैं।

केरल से आये हमारे साथी श्री जनार्दनन और श्री बालकृष्ण पिल्ले द्वारा प्रस्तुत इस आशय के संशोधन को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1969 को भी इसमें शामिल किया जाय ।

मेरा यह अनुरोध है कि संवैधानिक संशोधन शीघ्रातिशीघ्र लाया जाना चाहिए । अगर इस बारे में स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जाता, तो हम इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे ।

कांग्रेस के युवा वर्ग ने ही कांग्रेस को एक नया रूप दिया है । उन्हीं के प्रयास के कारण कांग्रेस ने हमारे राज्य में भूमि सुधारों का समर्थन किया । जमींदारों के हित में कांग्रेस के नये रूप को विकृत मत कीजिए ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 9 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री अरविन्द नेताम
(2) श्री एस० एम० बनर्जी
(3) श्री एच० के० एल० भगत
(4) श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
(5) श्री एस० ए० कादर
(6) श्री विक्रम महाजन
(7) श्री श्रीकिशन मोदी
(8) चौधरी नीतिराज सिंह, और
(9) डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

और उसे आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

यह विधेयक केवल केरल से ही सम्बन्धित नहीं है । कल किसी अन्य राज्य के बारे में भी यही स्थिति हो सकती है । जब भी कोई क्रान्तिकारी कानून पारित किया जाता है, तभी सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों ने उसके महत्त्वपूर्ण उपबन्धों को रद्द कर दिया । जब कभी भी कोई इस प्रकार का क्रान्तिकारी कानून राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया जाए, तो उसे अनिवार्यत: संविधान की नवम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उसे न्यायालय रद्द न कर सकें । जब तक इस प्रकार के अधिनियमों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये प्रभावी नहीं रह सकते । सरकार के लिए यह एक चेतावनी है जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए ।

कुछ महीने पूर्व सर्वोत्तम न्यायालय के निर्णय के आने से पूर्व तथा विधेयक के पास होने से पहले केरल सरकार ने भी प्रारूप को केन्द्रीय सरकार के पास जांच हेतु भेजा था। विधि मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों ने यह कहकर उसे वापिस केरल सरकार को भेज दिया था कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसके पश्चात् उसे राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त हो गई थी, परन्तु अब उसमें कमियां निकाली जा रही हैं। मेरा अनुरोध है, जिन लोगों ने यह कहा था कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है उन्हें दण्ड दिया जाये। 9 तारीख को केरल के सभी संसद सदस्यों ने इसको नवीं अनुसूची में शामिल किये जाने का अनुरोध किया था। आज भी मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा है और कहा है कि हमें आश्वासन दिया जाय कि इसे नवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जायेगा अन्यथा मैं संसद में ही धरना दूंगा।

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं श्री गोपालन से अनुरोध करूँगा कि वह धरना देने का विचार त्याग दें। इस सत्र की समाप्ति से पूर्व ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री ए० के० गोपालन : मैं धरना देने के विचार को कुछ समय के लिए स्थागित कर दूंगा।

श्री राजबहादुर : हम सब को इस बारे में चिन्ता है। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनके अधिकारों के लिए खतरा उत्पन्न हो।

श्री ए० के० गोपालन : हम केवल काश्तकारों के लिए संरक्षण चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि यह कार्य इस सत्र में ही हो जाये। न्यायालयों में अनेक मामले लम्बित हैं। भूमि न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित धारा को काट दिया गया है। परन्तु जब तक भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय नहीं दे दिया जाता तब तक विभिन्न वर्गों के लोग अपने मामलों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार न्यायालयों में नहीं ले जा सकते। अत: काश्तकारों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और वे एक से दूसरे न्यायालय तक भागते रहेंगे। नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी धारा को भी सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा काट दिया गया है। यदि इसको नवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो काश्तकारों तथा झुग्गी वालों की ओर बहुत गड़बड़ी होने का भय है।

मैं स्थिति की गम्भीरता की ओर ही माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने इस बारे में आश्वासन दे दिया है। यदि फिर भी इसको 9वीं अनुसूची में शामिल न किया गया तो संसद से बाहर भी संघर्ष आरम्भ हो जाएगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपूजा) : मैं इस विधेयक को लाने के लिए श्री चन्द्रप्पन को बधाई देता हूं। सारे देश में इस बात को स्वीकार किया गया है कि यदि हमें लोकतन्त्रात्मक ढंग से सामाजिक तथा आर्थिक सुधार लाये हैं तो भूमि सुधार अत्यावश्यक है। हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लोगों को इस बारे में वचन दिया था। कांग्रेसदल इसके लिए वचनबद्ध है और इस ओर बढ़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री चन्द्रप्पन ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि केरल से आये कांग्रेस दल के सदस्य अधिक प्रगतिशील हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस दल के सभी संसद सदस्यों की इच्छा देश में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने की है।

प्रत्येक राज्य में अलग-अलग स्थिति है, काश्तकारी के लिए भूमि देने की पद्धति भी अलग-अलग है। अत: प्रधानमन्त्री तथा दल द्वारा इस बारे में मार्गदर्शन किया गया है और प्रत्येक राज्य में इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

केरल भूमि सुधारों का अपना इतिहास है। यह कहना गलत है कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने किसी अवस्था में इस बारे में बाधा उत्पन्न की थी। वास्तव में 1963 में कांग्रेस नेता जोकि उस समय राजस्व मन्त्री थे, ने भूमि सुधार अधिनियम पास कराया था। यह ठीक है कि 1969 में इसमें और संशोधन तथा सुधार किए गए थे। अत: उस समय हमारा दल एक विरोधी दल के रूप में विधान सभा में था और हमने इस संशोधन का समर्थन किया था। अत: इस सुधार के लिए किसी को श्रेय का दावा नहीं करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति किसी कानून को न्यायालय में चुनौती देता है, तो न्यायालय को उसमें त्रुटियाँ बताने से नहीं रोका जा सकता। इसका केवल एक ही उपाय है कि इसको नवम अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। इस बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न केवल यह है कि क्या केरल के लोग ऐसा चाहते हैं। यदि वे ऐसा चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए जिससे हम लोग प्रगति कर सकें, इसी भावना से इस विधेयक की जाँच की जानी चाहिए। हम आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन लाने का इसे एक उपाय समझते हैं।

जहाँ तक भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है मेरे विचार में यह सीमा वही होनी चाहिए जितनी भूमि पर एक परिवार खेती कर सके । खेती के लिए परिवार को बाहर से किराए पर व्यक्ति न लेने पड़ें ।

यहां पर केन्द्र तथा इस विधेयक के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के बारे में बहुत कुछ कहा गया हैं। केवल एक सप्ताह पूर्व ही निर्णय आया है। केरल के राजस्व मंत्री यहाँ पर आए थे और उनसे बातचीत हुई थी। मतभेद काफी हद तक कम हो गया है। अत: इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि केन्द्र भी भूमि सुधार लाने के लिए तत्पर है। अत: यह कहना गलत है कि केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार की बाधा डाल रही है। इस बारे में हम सब की एक ही राय है। हम चाहते हैं कि इनको क्रियान्वित किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ उपबन्धों को काट दिया है। प्रश्न यह है कि यदि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता तो इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। जहां पर भी कुटीपीड़ाप्रकरण है वहाँ पर झुग्गी के मालिक को कुछ रियायती दर पर भूमि खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। वास्तव में भूमि के मालिक भी इन लोगों से बाजार मूल्य नहीं मांग रहे हैं। सारी गड़बड़ी निर्णय से ही हुई है। निर्णय में कहा गया है कि यह प्रश्न उठाया जाता है कि बाजार मूल्य से कम मूल्य दिया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 31 क का इसे उल्लंघन माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक भूस्वामी अब लेख याचिका करेगा।

1963 के भूमि सुधार अधिनियम को नवम अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके पश्चात् इसमें संशोधन किए गए। मतभेद केवल इस बात पर था कि इससे पहले जो सौदे हुए हैं उनको अवैध समझा जाएगा। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि 1957 से हुए सौदों को ही

अवैध समझा जाएगा । मेरे विचार में यह ठीक ही है, हमारे दल में भी भूमि सुधार लागू करने के प्रति उत्सुकता है अतः मेरे विचार में किसी धरने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी प्रदर्शन के करने की आवश्यकता है, यदि कोई यह समझता है कि इससे कांग्रेस दल में परिवर्तन आ सकता है तो मेरे विचार में उसका स्थान पागलखाने में है ।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : इसको सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं लिया ।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा यदि कोई बात असंसदीय हुई तो उसे रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं पागलखाने के शब्द वापस लेता हूं । मेरे राज्य में भूमि-सुधारों को लोकतन्त्रात्मक ढंग से लागू किया जा रहा है और यह अन्य राज्यों के लिए माडल का कार्य करेगा । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और मुझे आशा है कि इस पर अन्तिम पाठ होने से पूर्व ही इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में निर्णय कर लिया जाएगा ।

श्री एन० श्रीकांतन नायर (क्विलोन) : इस अधिनियम को नवम अनुसूची में शामिल किए जाने का सभी दलों ने समर्थन किया है, यह कहना उचित नहीं कि कांग्रेस में सभी लोग इसके पक्ष में हैं । कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं । हो सकता है इससे कुछ समुदायों की अथवा कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे । परन्तु इससे हमारे कार्य में बाधा नहीं पड़ सकती । अब समय आ गया है जबकि हमें भूमि-सुधारों को लागू करना चाहिए ।

यह भी ठीक है कि सारे देश में एक ही पद्धति नहीं अपनाई जा सकती । प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में विद्यमान स्थिति को देखते हुए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए परन्तु प्रत्येक अधिनियम को 9वीं अनुसूची में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए ।

यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि केरल के मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री में कुछ मतभेद है । उनमें कोई मतभेद नहीं है । इस बारे में सभी का दृष्टिकोण एक ही है । हम कहीं-कहीं यदि आवश्यकता हो, तो संशोधन करने को तैयार हैं परन्तु इसके सार को हम नहीं छोड़ सकते । ये दोनों संशोधन हमारे राज्य के लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं । मुझे आशा है कि सरकार इनको नवम अनुसूची में शामिल करने पर सहमत हो जाएगी । इसमें और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए ।

Shri R. V. Bade (Khargaon) : I congratulate Shri Chandrappan for bringing forward this Bill. Shri Pant has stated that cabinet has not yet decided anything about it. I think there are some vested interests which are very powerful and are prevcating the approval of the Cabinet. Already there are 64 Acts in the 9th Schedule. The Land Revenue Act of Madhya Pradesh is also there in the 9th Schedule. In my view there is no reason why this Bill should not be accepted. The Prime Minister has not said anything on it.

I request the Government to include it in the 9th Schedule without any further delay.

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 15 मई, 1972/25 वैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 15th May, 1972/Vaisakha 25, 1894 (Saka)

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18 Navin Shahdara, Delhi-32. 12-5-72